खण्ड-254, अंक-4
गुरूवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(25 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०३–३०७
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३०७
प्रश्नोत्तर	३०७–३३३
अंग्रेजी में साहित्य मिलने पर आपत्ति	३३३–३३४
पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	३३५
गृह मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों के संबंध में श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	३३५–३४२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	३४२
गृह मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों के संबंध में श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३४२–३४४
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	३४४
देवरिया जिले के श्री जगदीश तिवारी तथा अन्य व्यक्तियों की हत्याओं एवं डकैतियों के संबंध में वक्तव्य	३४४–३४६
लेजिस्लेचर ग्रुप की मीटिंग के संबंध में सूचना	३४६
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	३४६
अनुदान संख्या ७—निबन्धन (स्वीकृत)	३४७
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने (स्वीकृत)	३४७
अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य (स्वीकृत)	३४७
अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	३४७–३६९
अनुदान संख्या ४४—वन (स्वीकृत)	३६९–३८८
बत्तियां	३८९–३९८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३५५

अक्षयबर्रसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमारकरुण कृष्णा नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल वधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बर्नासिंह, श्री
बलवान्तसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मन हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह, वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्ल जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह युसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री कुमार करुणाकृष्ण नायर ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २५ फरवरी, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पे रेशनालाइजेशन कमेटी की सिफारिशें

**१--श्री मुमताज मुहम्मद खां, (जिला बुलन्दशहर), श्री कमलासिंह, यादव (जिला गाजीपुर), श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी की जो अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है वह क्या है और उक्त कमेटी ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं तथा उनके कार्यान्वयन हेतु सरकार क्या कर रही है ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

'पे रेशनेलाइजेशन कमेटी' की जो अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है वह सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तदर्थ आधार पर केवल अन्तरिम वृद्धि देने के बारे में है।

इस कमेटी ने महंगाई भत्ते में अन्तरिम वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित सिफारिश की है।

५० रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये	५ रु० प्रतिमास
५१ रु० से १५० रु० तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये	१० रु० प्रतिमास
१५१ रु० से ४५० रु० तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये	१२.५० रु० प्रतिमास

इसके बारे में आवश्यक शासकीय आदेश जारी किये जा रहे हैं।

**२—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री कमलासिंह यादव, श्री रामकिशोर वर्मा, श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुयी थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को १० फरवरी, १९६५ को प्राप्त हुयी थी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आज इस महंगाई से राज्य कर्मचारियों को अत्यन्त असंतोष है तो क्या मंत्रीजी इन सिफारिशों के अतिरिक्त और कोई सहायता भी देने को तैयार हैं ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

पे रेशनेलाइजेशन कमेटी बैठी हुयी है, उसकी रिपोर्ट आ जाने पर ही विचार हो सकेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो अन्तरिम सहायता दी गयी है, यह कर्मचारियों के वेतन के हिसाब से दी गयी है अथवा उनकी सेवाओं के हिसाब से दी गयी है या किन्हीं शर्तों को विचार कर दी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो उत्तर से बिलकुल स्पष्ट है कि महंगाई को देखते हुए पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि अन्तरिम कुछ सहायता दी जाय । यह उनकी रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही हुई ।

श्री अध्यक्ष—

वे यह जानना चाहते हैं कि यह जो ५ रु०, १० रु० और साढ़े १२ रु०, जो कुछ भी दिया गया, उसका सिद्धान्त क्या है, उनके वेतन पर आंका गया या और किसी सिद्धान्त का अनुकरण करके इसका निर्णय किया गया ।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यह तो कहा गया है कि यह वेतन पर आधारित है ही कि ५० रु० प्रतिमास पर वेतन पाने वालों को ५ रु० अन्तरिम भत्ता दिया जाता है, ५१ रु० से १५० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वालों को १० रु० अन्तरिम भत्ता दिया जाता है और १५१ रु० से ४५० रु० तक प्रतिमास वेतन पाने वालों को साढ़े १२ रु० अन्तरिम भत्ता प्रतिमास दिया जाता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पे रेशनेलाइजेशन कमेटी का टर्म आफ रेफरेंस क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:—

(१) राज्य सरकार के कर्मचारियों (अपवित्त पुलिस कर्मचारियों को छोड़कर) की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर विचार करना और ऐसे परिवर्तनों की, यदि कोई हों, सिफारिश करना जो उसमें वेतन-क्रमों की विविधता कम करने, अभिनवी-

करण करने और यथासंभव समान कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के लिये समान उपलब्धियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये जाने चाहिये ।

(२) अभिनवीकरण के लिये किये जाने वाले उपायों का सुझाव देते समय समिति को उन विशेष वेतनों को बनाये रखने अथवा समाप्त करने की बांछनीयता पर विचार करना चाहिये जिन्हें पहली वेतन समिति ने कर्मचारियों के वेतन क्रम के बदले अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में दिये जाने की सिफारिश की थी ।

(३) अभिनवीकरण के संबंध में अपनी सिफारिशें करते समय समिति को राज्य के साधनों की स्थिति पर यथोचित ध्यान देते हुये आयोजनाओं को सफल कार्यान्वयन के लिये समुचित रूप से योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिये । इस संबंध में अपनी सिफारिश करते समय समिति को अन्य राज्यों में समान श्रेणियों को मिलने वाली उपलब्धियों के स्तर पर भी ध्यान रखना चाहिये ।

(४) सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिये जिस सीमा तक उन्हें सुख सुविधायें तथा अन्य लाभ जैसा चिकित्सिक सहायता, निवृत्ति तथा असाधारण पेंशन के लाभ, गृह व्यवस्था तथा शिक्षा संबंधी सुविधायें आदि दी जानी चाहिये, इस पर विचार करना और सुझाव देना ।

(५) किन्हीं ऐसे अन्य विशिष्ट प्रश्नों पर, जो शासन के वित्त विभाग द्वारा समिति को भेजे जायं, विचार करना और सलाह देना ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी के अन्तर्गत पुलिस वालों को छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो टर्म आफ रेफरेंस में नहीं है । यहां तो प्रश्न यह है कि क्या सिफारिशें थीं । उन सिफारिशों के बारे में आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम सहायता देने का जहां तक प्रश्न है, टीचरों को इससे अलग क्यों रखा गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जो राज्य कर्मचारी टीचर्स हैं वे इसमें शामिल हैं ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---

यह मानते हुये कि खाद्यान्न की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है और नीचे के कर्मचारियों का अधिकतर वेतन आजकल खाद्यान्न के खरीदने में ही खर्च हो जाता है तो क्या सरकार ५० रुपये तक वेतन पाने वालों को साढ़े १२ रुपया, ५१ से १५० तक पाने वालों को १० रुपया और १५१ से ४५० तक पाने वालों को ५ रुपया महंगाई दिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जैसा मैंने निवेदन किया यह समस्त प्रश्न पे रेशनेलाइजेशन कमेटी के विचाराधीन है और आशा है कि कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल तक आ जायगी, उसमें इन बातों का खयाल रखा जायगा और उन्होंने तमाम चीजों को देखते हुये जो अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है उसी को स्वीकार किया गया है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पी०डब्लू०डी० सिंचाई और बिजली विभाग के जो वर्कचार्ज कर्मचारी हैं क्या यह बढ़ोत्तरी उसी हिसाब से उन पर भी लागू होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो लोग भी राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में सम्मिलित है उन सब पर वह लागू होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अतरिम रिपोर्ट के अनुसार जो ५,१० और साढ़े १२ रुपया डी०ए० देने का विचार किया गया है उससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—

वैसे तो इसके लिये सूचना की आवश्यकता है लेकिन ५—साढ़े ५ करोड़ के करीब पड़ता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या इस के साथ ही यह विषय भी समिति के विचाराधीन है कि जो राज्य कर्मचारी हैं हैं, उनको महंगाई से थोड़ी सी राहत देने के लिये, जिन्दगी की आवश्यक वस्तुयें सबसिडाइज करके दी जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कमेटी के विचार के लिये जो विषय दिये गये है उनको मैंने अभी पढ़कर सुनाया और वह विचार करेगी कि कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधायें दी जा सकती हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस बात को देखते हुये कि कानून में राज्य कर्मचारी की परिभाषा यह है कि वह लोग जो सरकारी खजाने से पैसा पायें, तो क्या मैं यह समझूं कि कमेटी की जो अन्तरिम रिपोर्ट निकली है क्या वह वर्कचार्ज और अन्य सरकारी मजदूरों पर भी लागू होगी ?

श्री अध्यक्ष—

वर्कचार्ज मजदूरों पर नहीं, उन्होंने कहा राज्य कर्मचारियों पर लागू होगी ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारी १ व २ मार्च को अन्तरिम भत्ते के विरोध में वेतन नहीं लेंगे ? यदि हां, तो वह समय से वेतन लें इसकी वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी ५० प्रतिशत और भत्ते बढ़ा देंगे ताकि यह लोग समय से वेतन ले सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार पे कमेटी की सिफारिशों को अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं, उन पर लागू नहीं होगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह जो कमेटी बैठायी गयी है इसके सदस्य कौन-कौन है, चैयरमैन कौन है, और इस बात की मंत्री जी जानकारी करायेंगे कि कितने मेम्बर ऐसे है जिनको सरकारी नौकरियों का कोई अनुभव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर इतनी तो बहस हो चुकी है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

नहीं बहस हो चुकी है । श्रीमन्, आप उत्तर दिला दें ।

श्री कैलाशप्रकाश—

नाम तो मैं बता सकता हूं । श्री बी० मुकर्जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष है । डाक्टर रामधर मिश्रा, सदस्य लोक सेवा आयोग, श्री अच्युत पटवर्धन, वाराणसी, डाक्टर आर० वी० दास, अध्यक्ष, सार्वजनिक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, श्री आर० पी० भार्गव, प्रशासकीय सदस्य, बोर्ड आफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद्), श्री बी० बी० लाल, आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई और विद्युत विभाग तथा अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, श्री वी० एम० भिडे, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, श्री पी० सी० जैन, उप-सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन राज्य कर्मचारियों का मामला पे कमेटी को सुपुर्द किया गया है क्या उनको लिविंग वेज दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी, और जो इलेक्शन विभाग है उस पर भी यह व्यवस्था लागू होगी कि नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इस पर १ घंटा निश्चित कर दिया जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझे तो माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ । जो इस समिति को विषय विचार के लिये दिये गये है वे मैंने पढ़ कर सुना दिये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि कमेटी ने यह सिफारिश की है कि इस प्रकार से भत्ते में वृद्धि कर दी जाय, क्या इसके अलावा और भी कोई सिफारिश कमेटी को मिली है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अन्तरिम रिपोर्ट जो आयी थी वह केवल इसी के ऊपर थी जो मैंने पढ़ कर सुनायी कि यह अन्तरिम सहायता दी जाय । उसमें और कोई सुझाव नहीं हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद्, म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन-क्रम लोकल बाडीज ही निश्चित करती हैं या सरकार की ओर से उस बारे में नियम, कायदे बनाये जाते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

ग्राम सेविका

**३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि सरकार "ग्राम सेविका" पद समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

समाज कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

सरकार किफायतशारी सम्बन्धी सुझावों पर विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में जब तक कोई निर्णय न हो जाय तब तक कुछ कहना जनहित में उचित न होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कौन से विभाग हैं जिनमें सरकार किफायतशारी करने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह वह नहीं बता सकते । अगर आप पूछते कि समाज कल्याण में कोई विभाग है तो वह बता सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग में कितनी मदें ऐसी हैं, या कौन कौन पद हैं जिन पर सरकार किफायतशारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी तो मंत्रिमंडल समस्त विभागों में किफायतशारी करने पर विचार कर रहा है । जब तक निर्णय न हो जाय तब तक कहना मुश्किल है कि कौन से विभाग में किफायत होगी ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि ग्राम सेविकायें तथा अन्य महिला कार्यकत्रियां उन्हीं स्थानों पर नियुक्त की जा करें जहां पर उनके रहने की व्यवस्था हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

"ग्राम सेविका" पद को वे समाप्त कर रहे हैं ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि हरिजन विभाग को तोड़ कर समस्त रुपया हरिजनों पर व्यय कर दिया जाय ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग में कितने धन की कटौती का प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

सब सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं और जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता कुछ बताना जनहित में नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

यह देखते हुए कि ग्राम सेविकाओं के लिए आवास आदि की समुचित व्यवस्था न होने पर और अनेक असुविधाए और परेशानियां उठा कर इन ग्राम सेविकाओं ने अपने कार्य को किया है, तो क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि इनके पदों को समाप्त न किया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अभी तो यह सब प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने करोड़ रुपये धन की कटौती करने का विचार है और मंत्रिमंडल का विचार कब तक हो जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं लेकिन अनावश्यक बिलम्ब नहीं किया जायेगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग पिछड़ी हुई जनता और हरिजनों की खास कर बहुत बड़ी सेवा, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में करते हैं तो इसमें न तो कटौती की जाय और न तोड़ा जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

माननीय सदस्यों की भावनाएं भी मंत्रियों के मस्तिष्क में हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने करोड़ रुपये की कटौती करने का सरकार का विचार है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला उद्योग अधिकारी, उरई के विचाराधीन आवेदन-पत्र

*१---श्री बेदराम (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, उरई के कार्यालय में ऋण लेने के लिये किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और इन पत्रों के प्राप्त होने की तिथियां क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वांछित सूचना †सूची 'अ' में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

---

†छापी नहीं गई ।

*२—श्री बेदराम—

जिला जालौन में उद्योग विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों को दिये गये ऋण को 'ऋण को उपयोग न करने के कारण' वापस वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ? क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम के साथ वसूल की जाने योग्य राशि की भी सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना †सूची 'ब' में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री बेदराम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ये आबेदन-पत्र लगभग ८ महीने से पड़े हुये हैं, तो उन पर विचार न होने के क्या कारण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि इसमें बिलम्ब हुआ । मैं भी सैटिस्फाइड नहीं हूं कि इतनी देर क्यों हुई और मैं आर्डर दे रहा हूं कि इतनी बिलम्ब नहीं होनी चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बहुत से जिलों में ऐसी ही हालत है । क्या वे कोई अवधि निश्चित करने की कृपा करेंगे क्योंकि वे लोग रुपये पैसे लेते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस सम्बन्ध में मैं आदेश दे रहा हूं । इसके सम्बन्ध में मैं और बात करूंगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विलम्ब इसलिए होता है कि लोन लेने के लिये जो फार्म है वे बहुत पेचीदा है ? तो क्या आप सीधी जिम्मेदारी उद्योग विभाग को देने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि जो उत्तर आया है उससे मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं इसलिये आदेश दे रहा हूं कि विलम्ब क्यों हुआ, इसकी जांच की जाय और इसके लिये प्रबन्ध किया जाय कि देर न हो ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

प्रश्न दो के उत्तर में कहा गया है कि ऋण का उपयोग न होने के कारण वापस करना पड़ा । तो क्या जो ऋण दिया जाता है वह जिस उद्योग के लिये दिया जाता है उसके लिये काफी नहीं होता है इसलिये वापस करना पड़ता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है । यह सूचना है कि इसे काम में नहीं लाया गया और वसूल किया जा रहा है ।

श्री बेदराम—

ऐसे लोग जिनसे रुपया वसूल नहीं हो रहा है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यहां से आदेश जारी हो रहे हैं कि जिनको रुपया दिया गया था और जिन्होंने उसका उपयोग नहीं किया तथा अब वे रुपया वापस नहीं कर रहे हैं उनसे रुपया लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल कर लिया जाय ।

आजमगढ़ जिले में राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण रोकना

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण चालू वर्ष में किया गया और रोका गया तथा रोकने के कारण कौन-कौन हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वांछित सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

इस सूची में १३ सरकारी अधिकारी हैं। जिनके तबादले किये गये थे और फिर रोके गये। रोकने के जो प्रशासकीय कारण बतलाये गये हैं उनमें एक कारण यह है कि उनके प्रार्थना पत्र पर रोक दिये गये, तो इस प्रकार तो हर एक का प्रार्थना पत्र आ सकता है। तो तबादला करने का जो प्राविजन है उसको हटा देना चाहिये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

तबादले होते हैं लेकिन ऐसी परिस्थिति हो कि रोका जाना उचित तथा आवश्यक है तो रोक भी दिये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

नम्बर ३ पर किसी व्यक्ति का नाम है उनकी प्रार्थना पर तबादला रोक दिया गया तो उनकी प्रार्थना क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह जीवत राम डिप्टी कलेक्टर हैं। ६४ में उनका स्थानान्तरण हुआ था। उनका कहना था कि मिड टर्म में उनका ट्रान्सफर किया गया है जिससे उनके बच्चों का दाखिला नहीं हो सकेगा । इसलिये उनका तबादला रोक दिया जाय जिससे वह रोक दिया गया ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

जो प्रार्थना पत्र पर ट्रान्सफर रोकने के लिये जाते हैं उन पर किस आधार को दृष्टि में रख कर विचार होता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अलग-अलग बातें होती हैं ।

छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब

*४--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)---

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा परिगणित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा मोमिन अन्सार जातियों को जो प्रतिवर्ष जिला परिषद के

माध्यम से छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता दी जाती है वह इस वर्ष अब तक दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अभी तक ३६ जिलों से †सूचना प्राप्त हो सकी है जो सदन को मेज पर रख दी गई है। इससे स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति वितरण में जिला परिषदों के माध्यम से काफी विलम्ब हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह स्थिति बड़ी असंतोषजनक है।

छात्रवृत्ति समय से वितरित हो इसके लिये संबंधित आयुक्तों व शिक्षा निदेशक को लिखा जा रहा है। निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण भी इसके लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री सुरजनराम विशारद--

जिस प्रकार से हरिजन विभाग द्वारा हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के लिये ग्रान्ट के वितरण की व्यवस्था मंत्री जी करते हैं क्या उसी प्रकार से जो जिला परिषद् से अनुदान दिया जाता है, उसे अपने विभाग से बंटवाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, पहले इसी प्रकार से बंटता था लेकिन विकेन्द्रीकरण का खयाल करके जिला परिषदों को दिया गया जिसमें समस्त विधायक उसके सदस्य हैं, किन्तु सरकार या जिला परिषद् से बिलम्ब नहीं होता है बल्कि जिला स्तर से स्कूलों से छात्रों के नाम की सूची आने में विलम्ब होता है। जब तक स्कूलों से छात्रों के नाम की सूची न आ जाय तब तक जिला परिषद् वजीफा नहीं दे सकता है। इन कठिनाइयों को देखते हुये एक मूल्यांकन समिति आचार्य जुगल किशोर की चेयरमैनशिप में बनी है जिसके सामने यह प्रश्न उपस्थित है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रवृत्ति और पुस्तकों के बांटने के संबंध में कितना रुपया बाकी है और छात्रवृत्ति देने का अधिकार किस को है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्रीमन्, प्रदेश से छात्रवृत्ति का रुपया जिला परिषदों को जाता है, बांटने का काम जिला की स्थिति पर निर्भर है। वैसे ५ लाख ३७ हजार रुपया १४ अगस्त को रिलीज कर दिया गया था। जिन जिलों से रिपोर्ट आई है वे ३६ जिले हैं। जिनसे नहीं आई है, माननीय सदस्य जिला परिषद् से मालूम कर लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सहायता प्राप्त गैर सरकारी परन्तु मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिस प्रकार से छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है उसी तरह से जिला परिषदों के जूनियर हाई स्कूल में नहीं दी जाती है बल्कि सारे जिले में मुश्किल से ३०-३५ छात्रवृत्ति होती हैं ? क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि जिस तरह से माध्यमिक स्कूलों में हरिजन बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उसी तरह से जिला निरीक्षक के जरिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला परिषद् के स्कूलों के बच्चों को फार्म भरवाकर अपने यहां से छात्रवृत्ति दिया करें ?

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री सुरजनराम विशारद---

क्या मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि अक्तूबर से पहले इसके वितरण का प्रबन्ध हो जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यही कोशिश की जा रही है ।

बिजनौर जिले में भूमिहीन हरिजन

*५---श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब से लगभग १ वर्ष पूर्व जिला बिजनौर में भूमिहीन हरिजनों को कृषि की भूमि देने के लिये कितने एकड़ जमीन हरिजन-कल्याण विभाग से एलाट कराई गई थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अब से लगभग एक वर्ष पूर्व अर्थात् १९६४ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा जिला बिजनौर में भूमिहीन हरिजनों को कोई ऐसी भूमि एलाट नहीं की गई थी ।

*६---श्री श्रीराम---

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतायेंगे कि वह भूमि हीन हरिजनों को और कि ा-किस हरिजन को कितनी-कितनी एकड़ दी गई थी ? क्या उसमें से सर्वानन्द नाम के व्यक्ति ने जमीन बेच दी है ? यदि बेची है, तो किस-किस नाम के व्यक्ति को बेची है और कितने-कितने रुपये में अलग-अलग बेची है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रश्न हीं नहीं उठता ।

श्री श्रीराम---

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मूल प्रश्न की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । वह एक वर्ष नहीं था १० वर्ष था । क्या इसका दुबारा उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय श्रीराम, क्या आप दुबारा उत्तर चाहते हैं ?

श्री श्रीराम---

अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है वह जो मूल प्रश्न है उससे अलग है । जो मूल प्रश्न मैंने लिख कर भेजा है उसमें है कि १० वर्ष से अब तक कितनी कितनी जमीनें दी गई हैं, जबकि उसमें अब एक वर्ष कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह प्रश्न करना चाहूंगा कि मूल प्रश्न को देख कर यदि उसमें १० वर्ष हो तो दुबारा उसकी जांच कराकर उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जिन ग्रामों में हरिजनों के लिये ग्रामसमाज की भूमि नहीं पड़ी हुई है, उन्हें वहां नहीं मिल पाती, वह खरीदना चाहते हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि, जहां भूमि जिस ग्राम में एलाटमेंट के लिये नहीं है अर्थात् ग्राम समाज की नहीं है या दूसरे तरह की नहीं है, जिससे उन्हें मुफ्त में दी जा सके, जिससे वे अपनी जमीनें खरीद सकें और रजिस्ट्री के वक्त बेचने वाले को सरकार द्वारा रुपया दे दिया जाया करे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती।

*७—[हटा दिया गया।]

[२५ फरवरी, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[६ठे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १६—१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उसहत थाने में एक फकीर की मृत्यु की जांच

४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि बदायूं जिले के लिलमा ग्राम, थाना उसहत के एक फकीर को अभी हाल ही में गत जूलाई के महीने में थाना उसहत की पुलिस ने व मलिखान सिंह, ग्राम लिलमा व ढाकन सिंह, ग्राम कमले नगला थाना उसहत ने मिलकर आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा बना कर काफी मारपीट की जो कि थाने से जेल ले जाते समय रास्ते में मर गया जिससे जनता में बड़ा जोश फैल रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

दिनांक १८—७—६४ को १२ बजकर ५ मिनट पर मौजा कमले नगला निवासी श्री मलखान सिंह तथा अन्य व्यक्ति ग्राम लिलवां के वजीर नामक फकीर जिसके शरीर पर चोटें थीं, को लेकर थाना उसैत पर पहुंचे और मलखान सिंह ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उक्त वजीर १७/१८—७—६४ की रात में दो अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी बीबी को भगाने के लिये उसके घर के पास गया था और वहां पर कुत्तों के भोंकने पर गांव वालों तथा उसके द्वारा पकड़ लिया गया था। वजीर के शरीर पर चोटें होने के कारण पुलिस ने उसे उसी समय अस्पताल भेज दिया। डाक्टर की राय के अनुसार १९—७—६४ को वह उसैत से बदायूं एक्सरे के लिये जा रहा था किन्तु रास्ते में बस खराब हो जाने पर एक बैल गाड़ी द्वारा उसत को वापस लौटने लगा। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई बस कन्डक्टर्स द्वारा मृत्यु की सूचना थाने पर प्राप्त होने पर एक मुकदमा धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज करके जांच आरम्भ की गई किन्तु इसी सम्बन्ध में न्यायालय में एक इस्तगासा दायर हो गया। अतः जांच समाप्त करके मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

उस आदमी को बहुत चोटें लगी थीं और जिसने उसको मारा था उसके खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मैं समझता हूं अब मुकदमा दायर हो चुका है और उसके सिलसिले में अब सरकार से कुछ पूछताछ उचित नहीं क्योंकि उससे मुकदम पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

काछी जी तो इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले जो इंजरी हुई थी उसी के बारे में न ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी, शुरू में, जिसके लिये उसे अस्पताल भेजा गया था ।

श्री अध्यक्ष—

क्या दो बार चोट आई थी ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

यह गलत है, उसको २ बार चोट नहीं आयी थी । जब उसको पकड़ा गया था तब उसको गांव वालों ने मारा था उसके ही परिणाम स्वरूप वह चोट थी ।

छात्रवृत्ति नियमों में परिवर्तन

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों को छात्रवृत्ति देने के लिये सन् १९६३ ई० से पहले आर्थिक दशा के विषय में तथा पिछड़ी जाति का होने के विषय में विधायकों की सिफारिश ही काफी समझी जाती थी, पर वह अब हरिजनों के लिये तो काफी समझी जाती है और पिछड़ी जातियों के लिये काफी नहीं समझी जाती है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां । १९६३ से पहले अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये विधायकों का आय का प्रमाण पत्र काफी समझा जाता था किन्तु अब नहीं । इसका कारण यह है कि पहले पिछड़ी जातियों के छात्रों को उनकी योग्यता (मैरिट लिस्ट) के आधार पर छात्र वृत्ति दी जाती थी किन्तु अब उनके माता पिता या अभिभावक की औसत मासिक आमदनी के आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है । चूंकि अब छात्र की औसत मासिक आमदनी या आर्थिक दशा पर विशेष बल दिया जाता है यह आवश्यक समझा गया कि आय का प्रमाण पत्र काफी जांच व छानबीन के आधार पर प्राप्त हो यह भी सोचा गया कि माननीय विधायकों के पास किसी की औसत मासिक आय की जांच व छानबीन करने के न तो पर्याप्त साधन हैं और न स्वयं उन्हें इतना समय मिल सकता है । इसके विपरीत राज पत्रित (गजटेड) अधिकारी को आवश्यक कागजात देखकर व आवश्यक बातों की जांच करके आय का प्रमाण पत्र देने की काफी सुविधायें प्राप्त हैं । अतएव पिछड़ी जातियों के छात्रों के छात्रवृत्ति नियमों में उपरोक्त परिवर्तन कर दिया गया है ।

हरिजन छात्रों के सम्बन्ध में इस नियम के परिवर्तन की आवश्यकता इसलिये नहीं समझी गई कि उनके लिये छात्रवृत्ति का आधार भिन्न है । प्रायः ऐसे सभी छात्रों को जिनके माता पिता या अभिभावक की औसत मासिक आय ५००) मासिक से कम है छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है । हरिजन छात्रों की पारस्परिक आमदनी के आधार पर छात्रवृत्ति का निर्णय नहीं होता जबकि पिछड़ी जाति के छात्रों में पारस्परिक आमदनी (रिलेटिव पावरटी या इन्कम) को देखकर सबसे कम औसत आमदनी वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है । अतः पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये आय का प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, हरिजनों के लिये नहीं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि जिस प्रकार हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिये विधायकों का प्रमाणपत्र मानती है उसी प्रकार पिछड़ी हुई जातियों की गरीबी के लिये प्रमाण पत्र विधायकों का माना जाय क्योंकि गजटेड आफीसरों का प्रमाण-पत्र घूम-फिर कर लेखपाल का प्रमाण-पत्र बन जाता है और बहुत रुपया रिश्वत में देना पड़ता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसका विवरण उत्तर में ही दे दिया गया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

पिछड़ी जातियों में उत्तर प्रदेश की लिस्ट में अब अपर क्लास के कुछ लोग और बढ़ गये हैं तो क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी छात्रवृत्ति ऐसे लोगों के लिये है जो पिछली लिस्ट में ह और कितनी ऐसे लोगों के लिये है जो उस लिस्ट में और जोड़े गये हैं तथा कितने रुपये तक की आमदनी वालों के लिये यह छात्रवृत्ति निश्चित की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या पिछड़ी जातियों में भी अपर लोअर दो क्लास हैं ?

डाक्टर सीताराम—

गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो वजीफा मिलता है उसमें सभी जातियों के छात्र सम्मिलित हैं चाहे वे ब्राह्मण हों, ठाकुर हों अथवा पिछड़े वर्ग के हों । आमदनी के हिसाब से यह निर्धारित किया गया है । ५७ जातियां बैकवर्ड क्लासेज में हैं जिनमें ३६ हिन्दू हैं और २१ मोमिन अंसार आदि हैं। हमने मेरिट को ही आधार माना है यू० पी० के स्टाइपेंड के लिये ।

श्री अध्यक्ष—

क्या यहां की पिछड़ी जातियों में अपर लोअर हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को देखते हुए कि गजटेड या रेवेन्यू अफसर से प्रमाण पत्र लेने में छात्रों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है यह मेरी जानकारी में है और तहसीलदार नायब तहसीलदार को, वह कानूनगो को, वह लेखपाल को लिखते रहते हैं जो बिना पैसा लिये सर्टिफिकेट नहीं देते, और अंत में विधायकों को ही उनसे कहना पड़ता है, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इनके लिये उन विधायकों का ही सर्टिफिकेट पर्याप्त मान लिया जाय ?

डाक्टर सीताराम—

गवर्नमेंट आफ इंडिया की निर्धारित नीति के मुताबिक तहसीलदार या नायब तहसीलदार से जांच करा करके ही आवेदन पत्र संचालक या हरिजन वेलफेयर आफीसर को प्रस्तुत किया जाता है । जहांतक इन्कम की बात है वह ५०० रुपये तक है और इसमें करीब १२,१३ सौ विद्यार्थी अप्लाई करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह था कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेने में असुविधा होती है तो क्या आप विचार करेंगे कि विधायकों का सर्टिफिकेट जैसे हरिजनों के लिये पर्याप्त होता है वैसे ही पिछड़ी जातियों के लिए भी पर्याप्त माना जाय ?

डाक्टर सीताराम—

यह नहीं माना जा सकता ।

वाराणसी जिले में विमुक्त जातियों के पुनर्वास पर व्यय

*६—श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री (५ सितम्बर, १९६२) के लिये निर्धारित तारांकित प्र० २४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपीचन्द, सहायक निदेशक, हरिजन कल्याण ने जो २२५, मुसहर तथा कखल परिवारों के बारे में रिपोर्ट दी है और प्रकाश डाला है उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या उसमें पानी पीने के कुयें, मकानों तथा कृषि—साधनों की व्यवस्था के लिये भी कहा गया है और जिला अधिकारियों की राय से इन परिवारों को सुधारने की जो योजना बनाई जा रही थी क्या वह योजना अब तक बनी और कितनों को बसाया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

श्री गोपी चन्द्र, सहायक निदेशक हरिजन कल्याण की रिपोर्ट में मुसहर तथा करवल परिवारों की पीने के पानी की समस्या, मकानों तथा कृषि साधनों की व्यव स्था पर प्रकाश डाला गया है परन्तु इन परिवारों को बसाने के लिये वाराणसी जिले में अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है । यद्यपि इन जातियों को बसाने के लिये वाराणसी जिले को १९६१—६२ एवं ६२—६३ में ८०,००० रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से १,६०,००० रु० की धनराशि स्वीकृति की गई । यह धन ४,००० रु० प्रति परिवार के हिसाब से उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यय होना था । इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों तथा अध्यक्ष, जिला परिषद् से समय-समय पर पत्र व्यवहार होता रहा है परन्तु उन्होंने जमीन उपलब्ध कराने के प्रति बराबर असमर्थता ही प्रकट की है जिसके कारण इन्हें भूमि पर बसाने की योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है ।

२२५ परिवारों में कितने लाभान्वित हुए इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में कितने रुपये की व्यवस्था अब तक की गई है और उसमें से अब तक कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक वाराणसी जिले को विमुक्त जातियों के पुनर्वास के लिये १,६०,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से १७,८०० रुपये व्यय हुए ।

*८—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि जहां तक जमीन का सवाल है वह नहीं मिल पा रही है क्या सरकार पुनः उन नियमों में परिवर्तन करेगी कि कम से कम इन परिवारों को मकान, पानी पीने के कुयें तथा छोटे—मोटे उद्योग की व्यवस्था कर दी जाय ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायगा ? क्या सरकार को यह भी पता है कि जमीन न मिलने से रुपये का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां । वाराणसी जिले में इन जातियों को भूमि पर बसाने के लिये जमीन नहीं मिल रही है । इसलिये विमुक्त जातीय पुनर्वासन योजना में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है । जहां तक इन परिवारों को अलग से व्यक्तिगत आधार पर मकान तथा पानी पीने के कुयें बनवाने तथा छोटे मोटे उद्योगों की व्यवस्था करने का प्रश्न है इसके लिये जिले को अलग से प्रतिवर्ष धन स्वीकृत किया जाता है । जिला अधिकारियों को अधिकार है कि वे जिले के अन्य स्थानों के परिवारों के साथ इन परिवारों को भी इससे लाभान्वित करें क्योंकि जनतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं क्षेत्रीय समितियों की राय से ही यह धन खर्च किया जाता है ।

श्री ऊदल—

इस एक लाख ६० हजार रुपये में से १७ हजार रुपया ही खर्च हुआ है तो क्या सरकार जल्द से जल्द इस पर विचार करेगी कि जमीन की समस्या को हटाकर आवास, पानी और उद्योग की समस्या को हल कर दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह भारत सरकार की योजना है, इसलिये भारत सरकार से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हो रही है और उनके पत्र की प्रतीक्षा है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि अगर बनारस में यह रुपया इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो गाजीपुर को देने की कृपा करेंगे जहां बहुत जमीन उपलब्ध हो सकती है ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री ऊदल—

क्या सरकार को जानकारी है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने अपने उप निदेशक गोपीचन्द को इन १५ गांवों के बारे में जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था और एक विस्तृत योजना बनाने को कहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए और भूतपूर्व मुख्य मंत्री का खयाल करते हुए क्या इन गांवों के २२५ परिवारों के लिए कोई अलग से योजना बनायेंगे और अपनी स्टेट की तरफ से उनको बसाने और धंधा देने के लिये विचार करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

चूंकि वाराणसी में जमीन उपलब्ध नहीं थी इसीलिये इसमें संशोधन करने के लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है । यदि चुर्क में या अन्य जिलों में इन परिवारों को बसाने की वह इजाजत दे दें तो यह समस्या सुलझ जायगी ।

श्री ऊदल—

मेरा सवाल यह है कि क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री का खयाल करते हुए प्रदेश की सरकार कोई अलग से योजना बनायेगी और अपने रुपये से उनके लिये घरों का निर्माण, कुयें बनाने और उद्योग-धंधों की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह योजना तो जमीन मिलने पर ही कार्यान्वित कर सकते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह देखते हुये कि बनारस में जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है तो गाजीपुर में इस रुपये को देने की कृपा करेंगे जहां पर काफी जमीन है और बहुत ज्यादा बढ़ गयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य लिखकर दें तो शासन विचार करेगा ।

वजीफा कमेटी

*९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो जिलों में हरिजन उप-सहायक समितियां हैं उसके अन्दर जो वजीफा कमेटी हैं उस समिति में जिलों के सभी हरिजन विधायक सदस्य होते हैं पर पिछड़ी जाति के विधायक सदस्य नहीं होते ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर

विचार करने की कृपा करेगी कि भविष्य में उस वजीफा कमेटी के सभी पिछड़ी हुई जाति के विधायक भी अपने-अपने जिलों में सदस्य हुआ करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, हरिजन सहायक उप समिति (वजीफा कमेटी) में स्थानीय हरिजन विधायक सदस्य होते हैं। समिति में पिछड़ी हुई जति के विधायकों को सम्मिलित करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जायगा ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बहुत शीघ्र ।

*१०-१२-श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[हटा दिया गया ।]

*१३-श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[हटा दिया गया ।]

चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*१४-सर्व श्री कल्पनार्थसिंह तथा चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों ने किसानों का पैसा सन् १९६३-६४ का गन्ने की कीमत का इस वर्ष सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व दे दिया है और यदि नहीं दिया है, तो उन पर कुल कितना बकाया है और क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेश की लगभग ५० चीनी मिलों ने, जिनकी सूची संलग्न है, किसानों का पैसा सन् १९६३-६४ का गन्ने की कीमत का इस वर्ष सीजन प्रारम्भ होने के पूर्व भुगतान कर दिया था। शेष २० चीनी मिलें वर्ष १९६३-६४ का गन्ने के मूल्य का बकाया सीजन १९६४-६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व भुगतान न कर सकी थीं और इन मिलों के जिम्मे ३१ अक्तूबर, १९६४ को उक्त वर्ष के गन्ने के मूल्य का कुल १४.४७ लाख रुपया शेष था।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९० पर)

श्री कल्पनार्थसिंह—

१४ लाख रुपया जो गन्ना किसानों को ३१ अक्तूबर तक दिया गया, उसके बाद क्या कार्य-वाही की गयी किसानों को गन्ने की कीमत दिलवाने के लिये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उसके बाद बहुत से रुपये का भुगतान हो गया और ३१-१-६५ तक ५,६७ हजार रुपया बाकी था जिसमें से उसको छोड़ कर, जो कोआपरेटिव शुगर मिल है, बाकी के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ईश्यू कर दिये हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि जो रुपया बाकी है तो कौन सा मिल है जिस पर सबसे अधिक गन्ने का रुपया बाकी था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने पूरी लिस्ट दे दी है जिस जिस पर बकाया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रिकवरी सार्टिफिकेट आपने कब ईश्यू किये और आजतक उसकी अदायगी न देने से जो स्थिति पैदा हो गयी है उसके निराकरण के लिए आपने कौन से कदम उठाये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि ५०-६० करोड़ रुपया बाकी था, उसमें ५ लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाकी वाली जो मिलें हैं उनमें प्रायः देवरिया की सभी मिलें हैं और जबकि ५-५ रुपये मालगुजारी के लिये वारन्ट निकाल कर किसानों से वसूली की जाती है तो इस तरह के भुगतान के लिये किसी मिल वाले को गिरफ्तार करके कार्यवाही क्यों नहीं की गई

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

देवरिया में तो कोई ऐसी मिल दीखती नहीं, भटनी में शायद है.... (व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह---

इसमें सब नाम लिखे हैं, आप कहते हैं नहीं हैं....

श्री रामसूरत प्रसाद---

गोरखपुर की कौन-कौन-सी मिलें हैं जिन पर बकाया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

वहां शायद एक मिल है जिस पर ३५ हजार है ।

*१५-१७---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१८---श्री जगन्नाथ राव---

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

स्त्रियों के अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अधिनियम का प्रवर्त्तन

*१९---श्री जगन्नाथ राव---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्त्रियों के अनैतिक व्यापार अधिनियम को प्रदेश के किन-किन जिलों व नगरों में लागू किया गया है और जौनपुर शहर में न लागू करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जौनपुर नगर में भी उसे शीघ्र लागू करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

सप्रेशन आफ इम्मारेल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ प्रदेश भर में लागू है अतः इसके जौनपुर शहर में न लागू होने का प्रश्न नहीं उठता ।

नोटः---तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२०–२२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

संयुक्त जांच समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*२४–श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पटेल संयुक्त जांच समिति के अन्दर जो ४ जिले लिये गये थे उनमें समिति की सिफारिश के अनुसार अभी तक क्या-क्या कार्य किये जा चुके हैं तथा कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

संयुक्त जांच समिति की संस्तुति के आधार पर जिन परियोजनाओं पर परिव्यय बढ़ाया गया है तथा जो नये सिरे से ली गई हैं वे संलग्न सूची में दिखाई गई हैं। इन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। चारों जिलों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ३० सितम्बर, १९६४ तक योजनागत व्यय को मिलाकर, कुल २.७४ करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९१–३९२ पर)

*२५–२६—[हटा दिये गये।]

बाराबंकी जिले में गन्ना समितियां

*२७—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में कहां-कहां केन यूनियन आफिस हैं और कौन-कौन सी० डी० आई० कब-कब से काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न तालिका 'क' में है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९३ पर)

*२८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

उपर्युक्त सी० डी० आई० ने सन् १९६४ की जनवरी से दिसम्बर, १९६४ तक कितनी-कितनी छुट्टियां और किस-किस प्रकार की लीं ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न तालिका 'ख' में है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९४ पर)

*२९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हर एक केन यूनियन को सन् १९६३–६४, १९६४–६५ में कितनी-कितनी खाद दी गई और उसका वितरण किस प्रकार हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

हर एक केन यूनियन को १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में जो खाद दी गई तथा इन यूनियनों ने जितनी खाद उन वर्षों में वितरित की उसका विवरण तालिका 'ग' में है। खाद का वितरण काश्तकारों को उनके मांग पत्रों की जांच के उपरान्त नक्द व ऋण के रूप में किया गया।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

*३०–३१—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिया गया।]

नन्दगंज के थानेदार द्वारा षड़यन्त्र की जांच

*३२—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले से सम्बन्धित कोई जालसाजी सम्बन्धी गम्भीर मामल का शिकायती-पत्र दिनांक २६ अक्तूबर, १९६४ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां।

जांच से प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायत सही नहीं पाई गई इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*३३—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि जालसाजी सम्बन्धी एक गम्भीर मामले के सम्बन्ध में गाजीपुर जिले के थाना नन्दगंज के थानेदार ने नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६४ में इंक्वायरी की थी? यदि हां, तो उक्त इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना नंदगंज के थानेदार ने प्रश्न ३२ में उल्लिखित मामले के बारे में दिसम्बर, १९६४ में जांच की थी। थानाध्यक्ष ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि जो शिकायत की गई है वह आपसी झगड़े के कारण की गई है, और सही नहीं है।

*३४—श्री उग्रसेन—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

कोखराज थाने में अपराध

*३५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के थाना कोखराज के अन्तर्गत भरवारी ग्राम में १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक चोरी, डाके एवं राहजनी की कितनी घटनायें हुयीं? उनमें से कितनी घटनाओं में चोरी में गया माल वापस मिला तथा कितनी घटनाओं में अपराधी दंडित किये गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इलाहाबाद जिले के थाना कोखराज के अन्तर्गत ग्राम भरवारी में १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक चोरी की १५ घटनायें हुईं। अब तक किसी घटना में न तो चोरी गया माल वापस मिला है और न कोई अपराधी दंडित हुआ है।

उक्त अवधि में डाके एवं राहजनी की कोई घटना ग्राम भरवारी में नहीं हुई।

*३६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भरवारी में दिनांक ३० नवम्बर, १९६४ व १ दिसम्बर, १९६४ की रात्रि में किस-किस व्यक्ति के यहां चोरी हुई तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम भरवारी में दिनांक ३०-११-६४ व १-१२-१९६४ की रात्रि में श्री राम कुमार, पुत्र जुगल किशोर के घर चोरी हुई। मामले में जांच जारी है।

*३७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३८—श्री नाथूराम शिक्षक—

[पांचवे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन बोर्ड

*३९—श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन बोर्ड यू० पी० के सदस्यों का समय बहुत दिनों से समाप्त हो गया है, पर उसके सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं किया गया है, इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—

अ—राजाज्ञा संख्या १६४१/२६—८५१/१९५९, दिनांक ८ अगस्त, १९६१ के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है।

ब—प्रश्न नहीं उठता।

*४०—श्री शिवनाथसिंह—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

सैदपुर थाने में श्री द्वारिकाप्रसाद के घर चोरी

*४१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५-६ जुलाई, सन् १९६४ की दरम्यानी रात में श्री द्वारका प्रसाद सिंह, भू० पू० डाइरक्टर, चकबन्दी के घर मौजा मढ़िया, थाना सैदपुर, गाजीपुर में जो चोरी हुई थी उसके सम्बन्ध में श्री टिभोलू, और सरजू तथा श्री फुल्ले, साकिन मढ़िया पकड़ कर थाने ले जाये गये जिनमें टिभोलू और सरजू को इन्चार्ज, थाना सैदपुर ने छोड़ दिया और फुल्ले की गिरफ्तारी १६ जुलाई सन् १९६४ को कुछ चोरी का माल दिखाकर १७ जुलाई को चालान किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक ५-६ जुलाई, १९६४ की रात्रि में श्री द्वारका सिंह भूतपूर्व डाइरेक्टर चकबन्दी के घर में चोरी के संबंध में सैदपुर की पुलिस ने फुल्ले, निवासी ग्राम मढिया को १६-७-१९६४ को गिरफ्तार किया और १७-७-१९६४ को जेल भेज दिया। श्री टिभोलू और श्री सरजू को पुलिस ने नहीं पकड़ा।

*४२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या इस सम्बन्ध में श्री कमला सिंह, एम० एल० ए०, का कोई पत्र भी गृह मंत्री को मिला था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। उसमें अंकित आरोपों की जांच कराई गई। आरोप सही नहीं पाए गए। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*४३-४४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिकन्दराराऊ थाने में हस्तक्षेप्यापराध

*४५—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६३-६४ में थाना सिकन्दराराऊ में कितने कागनीजेबिल जुर्म हुये तथा उनमें से कितनों की जांच हुई और जो मामले समाप्त किये गये उनमें परगनाधीश की क्या रिपोर्ट थी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१९६३ व १९६४ में थाना सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में हुए कागनीजेबुल जुर्म के संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। जो मुकदमें अदालत परगनाधीश से संबंधित थे उनमें किसी में भी अंतिम रिपोर्ट नहीं लगाई गई और सब ही चालान अदालत हुए।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९६ पर)

*४६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या जो मुकदमें खत्म किये गये वे उनके कारण हाकिम परगना को थाना इंसपेक्टर ने दिये थे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो मुकदमें अदालत परगनाधीश से संबंधित थे, उनमें से कोई भी खत्म नहीं हुआ। अतः थाना इंसपेक्टर को मुकदमा खत्म करने का कारण परगनाधीश को देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४७—[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र, जनेश्वर मिश्र, तथा अन्य व्यक्तियों की नजरबन्दी

*४८—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या गृह मंत्री को पता है कि संयुक्त समाजवादी दल के कार्यकर्ता और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, श्री जनेश्वर मिश्र, को इलाहाबाद के एस० एस० पी०, श्री गुलाटी, ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गत छः महीने से नैनी सेन्ट्रल जेल में बन्द कर के रखा है? यदि हां, तो मन्त्री जी श्री जनेश्वर मिश्र के भाषणों के उन उद्धरणों को पढ़ कर सदन में सुनायेंगे जिनके आधार पर श्री जनेश्वर मिश्र भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में बन्द हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री जनेश्वर मिश्र को कुछ आपत्तिजनक भाषण देने के कारण डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स, १९६२ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। उनका मामला अदालत के विचाराधीन है। अतएव इस सम्बन्ध में कुछ कहना उपयुक्त न होगा।

*४९—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सारे उत्तर प्रदेश में कितने लोग भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत विभिन्न जेलों में बन्द हैं और वे किन-किन राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१५-२-१९६५ को इस प्रदेश में ९७ व्यक्ति डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत विभिन्न जेलों में नजरबन्द थे। उनमें से ७७ व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी, १ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा बाकी १९ ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्बन्ध किसी पार्टी से नहीं है।

*५०-५२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

[चौथे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५३-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इलाहाबाद में इन्टरमीडिएट बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी, श्री कपूर, पर आक्रमण

*५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद के हाई स्कूल व इण्डरमीडिएट बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी, श्री कपूर, को दिनांक १८-१२-६४ की शाम को जब वे कार्यालय से अपने निवास स्थान वापस जा रहे थे उनको (कम्पनी बाग) मोती लाल नेहरू पार्क के अन्दर लाठियों से बुरी तरीके से पीटा गया जिसके बाद वह तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में चोटों का इलाज कराते रहे ? यदि हां, तो उनके कितनी चोटें थीं तथा उनके घायल करने वाले कौन लोग थे और कितने आदमी उसमें अब तक गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। १८-१२-१९६४ की शाम को श्री कपूर को दो अज्ञात व्यक्तियों ने हाकी स्टिक से घायल किया था। श्री कपूर ने अपना इलाज तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में कराया। श्री कपूर के शरीर पर ६ चोटें पाई गई थीं।

अभी तक किसी अभियुक्त का पता नहीं चला है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुफस्लाइट प्रेस, इलाहाबाद, में प्रकाशन में गड़बड़ी

*५४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी प्रेस इलाहाबाद में सन् १९६२ में इलाहाबाद के किसी प्रेस सम्भवतः मुफस्लाइट को विकास आयुक्त, लखनऊ की तीन किताबें ३० हजार की संख्या में छापने को दीं ? यदि हां, तो क्या जब किताबें छप कर आयीं तो प्रत्येक किताब में ५० पेज कम छपे थे जिसकी शिकायत कुछ विकास अधिकारियों ने की और बाद में इस शिकायत को डेवलपमेंट कमिश्नर ने सुपरिन्टेन्डेन्ट सरकारी प्रेस को लिखा कि उस प्रेस को ब्लेक लिस्ट में कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, राजकीय प्रेस, इलाहाबाद ने मुफस्लाइट प्रेस को विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, की तीन किताबें छापने को दी थीं। विकास आयुक्त ने शिकायत की थी कि किताबों में लगभग ५० पन्ने कम व यथास्थान नहीं थे। विकास आयुक्त ने उक्त प्रेस को ब्लैकलिस्ट किये जाने के लिये अधीक्षक, राजकीय प्रेस को नहीं लिखा था।

*५५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्न संख्या १ के अनुसार ५० पेज कम छापने पर ४०० रिम कागज लगभग ८,००० रु० का छपाई के अलावा बचाया ? यदि हां, तो इस प्रकार सरकारी पैसों के गबन तथा दुरुपयोग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, और नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुफस्लाइट प्रेस को उन पन्नों को छापकर किताबों में यथास्थान लगाने का आदेश दिया गया और वह इस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर देंगे। अतः सरकारी पैसों के गबन अथवा दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

*५६-५७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[पांचवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५८—श्री कमलासिंह यादव—

[हटा दिया गया।]

*५९-६०—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

गन्ना क्रय-कर

*६१—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने के प्रति मन खरीद-कर (पर्चेज टैक्स) में वृद्धि की गई ? यदि हां, तो कुल कितनी और ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। गन्ने के प्रति क्विंटल खरीद-कर (Purchase Tax) की दर गुड़, राब तथा खांडसारी यूनिटों पर २५ पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ५० पैसे प्रति क्विंटल कर दी गई है। यह वृद्धि चीनी मिलों को गन्ने की कम सप्लाई के कारण गिरती हुई स्थिति को ठीक करने के दृष्टिकोण से की गई है।

खादी उद्योग सहकारी समिति, मधुवन

*६२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, मधुवन, जिला आजमगढ़ को पांच हजार दो सौ रुपये देने का आदेश दिनांक १५ जून, १९६४ को सचिव, उत्तर प्रदेश, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, राजभवन, तिलक नगर (कानपुर) द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि समिति को अब तक न मिलने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

खादी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, मधुवन, आजमगढ़ को धनराशि इसलिये नहीं मिल सकी कि समिति ने अब तक आवश्यक फार्म भर कर तथा विवरण इत्यादि खादी कमीशन बम्बई को नहीं भेजे हैं।

*६३-६५—[हटा दिये गये।]

*६६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

ए० डी० एम० (जे) बस्ती

*६७—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए० डी० एम० (जे) बस्ती ने मार्च-अप्रैल, १९६४ में रुग्ण अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश पर कितने दिन रहे और कितने दिन कोर्ट में आ कर काम किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ए० डी० एम० (जे) बस्ती मार्च-अप्रैल, १९६४ में केवल ३ और ४ मार्च को आकस्मिक अवकाश पर रहे। शेष कार्य दिवसों में उन्होंने न्यायालय में जाकर कार्य किया।

*६८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[४ थे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[चौथे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

डिडौली थाने में बन्दूक व रिवाल्वरों के लाइसेन्स

२—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि थाना डिडौली, जिला मुरादाबाद, में १ जनवरी, १९६४ और ३१ दिसम्बर, १९६४ के बीच किन-किन लोगों को बन्दूकों, रिवाल्वरों के लाइसेन्स दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३९७ पर।)

पुलिस कर्मचारियों को रिटायर करना

३—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कितने पुलिस कर्मचारियों को वक्त से पहले रिटायर करने जा रही है और ऐसे लोग कब तक रिटायर कर दिये जायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सन् १९६४ से अब तक ८६ पुलिस कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने के आदेश जारी किये गये हैं।

फर्रुखाबाद जिले में रिवाल्वर व पिस्तौल के लाइसेन्स

४--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में माह सितम्बर, १९६४ से दिसम्बर, १९६४ तक कितने व्यक्तियों को रिवाल्वर, पिस्तौलों के लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

फर्रुखाबाद जिले में सितम्बर, १९६४ से दिसम्बर, १९६४ तक ११ व्यक्तियों को रिवाल्वर, पिस्तौल के लाइसेंस दिये गये हैं।

५--६--श्री बृजबिहारी--

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

विधान भवन के मुख्य द्वार पर लान की घास

७--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि असेम्बली भवन के प्रवेश द्वार पर छोटे बड़े फूलों के लान हैं उसमें सन् १९६३ ई० में लान की पुरानी किस्म की घास खोद कर दूसरी घास लगाई गई यह समझकर कि वह घास अच्छे किस्म की है किन्तु सन् १९६४ ई० में वही घास खोद कर दूसरी घास लगाई गई जो योरप से मगांई गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। सन् १९६३ में प्रवेश द्वार के दोनों तरफ के लानों में न खुदाई की गई और न घास लगाई गई। सन् १९६४ में घास जो लगाई गई वह योरप से नहीं मगांई गई।

८--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आफिसर इस तरह धन का अपव्यय करते व कराते हैं उनके साथ क्या सरकार कोई प्रतिबन्ध लगाने को तैयार है और सन् १९६३ की घास खुदाई व लगाई तथा १९६४ में खुदाई व लगाई व घास के मंगाने में पृथक-पृथक क्या व्यय हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता।

सन् १९६४ में घास मगांने में केवल १५ रु० ढुलाई में खर्च हुआ। घास का कोई दाम नहीं दिया गया। प्रवेश द्वार के आस पास के लानों की खुदाई व घास लगाई में लगभग ६०० रु० व्यय हुआ।

बांदा में महाकवि पद्माकर का मन्दिर

९--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में प्राचीन महाकवि श्री पद्माकर जी का प्राचीन मन्दिर आज भी जीर्ण अवस्था में विद्यमान है ?

१०—क्या मंत्री जी उपरोक्त श्री पद्माकर कवि के प्राचीन मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

मछलीशहर तहसील में उद्योग ऋण वितरण

११—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील में लघु उद्योगों के चलाने के लिये किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना धन किन-किन उद्योगों के लिये दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना सदन की मेज पर संलग्न सूची में रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३९८ पर ।)

१२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त प्रश्न के अन्तर्गत जिन उद्योगों को चलाने के लिये धन दिया गया उनमें कौन से उद्योग धन्धे प्रारम्भ हुये और जिन व्यक्तियों ने धन लेकर काम नहीं किया उनके साथ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनमें से गुड़-खांडसारी, लकड़ी फर्नीचर तथा पी० आर० ए० टाइप लैट्रिन बनाने के एक-एक यूनिट चल रहे हैं । दो व्यक्तियों के धन के उपयोग की अवधि अभी शेष है जो ऋण का उपयोग कर रहे हैं । बाकी १२ व्यक्तियों ने धन का उपयोग नहीं किया है । उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हो रही है कि सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त वसूल कर ली जाय ।

अंग्रेजी में साहित्य मिलने पर आपत्ति

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

पिछली बार अंग्रेजी की कुछ पुस्तके बटीं थीं तो आपने कहा था कि मैं देखूंगा । इसके अलावा न्यायपालिका बनाम विधायिका वाला जितना साहित्य था वह भी अंग्रेजी में मिला । उस पर भी मैंने कहा था कि यह सब की समझ में नहीं आ सकता, सदन की भाषा हिन्दी है, हिन्दी में मिलना चाहिये । उस पर भी आपने कहा था कि विचार करूंगा । आज मैं आपके सामने तीसरी बात रखना चाहता हूं, आज एक पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश का मिला है, इसमें भी अंग्रेजी में ही लिखा है.....(व्यवधान) तो, श्रीमन्, मैं आपकी निश्चित व्यवस्था चाहता हूं और आप यह मालूम करें कि ऐसी गलती क्यों हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

आज जो वितरित हुआ है उसे मैंने देखा । उस पर जो तिथि पड़ी है वह १५ दिसम्बर, १९६४ है । वह २६ जनवरी, १९६५ से पूर्व का पत्र है । इसलिये मैंने यह आज्ञा दे दी थी

[श्री अध्यक्ष]

कि इसे वितरित कर दिया जाय, हालांकि मैंने यह आदेश सचिव को दे दिये हैं कि वे पूछ लें कि यह प्रतियां हिन्दी में भी उपलब्ध हैं, अगर हों तो हिन्दी में ही दिये जांय। जितने भी पत्र वितरित हुए हैं, अगर वे २६ जनवरी, १९६५ के पहिले के हैं तो उनका हम अनुवाद नहीं दे सकते हैं।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी का नाम पुकारा गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, अगर ऐसा होगा तो.....

(श्री हरीश कुमार गंगवार ने साहित्य को फाड़ दिया और सदन को छोड़कर बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

अगर इस तरह के प्रदर्शन आप करेंगे तो उसके लिये आपको जवाब देना पड़ेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि २६ जनवरी से जो पहिले के अनुवाद होंगे उनका अनुवाद नहीं देंगे। श्रीमन्, जब हमारे यहां नियम बन चुके हैं तो भी क्या आप हिन्दी अनुवाद नहीं दिलायेंगे.....

श्रीमन्, इस अंग्रेजियत को रोकिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, आप समाप्त करिये। बीच-बीच में मत बोलिये। आप बैठिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि हिन्दी संबंधी आन्दोलन के विषय में समाचार-पत्रों में मैंने यह पढ़ा है कि बनारस और अलीगढ़ में इससे वातावरण क्षुब्ध तथा असन्तुष्ट है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जो दिल्ली गई थीं। कदाचित् इस संबंध में कुछ निर्णय लिया गया होगा। क्या आप उचित समझेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जो इस संबंध में सरकार की ओर से अपना वक्तव्य दे दें?

श्री अध्यक्ष—

जब वे आ जांय तो पूछियेगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। श्री हरीशकुमार गंगवार ने यह जो कागज सदस्यों की मेज पर रक्खा गया है उसको इस सदन में फाड़कर फेंक दिया है। मैं, इसलिये, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपके सन्मुख रखता हूं।

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज रूल्स की अनुसूची (शेड्यूल) ६ में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८८८५—बी/३३८७—६४, दिनांक ५ जनवरी, १९६५ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

गृह मन्त्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र का एक विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न आया है । मैंने सवेरे प्रयत्न किया था कि माननीय गृह मंत्री से बातचीत करूं लेकिन उनसे उस समय बातचीत नहीं हो सकी । यह कल के सन्दर्भ में है ।

" मैं माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं क्योंकि २४—२—६५ को आदरणीय सदन के अन्दर प्रश्नोत्तरकाल में जब मैं माननीय सहकारिता मंत्री से आपकी आज्ञा द्वारा पूरक प्रश्न पूछ रहा था तो उसी सिलसिले में ठा० हरगोविन्दसिंह जी ने कहा था कि "यह सवाल बाहर चलकर पूछो तो देख लेंगे ।" मैंने फौरन व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होकर आपका ध्यान आकृष्ट किया तो फिर बड़े ताव से माननीय गृह मंत्री ने उन्हीं शब्दों को दोहराया—जो सदन की कार्यवाही में दर्ज हैं । माननीय गृह मंत्री के इस प्रकार के वाक्य और आचरण स्पष्ट रूप से माननीय विरोधीदल के सदस्यों के स्वतंत्र रूप से अपने विधायी कार्यों के संचालन में बाधक हैं और इस प्रकार के शब्दों और आचरण से सदन का अवमान हुआ है जब आपने गृह मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की तो माननीय गृहमंत्री ने सामंती मुद्रा में खड़े होकर कहा "जब मैं इस सदन में बैठता हूं मुझे बड़ा दुःख होता है" । माननीय गृह मंत्री का यह वाक्य सारे सदन के माननीय सदस्यों के कार्यकलाप और स्वयं माननीय अध्यक्ष के कार्य संचालन विधि पर आक्षेप था ।

अतः मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ।"

क्या गृह मंत्री इस संबंध में कुछ कहेंगे ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है । कोई विषय जिस पर सदन में विचार हो रहा है वह प्रिविलेज कमेटी के समक्ष नहीं जायगा । इस संबंध में पहले ही आपसे व्यवस्था ले चुका हूं । अगर आप इसको यहां ले रहे हों तो माननीय गृह मंत्री को बुलाइये । उस दशा में सदन ही उसको तय करेगा यदि सदन के समक्ष अपमान हुआ हो ।

श्री अध्यक्ष—

यह एक भ्रम है, जिसको मैं दूर करना चाहता हूं । किसी विषय को जो सदन के समक्ष हुआ हो और विशेषाधिकार की अवहेलना का हो, उसके ऊपर सदन में तुरन्त ही विचार होना चाहिये, ऐसी बात नहीं है । नियम ८२ के अन्तर्गत किसी विषय को जांच के लिये और

---

*छापे नहीं गये ।

[श्री अध्यक्ष]

उसमें प्रतिवेदन देने के लिये मैं विशेषाधिकार समिति को भेज सकता हूं और पूछ सकता हूं कि घटना हुई है या नहीं, घटना हुई तो क्या बात हुई। इन सब बातों के लिये नियम ८२ में लिखा है—

"इन नियमों में किसी बात के रहते हुए भी अध्यक्ष विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को परीक्षा, जांच या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे और उससे सदन को अवगत करायेंगे।"

तो मुझे यह अधिकार है, और कोई पाबंदी नहीं है। यह प्रश्न अब समाप्त हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यह अधिकार केवल सदस्यों को ही प्राप्त है, इनको प्राप्त नहीं है। इसलिये आप उनको यह अधिकार नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष—

सदस्य की परिभाषा देख लीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में तमाम सदस्य तमाम तरह की बातें करते हैं और माननीय गृह मंत्री ने, न खड़े होकर कोई जवाब दिया और न ही उनका आपने नाम पुकारा और यह जो आपने व्यवस्था दे दी है उसमें मैं आपकी फिर व्यवस्था चाहता हूं कि बैठे-बैठे तमाम विरोधी पक्ष के सदस्य आपस में तमाम बातें करते हैं और इसलिये आप नाम पुकारें। क्या इस संबंध में इनके खिलाफ भी विचार किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मिश्रा जी की बात समझा नहीं। उनका कदाचित मतलब यह है कि अगर किसी का नाम मैं न पुकारूं और माननीय सदस्य नाम न पुकारे जाने पर भी कोई बात कह दें, तो उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिये। ऐसा नहीं है। अगर कोई सदस्य तरह-तरह की बात कहें, तो आपको अधिकार है कि तुरन्त खड़े होकर मेरा ध्यान आकर्षित करें; विशेषाधिकार-अवहेलना अगर होती है, तो उसके संबंध में सूचना दें। जो भी बात आप अनियमित समझें, नियमों के अन्तर्गत, उस पर आप मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। किसी ने कोई बात कह दी और मैं न सुन पाया, तो आपका अधिकार है कि आप मेरा ध्यान आकर्षित करें। यहां बहस नहीं हो सकती कि अमुक व्यक्ति झूंठ बोला है। यह बहस ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है, गलत है। कल जो बातें हुई थीं, उसका उद्धरण नहीं है और यदि आप क्षमा करें, तो चूंकि मुझे दूसरा कोई शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिये, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह न समझा जाय कि मैंने भवन का अनादर किया है। यहां जब मैं सवालों का जवाब दे रहा था, तो जहां तक मुझे स्मरण है, और वह आपके सामने दोहरा भी दे रहा हूं, सवाल मुझसे पूछा गया कि क्या इसकी इन्क्वायरी एस० पी० द्वारा की गयी। मैंने उसका उत्तर दिया कि इसकी जांच एस०-पी० ने नहीं की। उसी समय श्री काशीनाथ जी ने उठकर खड़े होकर कहा कि गृह मंत्री ने अपने रिश्तेदार को डाके से छुड़वाने के लिये एक दरोगा के ऊपर सख्त कार्यवाही की। यह कहना कि आपका ध्यान उस ओर नहीं गया था जहां तक मुझे याद है गलत होगा, क्योंकि आपका ध्यान उस ओर गया और आपने उनसे कहा कि आप बैठ जाइए, आप सदन की कार्यवाही को

डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब वर्ड पर नेकराम शर्मा जी ने एक आपत्ति उठाई कि आपने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक दूसरा सवाल पूछा गया, मैं यह समझता था कि अभी हम ही से सवाल पूछा जायगा, तब मैं उत्तर दे दूंगा लेकिन उसी बीच में, श्रीमन् आपने, एक दूसरे किसी ने एक सप्लीमेंटरी पूछा मुझसे, उसको एलाऊ न करके, सहकारिता मंत्री जी का प्रश्न ले लिया, तो उसमें भी उन्होंने यह आक्षेप उठाया और उनके ऊपर यह आक्षेप किया जिसका मतलब था कि वह भी बेईमानी से कुछ कर रहे हैं, तब मैंने बैठे-बैठे यह उनसे जरूर कहा कि यह जो आक्षेप लगा रहे हैं, अगर आप सदन के बाहर लगावें, तो मैं देख लूंगा।

श्रीमन्, इतना तो मुझे याद है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर पर जब भवन में आक्षेप किया गया, तो उन्होंने उठकर कहा कि अगर भवन के बाहर यह आक्षेप लगायें, तो मैं उसकी समुचित कार्यवाही करूंगा।

उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जब यह कहा गया, तो उन्होंने भी यह कहा कि अगर भवन के बाहर यह आक्षेप आप करें, तो मैं भी उसको समझ लूंगा या देख लूंगा।

श्रीमन्, आपके यहां जब श्री राजनारायण जी मेम्बर थे, उन्होंने हमारे एक सहयोगी श्री कमलापति जी के ऊपर जब आक्षेप लगाया, तो कमलापति जी ने भी यही कहा था और कल माननीय उप-नेता सदन ने मुझको यह बताया कि उन पर भी कोई आक्षेप लगाया गया था तो उन्होंने भी यह कहा। तो श्रीमन्, जब मैंने यह कहा कि अगर सदन के बाहर यह आक्षेप आप लगावें तो मैं भी आपको देखूंगा तो मैं, श्रीमन्, चाहूंगा यह जानना कि किस नियम का मैंने उल्लंघन किया है। मेरे ऊपर आक्षेप किया गया, मेरे ईमान के ऊपर आक्षेप किया गया, मैंने उनसे अनुनय किया, विनय की, आग्रह किया और यह कहा कि आप इसको सदन के बाहर करें, यहां तो आप सुरक्षित हैं, सदन के बाहर अगर आप यह आक्षेप लगावें तो मैं भी जो कार्यवाही मुझसे हो सकेगी, करूंगा, तो मैं समझता हूं कि मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया जो कि मैं अब भी मानता हूं श्रीमन्, कि बैठे-बैठे मैंने यह कहा था और उन्होंने जो आक्षेप लगाया था खड़े होकर के लगाया था, वह आपकी नोटिस मे श्रीमन्, आया, आपने उनको मना भी किया और मैंने बैठे-बैठे उसका जवाब दिया। तो न मैंने भवन का कोई अपमान किया है और न मेरी अपमान करने की कोई नीयत थी। मैं समझता हूं कि नियम के अन्दर ही मैं था और नियम का कोई उललंघन नहीं हुआ। मेरे ईमान पर आक्षेप किया गया। मैंने उनसे कहा कि भवन के बाहर आप यह आक्षेप लगाइए, मैं भी जो समुचित कार्यवाही होगी करूंगा, यह मैं समझता हूं कि मैंने उचित ही किया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसे सुनकर के कोई व्यवस्था दें तो शायद इस सदन में जो रोषपूर्ण वातावरण हैं उसमें कुछ लोगों को समझने बूझने का मौका मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक सदस्य जो सदन का सदस्य है और सदस्य होने के बाद अगर वह कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो अगर कोई प्रश्न मंत्री से किया गया और वह उसका जवाब दे रहे थे, उस बीच में एक सदस्य ने किसी सदस्य के बारे में कोई बात कह दी तो क्या वह सदन के सदस्य की हैसियत से उस बात का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यहां दो पोजीशन हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन है, माननीय हरगोविन्द-सिंह ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से किया हो, वह आदरणीय सदन के सदस्य हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

जरा शान्त रहें। आपको शान्तिपूर्वक सुनने में क्या परेशानी है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

परेशानी यह है कि हमको तो आपने टोक दिया और जब वह कह रहे हैं कि मंत्री के अलावा सदस्य हैं तो आप उनको भी तो टोकिए..... (शोर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें कि जब एक माननीय मंत्री सदस्य की हैसियत से किसी दूसरे सदस्य का जवाब दें तो उस समय इस तरह का प्रिविलेज मोशन लाना या यह कहना कि मन्त्रि परिषद् के पद का दुरुपयोग किया, कहां तक मुनासिब है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बहस में मुझे जो दिक्कत हो रही है वह यह है कि .... (शोर)

(एक सदस्य के खड़े होकर जोर से बोलने पर)

अब अगर आप चुपचाप नहीं बैठ सकते तो बाहर जाइये..... (शोर) .....

अगर सदन इस पर विचार करने को तैयार नहीं है तो मैं आगे चलूं ? आप चुपचाप नहीं बैठ सकते और मेरी 'बात नहीं सुना चाहते.....तो फिर आप बैठिये।

माननीय नरसिंहनारायण जी, आपकी बहस में जो दिक्कत मुझे मालूम होती है वह यह है कि माननीय हरगोविन्दसिंह यहां जो बैठते हैं वह बहैसियत मंत्री के बैठते हैं। .... (व्यवधान)..... जरा चुप रहिये। जो इस सदन का सदस्य न हो, वह यहां केवल मंत्री की हैसियत से बैठ सकता है, चाहे वह चुना न गया हो और चाहे वह परिषद् का सदस्य हो। अगर वह मंत्री न होते तो यहां आकर बैठ नहीं सकते। इसलिये पांडेय जी की बहस ठीक नहीं बैठती।

जो कार्यवाही अभिलिखित है वह यही है कि माननीय काशीनाथ जी ने कहा था : "श्रीमन्, इनके रिश्तेदार रामसूरतसिंह को छुड़ाने के लिये खुद जा सकते हैं।" मंत्रीजी का जवाब यह था कि जांच तो स्टेशन अफसर करता है, डी० एस० पी० या एस० पी० को खास तरीके से कहा जाय तभी वे जांच करते हैं वरना वे जांच नहीं करते। काशीनाथ जी ने बीच में कहा "श्रीमन्, इनके रिश्तेदार रामसूरतसिंह को छुड़ाने के लिये खुद जा सकते हैं।" क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे सिर्फ यह मालूम हुआ कि बीच में रुकावट डाल रहे हैं। तब मैंने कहा कि आप बीच में न बोलिये, कृपया बैठ जाइये। उसके बाद प्रश्न यह उठा कि आपने (मंत्री जी ने) इन शब्दों का प्रयोग किया। जहां तक हमारे अभिलेख का संबंध है, उसमें लिखा है कि माननीय काशीनाथ ने खड़े होकर यह कहा कि माननीय हरगोविन्द सिंह हमें धमकी दे रहे हैं कि बाहर चलो तो देखेंगे। उस पर मंत्रीजी ने कहा हां, फिर मैं यह कहता हूं।

"श्री बनारसीदास सहकारी में कांग्रेस और गैर-कांग्रेसी का सवाल नहीं है। इसमें मैनेजर सिंह भी हैं और दूसरे लोग भी हैं।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा प्रश्न जिनके खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत है, कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं और वह कौन हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जभी यहां कह रहे हैं, बाहर चलकर कहो तो देखें।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि उसमें कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी सभी हैं लेकिन जो अभियोग है उनको सत्य नहीं माना जा सकता जब तक जांच न हो जाय ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

सहकारिता में भ्रष्टाचार बहुत विस्तार से फैला हुआ है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय कौंसिल के सदस्य अपने विभाग के अलावा दूसरी कार्यवाहियों में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, अभी मैं आपकी आज्ञा से सवाल कर रहा था तब हरगोविन्दसिंह, माननीय गृह मंत्री, हमको धमकी देकर कहते हैं कि बाहर चलकर कहो तब देखेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अब भी कहता हूं ।

मंत्री जी का कहना यह है कि जो कार्यवाही में लिखा है वह गलत लिखा है । मैं तो यह समझता था कि कदाचित माननीय गृह मंत्री यह नियम जानते नहीं हैं कि अगर अध्यक्ष पीठ से किसी बात के सम्बन्ध में यह कह दिया जाय कि यह अशोभनीय है तो माननीय सदस्य के लिये शोभा यह देता है कि वह कह दें कि अच्छा, उसको वापिस लेता हूं । मैंने कल वह व्यवस्था दी थी । मंत्री जी ने उस संबंध में कुछ आज उदाहरण दिये । मैं उनको देखने के लिये तैयार हूं । मेरा यह खयाल था कि आज शायद आप यह उचित समझें कि आप यह बात कहें कि आप अपने कहे हुये को वापस करने के लिये तैयार हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

क्या कहलाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपके शब्दों को अशोभनीय कहा है, तो क्या आप उसे विदड्रा करते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे कोई एतराज न होता अगर आपने पहले मुझसे पूछ लिया होता । लेकिन जब तक मैं सदन में हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर उसे वापिस करने के लिये तैयार हूं, क्योंकि मैं सदन के डिसप्लिन में रहूंगा । लेकिन मैं आपसे यह उम्मीद करता था कि आप हमसे पूंछ लेते, तब अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करते ।

श्री अध्यक्ष—

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय अनुशासन के अन्तर्गत उन शब्दों को वापिस लेने के लिये तैयार हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

किन शब्दों को ?

श्री अध्यक्ष—

जो आपने कहा कि बाहर चलो, तो देखेंगे । आपने बाद में कहा कि आपने ये शब्द नहीं कहे हैं बल्कि यह कहा है कि बाहर चलकर कहिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने कहा कि बाहर चलकर इन शब्दों को दोहराइये ।

श्री अध्यक्ष—

आपसे बातचीत होने के बाद भी मैंने यह कहा था "अगर यह बात मान लूं कि आपने केवल यह कहा कि बाहर कहिये, तब भी मैं यह कहूंगा कि किसी प्रकार से मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा ऐसी भाषा में किसी को उत्तर न दिया जाय । जो प्रश्न यहां पर होते हैं उनके उत्तर में कोई बात ऐसी न हो जिससे किसी के ऊपर यह प्रभाव पड़े कि हम किसी को प्रश्न करने में अड़चन डालना चाहते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि यह कहने की क्या आवश्यकता है कि बाहर चलिये । यह मेरी व्वयस्था है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आप हमको तो बाहर निकाल देते हैं । मंत्री जी को भी बाहर निकालिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैनेजरसिंह जी, आप बैठिये ।

मैंने एक व्वयस्था दे दी । अगर उसके अनुरूप मंत्री जो उसे वापिस लें तो अच्छा है । मेरी दृष्टि में, जो वह मानते हैं, वह भी कहना उचित नहीं है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक मंत्री की हैसियत से.....

श्री अध्यक्ष—

तो आप नहीं मानते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सुन लीजिये । आप तो मुझसे भी जल्दी में मालूम होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा कहिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं यह कह रहा था कि एक मंत्री की हैसियत से मैं किसी दूसरे से यह सीखने के लिये तैयार नहीं हूं कि मुझे क्या कोड बरतना चाहिये । लेकिन जब तक इस सदन में हूं, सदन में बैठा हूं, मैंने सदस्य की परिभाषा भी पढ़ ली है, एक मंत्री की हैसियत से सदन का सदस्य भी हूं, उस वक्त तक आपकी जो भी आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है । वह जरूर मानूंगा । और अगर आपकी यह आज्ञा है तो मैं उसको मानता हूं लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि आपके द्वारा माननीय कालीनाथ जी से फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन शब्दों को उन्होंने कल दुहराया था उनको सदन के बाहर कहें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन, व्यवस्था का प्रश्न है । वह तो डबल अपराध हो गया ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप माननीय मंत्रियों से पूछकर व्यवस्था दिया करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। अब जो बातें आज हुई हैं और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनको देखते हुये मेरे सामने प्रश्न यह है कि विशेषाधिकर की जो सूचना मेरे पास आयी है, उसको स्वीकार क्यों न किया जाय। इस पर विचार करूंगा और कल तक इस पर निर्णय दे दूंगा।

***श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—**

जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था उसको आपने सदन के सामने पढ़ कर सुनाया और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का स्पष्टीकरण भी ले लिया। उन्होंने स्पष्टीकरण एक बार नहीं दो बार दिया। अब उस स्पष्टीकरण के बाद म नियम ६८(४) के अनुसार प्रार्थना करूंगा कि आप माननीय गृह मंत्री जी को आदेश दें कि वे सदन को इसी वक्त छोड़ कर चले जायं और यह सदन इस बात पर विचार करे कि इस सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना की गई है। आज भी माननीय मंत्री जी जान बूझकर अपने व्यवहार पर अड़े हुये हैं। इसलिये तत्काल ही इस सदन को इस पर विचार करना चाहिये। नियम ६८(४) इस प्रकार है—

"वह सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है, उपर्युक्त प्रकार से सदन में उपस्थित होकर उपनियम (२) के अन्तर्गत अपना स्पष्टीकरण देने के बाद सदन से बाहर चला जायेगा और वह तब तक सदन में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि वह विषय सदन के विचाराधीन रहे। किन्तु सदन उसे कार्यवाही सुनने की अनुमति दे सकेगा और अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये, या क्षमायाचन के लिये उसे पुनः बुला सकेगा।"

आपने उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपनी बात को वापिस ले लें लेकिन उन्होंने उसको भी वापस नहीं लिया।

श्री हरगोविन्दसिंह —

मैंने उसको वापस ले लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जिन शब्दों में वापस लिया है वे वापस होने के बिलकुल विपरीत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे तत्काल सदन को छोड़ कर चले जायं और सदन इस पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्रीजी मंत्री की हैसियत से इस सदन के सदस्य होते हुये भी पूर्णतया इस सदन के सदस्य नहीं हैं। मंत्री के पद पर हैं, इसलिये यहां हैं। उस पर भी विचार किया जाना है। दूसरी बात यह है कि अभी तो हम नियम ६७ तक ही आये हैं, नियम ६८ तक नहीं आये। जब उस नियम पर आयेंगे तब ऐसा होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दूसरे शब्दों का भी प्रयोग किया है कि "बिना मुझसे पूछे हुये"। इन शब्दों को ओर आपका ध्यान नहीं गया। उन शब्दों को माननीय मंत्रीजी को वापस लेना चाहिये। ये शब्द भी असंसदीय हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि चाहे सदन में इधर बैठने वाले सदस्य हों, चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों, सभी चाहते हैं कि सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे और माननीय मंत्री जी ने अपने शब्दों को वापस ले लिया है.....

अनेक सदस्य—

नहीं वापस लिया है, नहीं वापस लिया है।

(व्यवधान)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कह रहा हूं कि इस तरह से चिल्लाने से और हल्ला करने से क्या फायदा है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री ने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कह रहा था कि उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया लेकिन उसमें कुछ बात जोड़ दी जिसके ऊपर यह कहा जाता है कि नहीं वापस लिया । मैं कह रहा हूं कि इस तरह की उत्तेजना से कोई सदन की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । मेरी आपसे प्रार्थना है और मेरा सुझाव है कि कल जितनी बातें सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कही गयीं—चाहे माननीय मंत्री द्वारा, चाहे सदन के माननीय सदस्यों द्वारा, वे सब सदन की कार्यवाही से निकल जानी चाहियें । कल माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो कुछ खड़े होकर कहा, उसे भी निकाल देना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह परम्परा अच्छी नहीं होगी कि कोई मंत्री यहां किसी को धमकी दे और उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय । उनको कभी भी नहीं निकाला जा सकता है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कुछ सूचनायें आयी हैं ।

मैंने कोई सूचना स्वीकार नहीं की है ।

गृह मन्त्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना—(क्रमागत)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा एक व्वयस्था का प्रश्न था कि माननीय मंत्री ने आपके लिये कहा कि "आपने मुझसे बिना पूछे हुये ही.....

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी रूलिंग के होते हुये भी ये शब्द वापस ले लिये जायं, तो अनक्वालिफाइड बिना किन्तु परन्तु के, उन्हें इन शब्दों को वापस ले लेना चाहिये था, लेकिन उन्होंने उन शब्दों को वापस नहीं लिया । इस तरह से यह डबल अपमान हुआ, सदन का भी अपमान हुआ और आपका भी अपमान हुआ, इस पर आप गंभीरता से विचार करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आपके द्वारा, एक बार नहीं अनेक बार इधर के बैठने वाले सदस्य हों या उधर के बैठने वाले सदस्य हों, उनके द्वारा व्यक्त किये गये शब्दों के संबंध में जो आपकी बुद्धि और विवेक से असंसदीय या अशोभनीय होते हैं, कहा गया है कि आप इन शब्दों को वापस ले लें, तो आपके हुक्म को मान कर हम लोग उन शब्दों को वापस ले लेते हैं और यदि नहीं वापस लेते हैं तो आप जबरदस्ती सदन छोड़वा देते हैं, सजा देते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब आपका एक निर्णय हो गया कि ये शब्द अशोभनीय हैं तो भी वे आपके निर्णय के अनुसार उन शब्दों को वापस नहीं ले रहे हैं, तो इतना हो जाने के बाद भी आप उनको क्यों नहीं कहते हैं कि वे सदन छोड़ें ? अगर वे शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तो उनको भी सदन छोड़ने के लिये आपको कहना चाहिये, जैसा कि हम लोगों के साथ होता है।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न जितना सरल आप समझ रहे हैं, उतना मैं नहीं समझ रहा हूं। आपके दिल में यह आशंका हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में चाहे मंत्री हों, चाहे और कोई हो....

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक बात कहूं कि शायद इधर के लोगों को कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। मैंने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य किया तो उसका मतलब यही था कि जो आप कह रहे हैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, उसको मान रहा हूं ; आपने हुक्म दिया उसे वापस लेने के लिये, तो उसको मैंने वापस ले लिया है।

श्री अध्यक्ष---

बस, तो खत्म।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, इन शब्दों को भी उनसे वापस लेने के लिये कहें जो उन्होंने आपके लिये कहा था " अगर आप पहले मुझसे पूछे लिये होते तो".....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, आपकी बिना आज्ञा के श्री टम्बेश्वरप्रसाद न मालूम कितनी बार खड़े हो रहे हैं, इनको आप रोकें। यह बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, जो शब्द माननीय गृह मंत्री जी ने कहे थे वह तो आप की आज्ञा से वापस हो गये लेकिन श्री काशीनाथ जी ने जो गलत लांछन लगाया था उसको भी आप वापस करायें। श्री काशीनाथ जी ने जो शब्द सदन में इस्तेमाल किये उनको भी वापस होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं अभी जो सदन के समक्ष निवेदन कर रहा था यह गंभीरता मेरे लिये इस वजह से नहीं थी कि कोई माननीय सदस्य मंत्री पद पर है या किसी पद पर है, मंत्रि-मंडल भी इस सदन की एक समिति मात्र है जिसको कुछ काम सुपुर्द किये गये हैं, वह भी सदस्य हैं जिनको सदन का कुछ काम करने के लिये दिया गया है। मंत्री होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता बल्कि महत्व रखता है सदन का सम्मान और यहां की मर्यादायें। मेरे सामने प्रश्न यही था कि जो आरोप लगाये जाते हैं वे अगर व्यक्तिगत हों तो बहुत अनुचित हैं और उनको हम फौरन रोकेंगे। पर सरकारी हैसियत से उनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो देखना होगा कि उसकी भाषा अशिष्ट

[श्री अध्यक्ष]

न हो, अभद्र तरीके से न रखा जाय, अपमानसूचक वाक्यों के साथ सम्मिलित करके न रखा जाय, इन बातों पर हमें ध्यान देना है और मैं सोच रहा हूं कि इस संबंध में सोच विचार कर कुछ बातें सदन के समक्ष रखूं ताकि उसका अनुसरण करके ऐसा अवांछनीय वातावरण उत्पन्न न हो ।

अब माननीय गृह मंत्री—मद नम्बर ८....

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिल देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ की सूचना दी थी.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने बता दिया है कि मैंने कोई स्वीकार नहीं किया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री उग्रसेन—

नियम ५२ में आपने दिया था, वह इस कार्यक्रम में छपा नहीं है, केवल वक्तव्य के लिये छपा है ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं । मैंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी थी । मैंने वक्तव्य के लिये ही रखा था । वह बिलकुल ठीक है ।

देवरिया जिले के श्री जगदीश तिवारी तथा अन्य व्यक्तियों की हत्याओं एवं डकैतियों के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ७-२-१९६५ को देवरिया जिले में ग्राम कुईचोर, थाना लार, में श्री शिवनन्दन सिंह के दरवाजे पर कुछ व्यक्ति लाठी, बल्लम और बन्दूक लेकर आये और उन्होंने श्री शिवनन्दन सिंह, ज्वालासिंह, गुलाबसिंह और श्री शिवनन्दन सिंह की भौजाई श्रीमती श्याम रानी को मारा जिससे इन लोगों को चोटें आईं । श्री ज्वालासिंह को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तों, जिनके नाम लिखाये गये हैं तथा वादी श्री शिवनन्दन सिंह के बीच मुकदमें बाजी हो चुकी है जिसकी रंजिश के कारण यह घटना हुई । इस घटना की रिपोर्ट थाने पर ८-२-६५ को लिखाई गई । पुलिस ने २ अपराधियों को ९ और १० फरवरी को गिरफ्तार किया है । शेष अपराधी भागे हुये हैं और उनको पकड़ने का प्रयत्न जारी है । धारा ८७/८८ दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गई है ।

ग्राम बर्डगोनिया, थाना गौरीबाजार, में १० फरवरी, १९६५ को नहीं बल्कि ८ और ९ फरवरी की रात श्री खेदन सिंह की, जिनकी अवस्था ७० वर्ष की थी, हत्या हुई । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार श्री खेदन सिंह ने रामधनी कहार को जिसके घर के लोग उन के यहां चौका बर्तन करते थे, कुछ भूमि लिखा दी थी । श्री सिंह के पट्टीदारों को यह आशंका थी कि चूंकि खेदनसिंह के

कोई संतान नहीं है इसलिये वे शेष भूमि भी रामधनी के पौत्र के नाम लिखा देंगे। और इसी कारण से श्री खेदन सिंह की हत्या की गयी। अपराधियों में से एक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया है जो १३-३-६५ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अपराधियों का पता लगाने का प्रयत्न हो रहा है।

९/१० फरवरी, १९६५ की रात्रि में जगदीश तिवारी, पुत्र राम स्वरूप तिवारी, निवासी ग्राम हरैया, का कत्ल हुआ। मृतक के पिता द्वारा १०-२-६५ को लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार रात को घर में कुछ आहट सुनकर उन्होंने अपने पुत्र जगदीश को आवाज दी और बाद में जब वे कमरे से उठकर बाहर गये तो एक अज्ञात व्यक्ति निकल कर भागा। जगदीश के कमरे से कराहने की आवाज आई। जगदीश के कमरे में जाने पर जगदीश बेहोश पाया गया। वह अस्पताल ले जाया गया पर वहां उसका प्राणान्त हो गया। मृत व्यक्ति के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अपराधी का नाम नहीं लिखा है। इस मामले में विवेचना हो रही है।

७ तारीख की रात में ग्राम देवकली थाना खुखुन्दू में कोई डकैती नहीं पड़ी। इस ग्राम के श्री रामसिंहासनसिंह के यहां ६/७ फरवरी की रात में एक चोरी हुई जिसके बारे में थाना खुखुन्दू पर एक रिपोर्ट धारा ४५७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई है। इसकी जांच हो रही है।

कत्ल की तीनों घटनायें अलग-अलग थाने के क्षेत्रों में हुई हैं। इनमें से दो क्रमशः पट्टीदारी और वैमनस्य के कारण हुईं। एक का कारण अज्ञात है। प्रत्येक मामले में पुलिस आवश्यक कार्यवाही कर रही है। कुछ अभियुक्त पकड़े भी जा चुके हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री के दरोगा ने जो चोरी लिख दी....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न द्वारा जानकारी कर लीजियेगा।

श्री उग्रसेन—

हमने लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप संतुष्ट न हों तो अल्प सूचित प्रश्न में मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री उग्रसेन—

मैं जानना चाहता हूं कि १ सप्ताह के अन्दर इतने कत्ल हुये तो क्या देवरिया में कोई शासन है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हम चाहते हैं कि वहां के पुलिस कप्तान को हटा दें।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि मंत्री के दरोगा ने चोरी लिख दी। तो "मंत्री के दरोगा' शब्द वापस हो जाने चाहिये।

श्री उग्रसेन—

यह क्यों वापस हों ? मंत्री के माने सरकार से हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो सरकार कहिये । वैसे तो मैं समझता हूं जहां तक मंत्रियों का संबंध है, आप लोगों को सुन-सुन कर उनके मनों में अब काफी गुंजायश होगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी आपने जब गृह मंत्री को पुकारा तो आपने यह उच्चारण किया कि गृह मंत्री नम्बर १०८ ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां, नम्बर १०८ ।

श्री अध्यक्ष—

मद नम्बर ८ कहा ।

श्री गेंदासिंह—

एक बात मुझे कहनी है कि बाहर चल कर गृह मंत्री को १०८ कहें । १०८ वाला मंत्री बड़ा बुरा है । गांव में नम्बर ८ वाला ऐसा समझा जाता है कि उससे बुरा आदमी कोई नहीं है । तो आप भी इसको वापस लें ।

लेजिस्लेचर ग्रुप की मीटिंग के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय सदस्यों को दे दूं कि आज सायंकाल विकास की योजन नीति (स्ट्रेटैजी आफ डेवलपमेंट) विषय के ऊपर पार्लियामेंटरी ग्रुप की तरफ से डाक्टर बल्जोत सिंह, प्रोफेसर तथा अर्थ शास्त्र विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, तिलक हाल में ५ १/४ बजे भाषण देंगे । अतः आप आने की कृपा करें ।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझता हूं कि पहले आप उन मदों को ले लें जिन पर बहस नहीं होनी है ।

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ११,३४,७०० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ११,३४,७०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७—निबन्धन

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन के अन्तर्गत २४,४९,३०० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन के अन्तर्गत २४,४९,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत ४,०२,१८,४०० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत ४,०२,१८,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों की राशि मूल्य के अन्तर्गत ८,२२,००० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों की राशि मूल्य—के अन्तर्गत ८,२२,००० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—बिक्री कर के अन्तर्गत ७३,६५,९०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ३२,४६,१०० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ये दोनों मांगें ३ बजे तक और उसके पश्चात् अनुदान संख्या ४४ ली जायेगी ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिक्री-कर पर जहां तक मुझको स्मरण है ६२–६३, ६३–६४ और ६४–६५ तीनों वर्ष में कोई चर्चा नहीं हुई और यह पहला वर्ष है जब इस पर चर्चा होने जा रही है । वित्त मंत्री महोदय ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा कि ७३ लाख रुपया जो इस पर खर्च कर रहे हैं इसकी क्या आवश्यकता है । स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद सन् ४७ में हमने यह समझा था कि आर्थिक स्वतंत्रता भी हमको मिल गयी लेकिन ४८ में यह काला कानून लाया गया । काला कानून इसलिये कहा जाता है कि पूज्य बापू ने केवल नमक पर टैक्स लगाने पर इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया था और वित्त मंत्री महोदय को भी उसकी जानकारी होगी । इस बिक्री-कर में भी जनसाधारण की उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है । गेहूं, चावल, दाल, आटा और नमक को छोड़ कर जितनी भी आवश्यक वस्तुयें हैं जो सब के काम में आती हैं, चाहे गरीब हो अथवा अमीर, उन पर यह टैक्स लगाया गया है । इसीलिये इसे काला कानून कहा जाता है । ४८ से लेकर अब तक—इस सरकार की योग्यता कहिये अथवा अयोग्यता कहिये—इस कानून में २४ बार संशोधन किया गया और अब भी जो यह कानून बना है वह भी किसी तरह से पूरा नहीं है । हर प्रकार की कमियां, त्रुटियां इसमें हैं । और किस प्रकार से इस विभाग द्वारा व्यापारियों को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस पर मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं । किसी कर को निर्धारण करना, वसूल करना अथवा उसके बारे में न्याय करने का कार्य जब किसी संस्था को सौंपा जाता है तो उसके लिये जो व्यक्ति रखने चाहिये उनका चरित्र सर्वोपरि होना चाहिये लेकिन सभी जानते हैं कि इस विभाग में कितना अधिक भ्रष्टाचार है । १८ करोड़ का कर इस विभाग के जरिये से वसूल किया जाता है और २७ करोड़ मालगुजारी से वसूल किया जाता है लेकिन इस विभाग में कर लगाने का जो ढंग है वह इतना दोषपूर्ण है कि व्यापारी अगर कुछ ले देकर काम करे तो उसका काम पूरा हो जाता है और उस पर कर नहीं लगाया जाता है लेकिन जो देने से गुरेज करता है उसे तंग किया जाता है और उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है ।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद, पीठासीन हुईं ।)

कर लगने से क्या हानि होती है और क्या नहीं, यह सरकार के सोचने की बात है । लेकिन मैं सदन के समक्ष गवर्नमेंट आफ इंडिया की उत्तर प्रदेश पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है इंडस्ट्रीज पर उसमें जो एक नोट है कमेटी का उसे रखना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कर लगाने की क्या खराबियां हैं और हमारा उद्योग कितना सफर करता है ? उद्योगों में कमी होती है, चाहे लघु उद्योग हो या हैवी इंडस्ट्री हो । मैं इस कमेटी की रिपोर्ट का उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि :—

"One of the main hindrances has been high level and multiple method of taxation. The State at present is levying a multiple-point sales-tax, taxes on motor vehicles and motor spirit, ele tricity duty, sugar-cane cess, excise duty and a few others. Besides, local taxes like octroi terminal taxes and tolls are also levied."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

माननीय सदस्य अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं; वह कृपया हिन्दी में भावार्थ बता दें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

जी हां, हम बता देंगे ।

श्री उग्रसेन––

आप तो जनसंघ के हैं। आपको तो अंग्रेजी बिलकुल नहीं पढ़ना चाहिये। आपके एक सदस्य कागजात फाड़कर चले गये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

कोटेशन अंग्रेजी में पढ़ने के बाद भावार्थ हिन्दी में बताने की रूलिंग हो चुकी है। जहां तक कोटेशंस का प्रश्न है, वे पढ़े जा सकते हैं।

श्री उग्रसेन––

अंग्रेजी का कोई वाक्य नहीं पढ़ा जायगा। अगर पढ़ा जायगा तो दूसरे दिन ही किताब हम फाड़ देंगे ।

श्री अधिष्ठाता––

यह निर्णय हो चुका है कि उद्धरण पढ़े जा सकते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

उसका भाव यह है कि जो यहां से बहुसूत्री कर लगते हैं उनके कारण उद्योगों के लिये बड़ी भारी रुकावट है। आपके यहां की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुसूत्री कर नहीं लगाने चाहियें और उन चीजों पर बहुसूत्री कर लगे हुये हैं जो खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य संकट हमारे यहां बहुत गम्भीर हैं और यह भी नहीं मालूम हो रहा है कि किस तरह से उसका हल होना चाहिये। इस पर भी आपने यह कर लगाकर जनता को बढ़े हुये मूल्य देने के अतिरिक्त यह कर देना पड़ता है। इसलिये हमारा सुझाव यह है कि जो जनसाधारण के उपयोग की वस्तुयें हैं उन पर से यह कर उठा लेना चाहिये ।

आप कहेंगे कि कर नहीं लगाये जायेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। हम आपको तरीका बतायेंगे। जो तरीका आपने अख्तियार किया है उसमें कितनी करों की चोरी होती है? हमने पहले बताया कि आपके जो कर्मचारी हैं वह कर ठीक रूप से वसूल नहीं करते हैं और न ठीक तरह से कर लगाते ही हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)––

अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

यह सदन का निश्चय है कि एक और दो बजे के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

श्रीमन्, आडिट रिपोर्ट १९६३ में बताया गया है कि आपके कर्मचारी क्या करते हैं; कितने केसेज उनके सामने आये। वह अंग्रेजी में है, माननीय उग्रसेन जी को आपत्ति होगी।

श्री उग्रसेन---

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी पढ़ने से चार चांद नहीं लग जायेंगे। जो कोटेशन आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहें उसका भाव हिन्दी में बता दें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

अगर हम भावार्थ कर दें तो क्या हर्ज है ?

श्री उग्रसेन---

जी हां, कर दीजिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

मैं एक बात बता दूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं लेकिन उसका भावार्थ नहीं बता सकता; तो क्या मुझे इजाजत नहीं देंगे कि मैं अंग्रेजी का सही वर्जन माननीय उग्रसेन जी तक पहुंचा दूं ?

श्री उग्रसेन---

हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसके लिये दो स्कूल खुल रहे हैं। एक माननीय गोविन्द-सहाय जी का और एक मेरा, उनमें आप पढ़ें। अंग्रेजी के पक्ष में कोई अपील नहीं सुनी जायगी। अंग्रेजी की सुनवाई उस समय हो सकती थी जब अंग्रेज यहां थे। अब वे चले गये हैं, इसलिये अब उसकी सुनवाई नहीं होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी (एडवोकेट)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बता रहा था कि आपने उत्तर प्रदेश आडिट रिपोर्ट...

श्री उग्रसेन---

मास्को से जब जारशाही गई तो वहां पर जारशाही के जितने चिन्ह थे सब मिटा दिये गये थे।

श्री गेंदासिंह---

नहीं, वहां यह भी कहा गया था कि जो पुरानी से सुरानी किताबें भी लाइब्रेरी या अन्य जगह पड़ी हुई हों उन्हें जिन्दा रखा जाये, जिससे कि उसमें की ज्ञान की बातें लोगों को प्राप्त हो सकें।

श्री उग्रसेन---

वह पुरानी किताबें अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं। वह पोलिश भाषा में हैं या लेटिन भाषा में हैं, कोई अंग्रेजी की नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह---

अच्छा, अंग्रेजी को जला डालो।

श्री उग्रसेन---

हां, हमने तो फूंक दिया है और फूंक देंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आडिट रिपोर्ट ६३ के सेल्स टैक्स पर अलग-अलग उद्धरण दिये गये हैं। नान-इनफोर्समेंट आफ दी प्रोवेविजन्स आफ दी उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट, उसमें दिया गया है कि २ लाख ६५ हजार ४८० रुपये के कर लगे, लेकिन उन्हें वसूल करने कोई नहीं गया। इसमें

वही कारण भ्रष्टाचार के हैं कि जिससे कर्मचारी लोग पा गये उससे वसूल करने नहीं गये। और जो कर लगे और जिन्हें वसूला गया किन्तु वह भी वसूल नहीं हो पाये और वह ९४,६५९ असेसमेंट केसेज में से सेक्शन ४१ में ८६ हजार पड़े रह गये। ११,११,१६ केसेज और भी पड़े हैं, जिनसे वसूल नहीं किया गया, जिन पर लग चुका था और इसी प्रकार और भी बहुत से केसेज हैं जिनपर प्राविजनल एसेसमेंट नहीं किया गया। इसी तरह सन् ६४ में भी ऐसे केसेज हैं कि जिन व्यक्तियों पर लगा हुआ है और ४-४ लाख रुपया है वह भी नहीं वसूल हो सका है। जहां नहीं वसूल हुये उनके बारे में एक दिन प्रश्नों के समय बताया गया यहां पर कि करीब १२ करोड़ रुपया अभी वसूली के लिये पड़ा हुआ है। यह तो है आपके सेल्स टैक्स विभाग के कर्मचारियों का सहयोग। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स से उद्योग का क्या नुकसान हो रहा है। होता यह है कि चूंकि यहां का सेल्स टैक्स और प्रान्तों से बहुत ज्यादा है तो कच्चा माल यहां से लेने के बजाय वह कच्चा माल दूसरे प्रान्तों से चोरी से ले आते हैं। चोरी से न सही तो यों ही ले आते हैं। यहां पर ७ परसेंट है और दूसरी जगह २ परसेन्ट है। एक प्रश्न में श्री लखी सिंह ने कोसीकलां के बारे में बताया कि वहां पर बिजली १२ आने में दी जाती है और दूसरी जगह कम है। इसलिये वहां के व्यापारी हट रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेल्स टैक्स बहुत ज्यादा है। यह है आपके न सोच-समझकर कर लगाने की नीति जिसके कारण आपके उद्योग बहुत कम हो रहे हैं और लोग अपने उद्योग इस प्रदेश में न लगाकर दूसरे अन्य प्रदेशों में लगाना चाहते हैं जहां वह अपना फायदा देखते हैं।

अब थोड़े से सुझाव मैं यहां पर दूंगा कि टैक्सों की चोरी किस तरह की जाती है। बाहर से लोग माल ले आते हैं, आपके कोई चेक पोस्ट नहीं हैं। कौन-सा सामान बाहर से आया, इसको मालूम करने के लिये आपके पास कोई चेक पोस्ट नहीं हैं। माल बराबर आता रहता है और आपको कोई पता नहीं रहता है कि किस समय किस प्रकार का माल आया। बहुत से कर ऐसे लोगों पर लगाये जा रहे हैं जिन पर नहीं लगने चाहिये थे। जैसे घी बनाने का उद्योग है। मामूली काश्तकार २ सेर घी बनाकर बेंचे तो उस पर परचेज टैक्स लग जायगा और उसके बाद बहुसूत्री टैक्स लगेगा। लेकिन बड़े-बड़े फर्म्स जैसे हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, सेन्ट्रल डेयरी फार्म आदि चार-चार सौ छ-छ सौ मन घी बनाकर, दूध गांवों से खरीदकर, उसका घी बनाकर कलकत्ता और बम्बई में भेजते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसी प्रकार छोटे-छोटे उद्योग गुड़ और खांडसारी के हैं, उन पर टैक्स लगा दिया गया है। आप इनको समाप्त करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जितनी ऐसी वस्तुयें हैं जो दैनिक उपयोग की हैं उन पर से कर हटाने का प्रबंध करें और जो करों की चोरी है अगर उसको रोकने की ओर सचेष्ट हो जायं तो उससे ज्यादा वसूल हो सकता है।

भिंडे जी ने जो यह पुस्तक हमको दी है अगर उसको देखें तो उसी में ५० प्रतिशत घोटाला है। इस वर्ष की व्यय की नई मदें जो खंड ३ (आयोजनेत्तर) में हैं उसके पृष्ठ पर इसी बिक्री-कर विभाग के अधीन ५० टंकन-यंत्रों के लिये ५० हजार रुपया, यानी १,००० रुपये प्रति टंकन यंत्र के हिसाब से, मांगा गया है और उसी के आगे पृष्ठ ६ पर ७ टंकन-यंत्रों के लिये ६,३०० रुपये, यानी ९०० रुपये प्रति टंकन यंत्र, सहायक आयुक्त बिक्री-कर के नव-सृजित सात कार्यालयों के लिये मांगा गया है। यही नहीं पृष्ठ ३ पर आबकारी अधीक्षकों के कार्यालयों के लिये १८ टाइपराइटरों के लिये १०,०००, यानी लगभग ५०० रुपये प्रति टंकन यंत्र, की मांग की गयी है। माननीय नवल किशोर जी यहां नहीं हैं। वे जब सामुदायिक विकास समिति गयी थी तब वहां इन सरकारी आंकड़ों की महिमा के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि इन आंकड़ों का कोई विश्वास नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जितना खाद्य का उत्पादन हो चुका है उसके बाद तो कोई कमी अन्न की हो ही नहीं सकती। इसी तरह से यह भी आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाये हैं। इन्हीं कारणों से ५० प्रतिशत गड़बड़घोटाला है, कहीं १,००० रुपया, कहीं ९०० और कहीं ५०० रुपया फी टंकन यंत्र, इसी प्रकार तमाम चीजों में है। अगर यह सब ठीक कर दिया जाय तो

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

७३ लाख रुपये की बचत हो सकती है। यह कर दें और करों को वसूल कर लें और खर्चे में अपने कमी कर दें, तो करों की आवश्यकता नहीं है।

आप मनमानी खर्चा करते जाते हैं। बहुत से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जा रहा है। इमर्जेंसी का पीरियड इसके लिये नहीं है। उन पर कितना रुपया खर्च करने आप जा रहे हैं, यह देखें और इसके लिये कोई विशेष कारण भी नहीं बतलाया गया है। इसके अलावा सेल्स टैक्स में अपील करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो अफसर होते हैं वे जानबूझ कर बहुतों पर टैक्स लगा देते हैं और जो उनको मजबूर हो कर जमा करना पड़ता है। अगर टैक्स जबरदस्ती लगाया जाय और वह जबरदस्ती ही वसूल किया जाय तो यह बहुत अनुचित बात है। वे अपील कर नहीं सकते जब तक कि रुपया जमा न कर दें। इससे उनको बड़ी हार्डशिप होती है। दूसरे मुकदमों में पहले ही अपील की जा सकती है; इसी तरह का नियम इसमें भी होना चाहिये। इसमें उन लोगों को जबरदस्ती रुपया जमा करना पड़ता है और वह विदड्रा भी नहीं होता। उसके लिये उनको बरसों नाचना पड़ता है। इसलिये अगर कोई कमिश्नर के यहां अपील करना है टैक्स के बारे में तो उसके लिये रुपया जमा करने की बात स्टे कर दी जानी चाहिये। और इस प्रकार लोगों को इस तरह के अत्याचार से बचाना चाहिये। वैसे यह टैक्स भी सारा का सारा उपभोक्ता पर ही पड़ता है, दूकानदार अपनी गांठ से नहीं देता। इसलिये इस बात पर आपको विचार करना चाहिये कि उनको इस जबरदस्ती से बचाया जाय। इसके अलावा अगर उनकी अपील सक्सेसफुल होती है तो उनका रुपया आटोमेटिकली वापस हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक दोषपूर्ण चीज यह है कि कानून तथा नियमों में जो परिवर्तन होते हैं उनका पता व्यापारियों को नहीं लगता। इसके लिये कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिये कि चेंजेज की सूचना व्यापारियों तक समय से पहुंच जाय। बहुत से व्यापारी गलत काम करते हैं और उपभोक्ता को पता भी नहीं चलता। इसलिये इस प्रकार की सूची भी तैयार होनी चाहिये कि जिसमें बाजार के उचित भाव दर्ज हों।

इसके अलावा आपने सेल्स टैक्स से उनको मुक्त किया है जिनकी बिक्री साल में १२ हजार या उससे कम है। आज रुपये का दाम तीन गुना बढ़ गया है। ४,००० का माल १२,००० रु० का मिलता है। इसलिये इस १२,००० की लिमिट को भी बढ़ाया जाना चाहिये और उसे कम से कम २०,००० किया जाना चाहिये। २०,००० तक की बिक्री पर व्यापारियों को छूट होनी चाहिये। २० हजार से ऊपर बिक्री के जो व्यापारी और व्यवसायी हैं उनके ऊपर निरीक्षण सूक्ष्म न होना चाहिये क्योंकि वहीं पर बेईमानी शुरू हो जाती है। छोटों को छोड़ देने की नीति होनी चाहिये, बहुत ज्यादा निरीक्षण नहीं होना चाहिये, सुविधा ही देनी चाहिये क्योंकि वह हिसाब नहीं रख सकते। हिसाब के लिए सौ रुपये का एक मुनीम चाहिये। आप लाभ पर तो टैक्स लेते नहीं हैं, बिक्री पर लेते हैं। २० हजार की बिक्री पर कितना लाभ होगा? आपका कर लगाने का सिद्धांत ही मूलतः गलत है। बहुसूत्री के बजाय आपको ऐट दि सोर्स लगाना चाहिये, जहां से सामान चलता है। १० के हाथों में अगर सामान जाता है तो १० ने टैक्स दिया। कहीं वसूली होती है, कहीं नहीं होती है। १२ हजार वाला व्यापारी मुक्त है और १२ हजार से ऊपर वाले से आप लेते हैं, तो एक साबुन जो ५ आने का मिलता है तो उसको दोनों ६ आने में बेचेंगे। जो टैक्स नहीं देता उसको ज्यादा फायदा होगा। उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं कि उस पर लिखा होगा। अगर शुरू में लगा देंगे तो जिस भाव से चलेगा वही सभी बेचेंगे। तो आपकी नीति में परिवर्तन होना चाहिए। ऐट दि सोर्स लगावें या उत्पादन कर लगावें या एक्साइज ड्यूटी रखें जिस तरह से कि शकर, कपड़ा और तम्बाकू पर रख दिया है। कहीं पर भी वह बिकेगा तो जो लिखा हुआ है उसी पर बिकेगा। आप कहेंगे कि गल्ले और चावल पर कहां लिखा रहेगा; तो हम कहते हैं कि उनको मुक्त कीजिये। जहां लिखने से काम चल सकता है उस पर एक्साइज ड्यूटी रखें। जो एक जगह बिकेगा वही दूसरी जगह बिकेगा।

एक एलकाहलिक प्रिपेरेशन है जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है और जो लोग प्रिपेयर करते हैं उन पर टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन जो औषधियों में प्रयोग करते हैं उन पर टैक्स अधिक लगता है। जहां टर्न ओवर होता है उनसे डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि इतने की औषधि बनी है। उसको चेक कर सकते हैं। इससे औषधियों के दाम बढ़ते हैं और नीति में गड़बड़ी होती है कि एक जगह लेते हैं दूसरी जगह नहीं लेते।

दूसरे, आपने यहां की जो सेल्स टैक्स नीति है वह किसी वस्तु पर कम और किसी पर ज्यादा है, इसका भी वर्गीकरण करना पड़ेगा जिससे उपभोक्ता को पता चलेगा कि कौन-सी ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर इतना-इतना है। कहीं पर कुछ लेते हैं कहीं पर कुछ लेते हैं, तो समान टैक्स लगावें वर्गीकरण करके। उससे जनता में धोखा होता है कि कौन सी वस्तु पर कितना है। साथ ही आपके बगल के जो प्रान्त, जैसे बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान हैं उनमें भी जो सेल्स टैक्स लग रहे हैं उन्हीं के अनुरूप आपको भी लगाने चाहिये वरना चोरी होती है। कच्चा माल यहां नहीं मिलता तो बाहर से खरीद कर ले आते हैं। तो विषमता नहीं होनी चाहिये, एकरूपता होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त एस्टीमेटस कमेटी का तृतीय प्रतिवेदन जो १९६४ का है, उसकी ओर भी मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा, उन्होंने २४-२५ सुझाव दिये हैं और बतलाया है कि किस तरह से आपको टैक्सेज लगाने चाहिये। इन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान दें।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि आपको सेल्स टैक्स कर्मचारियों पर भी कोई नियंत्रण रखने के लिये एक स्पेशल स्क्वैड रखना पड़ेगा जो उनकी गति-विधियां हर जिले में कैसी होती हैं उसका पता लगा सके सी० आई० डी० द्वारा यह पता लगे कि फलां व्यापारी पर कितना टैक्स असेस कर दिया, कितना देता था और इतना क्यों लगा दिया। जो भी बदमाशियां, बेईमानियां सेल्स टैक्स में चल रही हैं वह कर्मचारियों के कारण चल रही है। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो टैक्स इवेजन हो रहा है और दूसरे जिस पर लगना चाहिये उस पर नहीं लगता और जिस पर नहीं लगना चाहिये उस पर निरन्तर लगता है और उसे परेशान किया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर माननीय वित्त मंत्री जो ध्यान देंगे।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, सेल्स टैक्स का जो बिल है यह सही है कि जो भी प्रारम्भ इसका हुआ। वह बहुत जल्दी में हुआ और इसके बाद जितने भी संशोधन आये हैं इस विधेयक में। वह बहुत जल्दबाजी में आये। उसका फल यह हुआ है कि कोई भी बिक्री-कर विधेयक हम पूर्ण नहीं बना सके और हमको आये दिन यह आवश्यकता होती है कि संशोधन लाते रहें। श्रीमन्, सबसे पहले मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पिछले दिनों के अनुभवों के आधार पर अब समय आ गया है कि हम एक का कम्प्रेहेंसिव लेजिस्लेशन, एक पूर्ण विधेयक, लायें।

श्रीमन्, अभी जो बिक्री-कर है उसकी वजह से सीमा के जो जिले हैं उन पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। मैं जानता हूं कि झांसी का बहुत-सा व्यापार इससे खराब हुआ जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी सामग्री पास के मध्य प्रदेश के जिले, दतिया और टीकमगढ़ में चली जाती है, क्योंकि वहां बिक्री-कर कम है और उत्तर प्रदेश में अधिक है। पिछली मर्तबा जब संशोधन के लिये विधेयक प्रस्तुत हुआ था उस समय भी मैंने निवेदन और आग्रह किया था कि यह बिक्री कर पूरे भारतवर्ष के लिये एक-सा होना चाहिये। प्रदेश-प्रदेश में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। आज एक वस्तु एक फर्लांग के फासले पर मध्य प्रदेश में सस्ती मिल जाती है, वही चीज एक फर्लांग अपने प्रदेश में आने पर ज्यादा दामों पर मिलती है। इसलिये

[श्री कृष्णचन्द]

मेरा सुझाव है कि इससे निश्चय ही परिवर्तन होना चाहिये। पहले यह सुना था कि बिक्री-कर में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होने जा रहा है और उसके अनुसार सारे प्रदेश में बिक्री कर एक-सा कर दिया जायेगा, मगर मैं नहीं जानता कि वह अब तक क्यों नहीं हुआ। मैं चाहता हूं इस प्रकार का परिवर्तन शीघ्र हो, इससे आपको भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा।

जिस तरह का सेल्स टैक्स विभाग का फंकशनिंग है वह भी बड़ा गलत है। लोगों को बहुत शिकायतें हो गयी हैं और यह बात सही है कि जिस तरह से पुलिस तथा इनकम टैक्स वालों से जनता आतंकित थी, उसी प्रकार से आज इस सेल्स टैक्स विभाग से भी जनता आतंकित है। यह विभाग छोटे-छोटे व्यापारियों को ही तंग करता है। बड़े-बड़े व्यापारियों से तो इनकी सांठगांठ रहती है, वे लोग साधन सम्पन्न व्यक्ति होते है, अपनी रक्षा कर लेते है, उनका यह कुछ नहीं कर पाते। उसी का नतीजा है कि आज १२ करोड़ रुपये के लगभग इस टैक्स का बकाया है। मेरा विश्वास है कि इसमें से ७५ फीसदी रुपया बड़े-बड़े व्यापारियों पर ही बकाया होगा। इन लोगों ने उपभोक्ताओं से तो सेल्स टैक्स का पैसा वसूल कर लिया है, पर उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं किया है। इन लोगों ने इस तरह से अमानत में खयानत की है। यह एक गम्भीर अपराध है, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि बिक्री कर विभाग क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अगर कहीं किसी छोटे क्लर्क आदि से ५ रुपये की टैक्नीकल भूल हो जाती है, गबन हो जाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। झांसी के एक हेड क्लर्क की ५-७ रु० की गलती थी, उसके खिलाफ ऐक्शन लिया गया। उसको हाई कोर्ट तक जाना पड़ता, तब वहां से वह छूटा, यह निर्णय दिया गया कि उसमें उसकी बदनीयती नहीं थी, टैक्नीकल भूल ही थी। किन्तु यहां तो १२ करोड़ का मामला है, इसमें बदनीयती साफ जाहिर है, फिर आप चुप क्यों है? आप क्यों नहीं उन पर मुकदमा चलाते? उनकी गिरफ्तारी होना चाहिये। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस विभाग का ही फंकशनिंग बिलकुल गलत है। मामूली सी एक दूकान रखी हुई है बैद्य की, उस पर बिक्री-कर लगाया जाता है, जब १५ या २० बार वह जायगा और हम एम० एल० ए० भी जिनको उन्हीं से वोट की जरूरत पड़ती है उसके साथ सेल्स टैक्स आफ़िसर के पास जाते है और कहते है सरकार इन पर रहम खाइये, जड़ी-बूटियां कूट कर अपने खाने भर को निकाल लेता है, तब दो-तीन महीने परेशान होने के बाद उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन बड़े व्यापारियों के साथ बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों और आफ़िसरों का सदा गठबंधन रहता है। यही कारण है कि १२ करोड़ रुपया आज तक वसूल नहीं हुआ और यह रुपया तो वह है जो लेवी कर दिया गया है, इससे भी श्रीमन्, अधिक रुपया वहां और है जो इन बिक्री-कर अधिकारियों की साठगांठ के कारण व्यापारियों पर लेवी ही नहीं हो पाया। इन बातों की जांच अत्यन्त आवश्यक है।

इसके अलावा, मैं और एक बात अन्त में, यह और कह देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का अनुभव आपके पास है, दूसरे प्रदेशों में जो सेल्स टैक्स वसूल होता है, उसका भी अनुभव आपको मिल सकता है। आपके पास जनता ने जो रिप्रेजेन्टेशन किये है वह भी आपके पास हैं आखिर उपभोक्ता ही तो टैक्स दे रहा है। इस टैक्स ने व्यापारी की कमर नहीं तोड़ी है। उपभोक्ताओं की कमर तोड़ी है, इसलिए आप इन सब चीजों को देख कर और सामने रख कर एक ऐसा कम्प्रीहेन्सिव लेजिस्लेशन लायें जिससे छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सहूलियत मिल सके और बड़े-बड़े व्यापारी जो कर से बच जाते हैं वह उससे बच कर न निकल सकें। आप यह भी कोशिश करें कि इस बिक्रीकर विभाग में ज्यादा से ज्यादा ईमानदार लोग हों, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

*श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

माननीय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात से हैरत हुई कि अब तक की परम्परा जो यह चली आ रही थी कि जब भी कोई अनुदान मंत्री जी पेश करते थे तो उस विभाग का लेखा-जोखा, पेश किया जाता था, उस पिछले साल का विश्लेषण किया करते थे और बताते थे कि उन्होंने पिछले साल में क्या-क्या काम किया है, लेकिन आज मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी ने अनुदान तो पेश किया लेकिन इस मुहकमें की कारगुजारी नहीं गिनाई, इसलिए मैं माननीय सदस्य की इस बात से मुत्तफिक हूं कि यह सारा डिपार्टमेंट बिलकुल इनइफिसिन्वेट डिपार्टमेंट है। सेल्स टैक्स अधिकारियों का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जिले के किसी बड़े आदमी से दोस्ती कर ली जाय, जिसके पास कार हो। मुरादाबाद में तो ऐसा ही है, और मैं खयाल करता हूं, दूसरे जिलों में भी ऐसा ही होगा। मिल मालिकों से और बड़े आदमियों से दोस्ती कर ली जाती है और उनकी कारों में घूमते हैं, सरकारी काम कोई कर के नहीं देते है, यह विभाग की इनइफिसिंसी, निष्क्रियता है। इस सिलसिले में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सन् ६२-६३ में जबकि बकाया १० करोड़ से ऊपर थी, वह ६३-६४ में बढ़ कर ११ करोड़ से ऊपर हो गई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बकाया बजाय घटने के बढ़ी है और यह डिपार्टमेंट बिलकुल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस डिपार्टमेंट का एक ही काम है कि जो सेल्स टैक्स जनता पर लगाया जाता है, उसको यह वसूल करे लेकिन यह विभाग उसको भी नहीं कर पाया है। सेल्स टैक्स के अधिकारियों का सम्पर्क बड़े लोगों से होता है, इसलिए बड़े लोगों से तो ये वसूल नहीं कर पाते हैं, और छोटे लोगों से तुरन्त वसूल कर लेते हैं। उनको बेजा हैरान भी किया जाता है। इस विभाग के पास प्रदेश भर में भी इस बात का व्योरा नहीं हो सकता कि जो सेल्स टैक्स बड़े लोगों पर आयद किया गया है, उनसे वसूल करने के लिये उनका चालान किया गया हो, लेकिन अगर गांव में कोई अमीन जाता है और किसी किसान के पास तकावी का रुपया इस वजह से बाकी है कि उसकी फसल मारी गई है, तो तुरन्त उसकी कुर्की कर दी जाती है, उसका हल बैल भी कुर्क कर लिया जाता है। यह भी नहीं सोचा जाता कि यह तो उसके हाथ पैर हैं, उनके छिन जाने से वह दाने-दाने को तरस जायगा। इस तरह गरीब लोगों पर सख्ती की जाती है और अमीर लोगों पर नहीं की जाती। इसलिये मैं कहता हूं कि यह डिपार्टमेंट बिलकुल निकम्मा है। माननीय मंत्री जी को जांच करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। जो प्राप्तियां है वह बहुत कम है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कई अपीलें उसकी होती हैं और हर जगह रिश्वतखोरी है।

मेरे जिले में ऐसे लोग हैं, जो राब और खांडसारी का काम वर्षों से मुरादाबाद में नहीं कर रहे हैं, सम्भल में करते हैं लेकिन जिले का सेल्स टैक्स आफीसर १० साल से बराबर उनके पास नोटिस भेज रहा है कि इतना पैसा जमा करो। नहीं तो बन्द कर देंगे और कई ऐसे लोगों को बन्द भी कर दिया जो वर्षों से उस काम को करते ही नहीं है। एक तरफ तो छोटे-छोटे लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है। यह इस कांग्रेस सरकार की ज्यादती है। इस सरकार को भले ही शर्म न आती हो लेकिन इन कारनामों से अपोजीशन वालों को बहुत शर्म आती है। मेरे जिले मुरादाबाद में राब का काम होता है, इन लोगों की कुर्कियां की गई, मकान गिरवीं रखवाए गये और आज हालत यह है कि वे उस शहर को छोड़ कर दूसरे शहरों में जाकर आबाद हो गये। जिस तरह से इस डिपार्टमेंट में कार्यवाही हो रही है, अगर माननीय मंत्री जी ने उसको नहीं रोका। तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले सन् में एक पैसा भी वसूल होने का नहीं है और सरकार को घाटा होता ही रहेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

मैं अब अपने जिले के बर्तन व्यापार की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बर्तनों की सनअत से हमारा शहर करीब २ करोड़ के फारेन इक्सचेंज कमाता है, और उससे सिर्फ दो लाख रुपया सेल्स टैक्स वसूल होता है। जो कारखाने बन्द हैं, या जिनमें सिर्फ दो-तीन आदमी काम करते हैं, उनसे सेल्स टैक्स वसूल करने के लिये सख्ती बर्ती जाती है। राबल गिन्डी फ्लोर मिल पर लाखों रुपया बकाया है, क्या उनका अटैचमेंट किया गया? उनके साथ सख्ती क्यों नहीं बर्ती गई जबकि मासूम आदमियों से सख्ती से वसूल किया जा रहा है? अभी हाल में एक कमेटी बैठी थी, जिसमें भाई गेंदासिंह जी व दूसरे सदस्य भी थे, उन्होंने कुछ लोगों के बारे में जांच की और अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि यह घरेलू सनअतें है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि सन् ५७ से उनके ऊपर टक्स बकाया है और अब आप उसको माफ कर देंगे तो यह कैसी हंसी आने की सी बात होगी। जब आप समझते हैं कि इस उद्योग पर कोई कर नहीं लगना चाहिये तो फिर सन् ५७ से आप क्यों वसूल कर रहे है? जब सन् ६५ में यह तय हो गया कि इस इंडस्ट्री पर टैक्स नहीं लगना चाहिये तो आपको चाहिये कि उसे माफ कर दें।

इसी तरह से बिजनौर ग्लास इंडस्ट्री की भी हालत है जिस पर आप ५७ से टैक्स ले रहे हैं। सरकार को चाहिये कि उन पर भी सेल्स टैक्स को माफ कर दे। उन पर करीब ३० हजार रु० सल्स टैक्स है और एक तरह से सरकार मजबूर कर रही है कि वह इंडस्ट्री बन्द हो जाय। वह कारखाना छोटी-छोटी शीशियां तैयार करता है जो गरीबों के लिये दवा आदि ले जाने के काम आती हैं। इसका असर गरीब लोगों पर काफी पड़ेगा। सरकार बड़े-बड़े उद्योग धंधों पर तो टैक्स लगाने के लिये तैयार नहीं है और इस तरह की छोटी इंड-स्ट्रीज पर वह सेल्स टैक्स लगा रही है।

इसी तरह से घी इंडस्ट्री की बात ले लें। जब सन् ४७ में कांग्रेस सरकार आयी थी तो उसने एलान किया था कि वह इस देश में घी और दूध की नदियां बहवा देगी लेकिन आज शुद्ध घी-दूध की नदियां तो नहीं बह रही हैं लेकिन डालडा घी की नदियां जरूर बह रही हैं। धनी लोगों पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है लेकिन जो गरीब आदमी दवा के लिये भी एक रुपये का घी खरीदना चाहेगा तो उसे डेढ़ रुपये देना होगा। इस सरकार ने शुद्ध घी पर ३ परसेंट से बढ़ाकर ५ परसेंट सेल्स टैक्स कर दिया है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

अब सरकार ने उसको वापस ले लिया है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

अगर वापस ले लिया है तो उसका स्वागत है। लेकिन मैं पूछता हूं कि इस देश के अन्दर स्वराज्य लाने वालों ने जो जनता के साथ वादा किया था। उसको पूरा क्यों नहीं किया? इन अल्फाजों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका प्रभाव जन साधा-रण के ऊपर बड़े व्यापक रूप से पड़ता है इसलिये अगर इसमें कोई कमी दिखलायी देती है या रहती है तो उससे प्रत्यक्ष है कि जनता में असन्तोष होता है। एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी, एक रास्ता चलता भिखारी भी किसी न किसी मात्रा में सेल्स टैक्स देता है। इसलिये सेल्स टैक्स का सीधा सम्बन्ध जनता की बहुत बड़ी संख्या से हो जाता है। महोदया, मेरा ऐसा विचार है कि उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स में जितनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन होते रहे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी जल्दी-जल्दी संशोधन विधेयक आते रहे हैं, इतनी जल्दी संशोधन शायद ही किसी दूसरे विधेयक में आये हों । बहुत दिनों से इस सदन की मांग थी और आज भी माननीय सदस्यों ने उसको दोहराया है कि आवश्यक ह कि पिछले अनुभवों के आधार पर हम कोई व्यापक सुधार कर सकें और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। मैं इतना ही उस दिशा में संकेतमात्र कहना पर्याप्त समझता हूं कि इन सब बातों का अनुभव करते हुए राज्य सरकार ने एक हाई पावर सेल्स टैक्स कमेटी बनायी थी जिसने करीब दो वर्ष तक अपना कार्य किया। उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत हो चुकी है। महोदया, मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। मैं केवल इस सदन में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सदन की भावनाओं को ध्यान म रखते हुए सरकार यह कृपा करे कि वह रिपोर्ट अविलम्ब स्वीकार की जाय। बहुधा देखा गया है कि कमेटी की रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में डाल दी जाती है। मुझे आशा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह रिपोर्ट अविलम्ब स्वीकार की जाय और उसके आधार पर सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये एक काम्प्रेहेंसिव बिल सदन के सामने आये और उसके द्वारा हम काफी हद तक उन कठिनाइयों का निराकरण करने में सक्षम होंगे जिनका अनुभव जनता को और सदन के लोगों को होता रहता है।

एरियर्स की भी बहुत बात हुई । वास्तव में जो बकाया यहां है वह दूसरे सूबों के अनुपात में यानी अगर हम वहां की आय और बकाया को देखें तो यहां बहुत ज्यादा बकाया है। महाराष्ट्र में ४५–५० करोड़ की आय है लेकिन वहां की बकाया केवल ५ करोड़ है। इसी तरह से दूसरे सूबों में भी आय के अनुपात में बकाया कम है। हमारे सूबे में जहां १५–१६ करोड़ की आय है वहां १३–१४ करोड़ की बकाया लज्जाजनक है, बहुत गलत चीज है और ऐसे उपाय होना आवश्यक है जिनसे वह कम की जा सके । अगर हम उसको वसूल कर लें और बराबर करते रहें तो हमें नये करों के लगाने की आवश्यकता नहीं होगी । जो कदम इस दिशा में उठाये जा रहे हैं और जिनका प्रस्ताव हाई पावर कमेटी ने किया है या प्राक्कलन समिति ने भी जो सुझाव इस दिशा में दिये हैं जिस का कि प्रतिवेदन सदन के समक्ष आ चुका है, यदि उन सबको कार्यान्वित किया जायगा तो हमें काफी सफलता मिल सकती है । बकाया का सीधा सम्बन्ध अपीलों, असेसमेंट और रिवीजन के केसेज से रहता है। हमारे यहां ७२,००० अपीलें पेंडिंग हैं, ६०–६१ हजार असेसमेंट के केसेज पेंडिंग हैं और १२–१३ हजार रिवीजन पेंडिंग हैं। उनकी संख्या की जो मासिक वृद्धि है उससे डिस्पोजल कम है । अगर आज की स्पीड से चलेंगे तो यह तादाद घटेगी नहीं वरन् वह बढ़ेगी ही। अतः सुझाव दूंगा कि यदि इस अस्थायी समस्या का अस्थायी मुकाबला करने के लिये कुछ अस्थायी नियुक्तियां भी करना पड़े तो वह की जायं लेकिन किसी तरह से इस चीज को दूर करना चाहिये। एक खास बात यह है कि इस बकाया में अधिकतर बकाया बड़े आदमियों पर है। इनमें से ४७ से ज्यादा ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर एक लाख से ज्यादा की बकाया है और ऐसे लोगों पर कुल बकाया १,७८,२६,००० रुपया की है। कुछ आदमियों पर कई लाख की बकाया है। आवश्यकता ऐसी हालत में इस बात की है कि ऐसे कदम उठायें जायं कि जहां १ लाख से ज्यादा की बकाया हो वहां के जिलाधीश को जिम्मेदार बनाया जाय और अगर वह वसूल न कर सकें तो उसकी इनएफीशियन्सी मानी जाय, उनको एडवर्स इन्ट्री इसके लिये दी जाय और लखनऊ से कानपुर को जो टेलीफोन जाते हैं वह इस दिशा में बन्द हो जायं। इस तरह से यह बकाया रुक सकती है। यह जो बड़ी मात्रा में बकाया है हमें पूरी कोशिश उसकी वसूली की करनी चाहिये।

मुझे महाराष्ट्र जाने का अवसर मिला और वहां के सेल्स टैक्स की स्क्रूटिनी और अध्ययन करने का इत्तिफाक हुआ, तो मालूम हुआ कि वहां का रहस्य यह है कि वहां बड़े केसेज में वक्त ज्यादा दिया जाता है और छोटे केसेज में कम समय लगाते हैं और करीब-करीब पार्टीज के फोगर्स को मान लेते हैं और उसी को मान कर कर लगा लेते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ इवेजन सम्भव होता हो लेकिन जो समय उधर से बचता है उसमें वह बड़े केसेज का सूक्ष्म परीक्षण कर पाते हैं। इसलिये एरियर्स कम होते हैं और उनका डिस्पोजल अच्छा हो जाता है।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

इसके अतिरिक्त समय को देखते हुये मैं २, ३ बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि जो असेसमेंट होते हैं उसके लिये अपील्स और रिवीजन का प्राविधान है, तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हम कितनी कड़ाई करें, जितनी आवश्यकता हो, पूरे सदन का समर्थन प्राप्त होगा सरकार को, लेकिन जो न्याय करने वाले लोग हों उनमें पूरी आस्था होनी चाहिये। मेरा हमेशा मत रहा है कि वे लोग जजेज में से लिये जाने चाहिये। इसमें विभिन्न मत और कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम इस बात का सरकार पर जोर डाल सकें और उसको राजी कर सकें कि जज वह हो जो उसकी योग्यता रखता हो और उनमें जनता को अधिक विश्वास हो सके। मंत्री जी शायद कहें कि विभाग के सेल्स टैक्स अधिकारी जो जजेज हैं उन्होंने ही उतनी ही रिलीफ दी जितनी जजेज दे सकते थे। हो सकता है शुरू में यह हो, लेकिन ज्यादा और कम रिलीफ का प्रश्न नहीं है। जनता का विश्वास किसमें है यह देखना पड़ेगा।

करप्शन की बात बहुत कही गयी। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह बात तो ठीक नहीं कि हमारे जितने विभाग हैं उन में सबसे ज्यादा इनएफीशियेंट और करप्ट सेल्स टैक्स विभाग है। अगर करप्शन और इनएफीशियेंसी एक मैलेडी है तो उससे यह विभाग भी अपवाद नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट और इनएफीशियेंट हो, मैं ऐसा नहीं समझता। लेकिन फिर भी चूंकि इसका सम्बन्ध जन साधारण से बहुत बड़ी संख्या में है इसलिये इसकी थोड़ी सी इनएफीशियेंसी और करप्शन बढ़ जाने से दुख और शिकायत का कारण हो सकता है। इसलिये उस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। इस करप्शन को दूर करने के लिये एक बात आवश्यक है कि करप्शन इसलिये भी होता है कि विभागीय आदेशों की जानकारी जनता को नहीं होती और जब जानकारी नहीं होती तो फिर डिस्क्रीशन जो छोटे अधिकारियों का होता है उसका गलत तरीके से प्रयोग होता है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि जो समय-समय पर कानून बनते हैं, जो संशोधन होते हैं, नोटिफिकेशन्स होते हैं, जो विभागीय आदेश, जिनका जनता से सम्बन्ध होता है, जारी होते हैं, जो उच्चतम न्यायाधीशों की ऐसी रूलिंग्स होती हैं जिनका जनसाधारण से वास्ता है और जिनसे कानून के इंटरप्रीटेशन में फर्क पड़ता है तथा सहायता मिलती है उनको जनता तक हिन्दी में पहुंचाने का अविलम्ब प्रयत्न हो और उस प्रयत्न के लिये आवश्यक है कि खर्चा किया जाय, अलग स्टाफ लगा करके अलग आदमी इसके लिये जिम्मेदार हो। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम यह होगा, जैसा पिछले २, ३ साल में कदम उठाये गये एक मैनुअल का संस्करण निकला, लेकिन दूसरा नहीं निकला। तो आवश्यक है कि इसमें पैनी वाइज पाउन्ड फुलिश, थोड़ा पैसा बचा कर ज्यादा नुकसान करने वाली, नीति अच्छी नहीं होती, इस सूचना को जनता को उपलब्ध करायें ताकि करप्शन की जड़ पर हम प्रहार कर सकें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है। आज हमारा प्रदेश उद्योग की दिशा में सारे देश में पिछड़ा हुआ है। तो हमें सेल्स टैक्स की नीति बरतते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके विकास में बिक्री-कर को रोड़ा न बनने दे। इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस बात का निश्चय करे कि हमारे प्रदेश की जो इन्डस्ट्रीज हैं उनके रा-मैटीरियल्स को सेल्स-टैक्स से एक्जैम्प्ट किया जाय जैसा कि देश के प्रायः सभी प्रदेशों में किया जा चुका है या किया जा रहा है। उसका परिणाम यह होगा कि अन्ततोगत्वा हमारी आमदनी बढ़ेगी। अगर इन्डस्ट्रीज का विकास होगा तो परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की आमदनी भी बढ़ेगी। हो सकता है कि सेल्स टैक्स की जो मद हैं उसमें घटोत्तरी की हो। उसका परिणाम होगा बढ़ोतरी हमारे उद्योग की और इस वृद्धि से हमारा प्रदेश समर्थ होगा तो मैं माननीय मंत्री जी से और उनके द्वारा सरकार से साग्रह निवेदन करूंगा कि वे शीघ्रातिशीघ्र बिना विलम्ब इस ओर कदम उठाये और अपने डिक्लेरेशन को करें।

आखरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दिनों में सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जैसे कुछ चीजों पर विशेषकर अनाज पर परचेज टैक्स लगाना। मैं व्यक्तिगत रूप से यह विचार रखता हूं कि खाद्यान्न या अनाज जैसी चीजें जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, और गरीब आदमियों का आधार है उस पर टैक्स लगाया गया है तो आज मैं फिर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ी अव्यवस्था है। जो परचेज टैक्स लगाने का आपने तरीका बनाया है उसकी जानकारी न जनता में है और न व्यापारियों में है, जिसका परिणाम यह है कि अभी डैडलौक पड़ा हुआ है। जितनी भी मंडियां हैं, बरेली शहर के आधार पर मैं कह सकता हूं, उनमें आंशिक प्रगति भी उस दिशा में नहीं हो पायी है। घी के बारे में सरकार ने अच्छा किया है। राब पर परचेज टैक्स हटाने क बारे में जल्दी ही सरकार के आर्डर होना आवश्यक हैं।

*कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)---

*अधिष्ठाता महोदया, मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत ही उत्सुक था परन्तु बात तो यह है कि कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। जो भी सरकार को सुझाव दिये जाते हैं कि इस प्रकार की नीति बनायी जाय तो सरकार उस पर अमल नहीं करती। मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पारसाल हमने इस बात पर जोर दिया था, सभी विरोधी दलों ने भी जोर दिया था कि बकाया सेल्स टैक्स की जो रकम पड़ी है उसको कड़ाई के साथ वसूल किया जाय और थोड़ा-थोड़ा सामान बेचने वालों पर उसका भार न डाला जाय परन्तु सरकार का पिछले कई वर्षों से ८ करोड़ रुपया बिक्री-कर से सम्बन्धित बकाया था। वह बकाया वसूल होने के बजाय आज इस समय ११ करोड़ ७३ लाख बकाया हो गया। मैं निहायत अदब के साथ सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार जनता को कुछ राहत देना चाहती है तो जो बिक्री-कर पुराना पड़ा हुआ है उसको वसूल किया जाय। आज देहातों में बड़े-बड़े पूंजीपति बिक्रीकर देने में गाफिल बने बैठे हुए ह। उनमें जरा सतर्कता नहीं है और न उन पर कड़ाई हो रही है। लेकिन छोटे बाजारों में जो जुलाहे हैं अथवा गड़रिये हैं और बाजार में १, २ धोती जोड़े और १, २ कम्बल ले कर आते हैं उनके मन में बिक्री कर वाले साहब का बड़ा भय है। अगर अफवाह फैल गयी कि आज बिक्रीकर वाला साहब आ गया है तो उनमें भगदड़ मच जाती ह। तो गरीबों के दिलों पर तो बिक्रीकर वाले साहब का आतंक है और जहां आतंक होना चाहिये वहां गफलत है और फलस्वरूप ११ करोड़ ७३ लाख रुपये का बकाया है। छोटे-छोटे उद्योग धन्धा करने वालों को आतंकित किया जाता है। पारसाल हमारे रानीगंज बाजार में यह अफवाह पहुंची कि बिक्रीकर वाला साहब आ गया, बाजार में भगदड़ मच गयी। छोटे-छोटे उद्योग धन्धा करने वालों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, और बिक्री-कर वाले साहब की तरफ से धमकाया जा रहा है जबकि सरकार की नीति यह है कि छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपका प्रान्त उन्नति करे और जनता अधिक भार महसूस न करे तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। बिक्री-कर बढ़ाने के बजाय जो पुराना बकाया है, उसे वह सख़्ती से वसूल करें।

खाद्य समस्या का भी यह हाल है कि किसानों पर ग़लत तरीके से सिंचाई और खाद का रुपया दिखा कर वसूल कर लिया जाता है। वे अफसरों के पास दरख्वास्त देते हैं कि गलत तरीके से उन पर खाद तथा सिंचाई लिख दी गयी है, उनसे रुपये की वसूली स्थगित की जाय और ठीक से जांच की जाय लेकिन वह स्थगित नहीं की जाती है बल्कि उल्टे उनके बैल तक कुर्क कर लिये जाते हैं। दूसरी तरफ बड़े-बड़े पूंजीपतियों के प्रति यह सरकार इतनी रहम-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर तेजभानसिंह]

दिल है कि उन पर करोड़ों रुपये बकाया है, लेकिन उनके साथ कड़ाई का व्यवहार नहीं किया जाता है, वे सुख की नींद सो रहे हैं और जिन गरीबों पर उत्पादन का भार है उनके साथ कड़ाई की जाती है । एक गांव का किस्सा है कि नहर कट गयी। धान की फसल तैयार कटने को खड़ी थी। नहर कटने से धान जम गया और फसल नष्ट हो गयी लेकिन सरकार ने मुआविजा देने के बजाय जबरदस्ती उनको सिंचाई देने के लिये मजबूर किया, लेकिन पूंजीपतियों के साथ इस प्रकार की कड़ाई नहीं बरती जाती है। मैं सरकार को साफ बतलाना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करे। अगर ऐसा सरकार नहीं सोचती तो उसे आज जिस जनता का बहुमत है उस की निगाह में गिरती चली जायगी । सरकार की यह ढिलमिल नीति कि छोटे लोगों के साथ उदासीनता का व्यवहार, और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ उदारता का व्यवहार देश को गिरा रही है। बिक्री-कर जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर पड़ता है और जो उपभोक्ता हैं वे इसको समझते नहीं हैं, इसलिये सरकार यह समझती है कि इस तरह का टैक्स लगाकर जनता में मुखालफत नहीं होगी क्योंकि जनता समझती नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाय । जनता की सरकार को चिन्ता नहीं है, वह चाहे मरे या जिन्दा रहे। अगर आप गरीब जनता को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो ११ करोड़ रुपये के बकाये को सख्ती के साथ वसूल कीजिये और जनता के ऊपर कर का भार न डालिए।

आज प्रदेश के लोगों को एक तरफ तो भुखमरी दबोच रही है और दूसरी तरफ आपके टैक्स जनता को कुचल रहे हैं। आप नहीं सोचते कि जनता को कैसे राहत मिले। आज टैक्स बढ़ाने की समस्या नहीं है बल्कि इसकी जरूरत है कि क्या किया जाय जिससे देश से भ्रष्टाचार दूर हो। किसान की पैदावार दुगुनी तिगुनी बढ़नी चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि जो किसान गल्ले की पैदावार बढ़ा रहे हैं उनके कामों में अड़चनें डाली जा रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप के जितने विभाग जनता को सुख पहुंचाने वाले कहे जाते हैं, जैसे आपका विकास खंड, उनकी तरफ से जिनकी कमाई पर प्रदेश निर्भर है, जनता का शोषण कर रहे हैं और दबोच रहे हैं। आप जनता से टैक्स वसूल कर रहे हैं जिससे गरीब का उत्थान नहीं हो रहा है। जो सरकारी आदमियों से संबंधित हैं वही लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर आप गरीब जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिक्री कर को हटा कर पुराने बिक्री कर की वसूली कीजिये तभी देश और प्रदेश का कल्याण होगा।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, अभी भ्रष्टाचार और बकाया आदि की बहुत सी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम, आज ऐसे मनोवैज्ञानिक संधि के स्थान पर पहुंचे हैं कि जब हमको विचार करना चाहिये कि हमारी शासन प्रणाली क्या पूंजीपति अर्थ-व्यवस्था की आधारित दिशा पर ही चलती रहेगी। हमें उस प्रणाली, प्रशासन की प्रणाली को इस प्रकार मोल्ड करने की जरूरत है, जिससे हमारी लोकतंत्रीय समाजवादी अर्थ-व्यवस्था चल सके। आज जो अभिशाप, आज जो बुराइयां सुनने को मिलती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम यद्यपि एक नई दिशा की तरफ चलना चाहते हैं, किन्तु हमारी रफ्तार, चलने की हमारी गति-विधि वही पुरानी परम्परानुसार है। हम अब भी उसी दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा ने इतने समाज के ऊपर अभिशाप लाद दिये हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रशासन के जो अधिकारीगण हैं, उनके अन्दर एक आइडियालिजकल चेंज आना चाहिये। उनके अन्दर इस प्रकार का सैद्धान्तिक परिवर्तन होना चाहिये और उनको यह समझना चाहिये कि हमें इस प्रकार के समाज का निर्माण करना है। नये समाज के निर्माण करने की दिशा में यदि चलें, चाहे धीरे-धीरे ही चलें, किन्तु यदि उनका दृष्टिकोण ऐसा हो कि हमें नये समाज की रचना करनी है, जिसमें शोषण नहीं होगा, जिस समाज में सभी अमीर-गरीब को समान अवसर मिलेंगे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसमें छोटे बड़े भेद भाव नहीं होगा, तो मेरा खयाल है कि जो बहुत सी बुराइयां प्रशासन में दिखलाई पड़ रही हैं और जिस बुराई को इधर उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को कहना पड़ता है, उसमें बहुत कुछ कमी आ जाए।

एरियर्स की बात जो कही जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूं। यह है कि सेल्स-टैक्स विभाग के कर्मचारी को जितना परिश्रम, मेहनत करनी चाहिये वे उतना परिश्रम और मेहनत नहीं कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि उन्होंने एक अन्दाजिया हिसाब लगा लिया और टैक्स लगा दिया कि इसके ऊपर ५ सौ, इसके ऊपर १ हजार और इसके ऊपर १० हजार। यदि उनसे सचमुच कह दिया जाय कि ठीक-ठीक जांच करें और उनको देखें तो न तो इतना अधिक उनके ऊपर सेल्स-टैक्स लगेगा और न इतनी अपीलें और रिवीजन के केसेज होंगे। इससे हमारा धन और समय का भी दुरुपयोग होने से बच जायेगा और न इस प्रकार की परिस्थिति आयेगी जो आजकल हम देखते हैं। एक बात और है जो कर्मचारी हैं उनका दृष्टिकोण पूंजीवाद का पोषक है। जिसके अन्तर्गत वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों को टैक्स से बचाना चाहते हैं और उनके टैक्स को बचाने और छिपाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि इसी अनुपात में सेल्स टैक्स को छोटे बेचारे दूकानदारों और उद्योग-धंधे करने वालों पर लादा जाता है, उनके ऊपर यह नाजायज तौर पर लादा जाता है। परिणाम इसका यह होता है कि उनकी अपीलें होती हैं और टैक्स १ लाख से घट कर २० हजार, १५ हजार या १० हजार रह जाता है। इस तरह की जो अपीलें और रिवीजन्स होते हैं उसे अधिकारियों और सरकार को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये।

एक बात मैं अपने यहां की कहना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भगवन्तनगर एक टाउन एरिया ह, जिसमें बर्तनों का उद्योग होता है, वहां पीतल के बर्तन बनाये जाते हैं और वहां पर सर्राफा का बाजार भी बहुत अच्छा है। पीतल के वर्तन बनाने वाले करीब १००-१५० घर हैं जो वर्तन बनाते हैं किन्तु उनके व्यवसाय को दस्तकारी न मानकर उन्होंने उनके ऊपर कर लगा दिया है और जिसका परिणाम यह है कि प्रायः सभी लोग उस धंधे को छोड़ कर दूसरा धंधा करने लगे हैं या वहां से बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीज है वह गलत है। एक तरफ तो हम मानते हैं कि छोटे-छोटे आदमियों पर टैक्स न लगाये जायें फिर वहां के बर्तन बनाने वालों पर सेल्स टैक्स लगाया गया है जो कि अनुचित है और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर विचार करें। छोटे दूकानदारों पर ज्यादा लाद दिया गया और उन्होंने काम-काज बन्द कर दिया। तो इस पर विचार करना जरूरी है। एक तो हमें आइडियालोजिकल परिवर्तन अपने प्रशासन और प्रशासन के कर्मचारियों में लाना चाहिये अन्यथा भ्रष्टाचार और अन्य शिकायतें रोज होंगी। उससे हम भाग नहीं सकते जब तक कि हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को उस रास्ते पर जिस पर हम चल कर समाज का निर्माण करना चाहते हैं। चलने के लिये मजबर न करें। अतः इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता--

(चौधरी अब्दुल हसीब खां से) आप ५ मिनट में समाप्त कर दीजियेगा।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

१० मिनट देने की मेहरबानी कीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है। खैर, आप बोलिये, समय रहेगा तो देखेंगे।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

हमने आप को लिख कर भी भेज दिया। क्या हमें डिबेट में हिस्सा नहीं मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन समय ३ बजे तक के लिये निर्धारित हो चुका है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के समय में से थोड़ा सा काट कर हमको दे दीजिये क्योंकि हम भी एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं और अपना दृष्टिकोण रखना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

पहले इनको समाप्त करने दीजिये, समय होने पर देखेंगे।

*चौधरी अब्दुल हसीब खां--

अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ४ और ५ के सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि सेल्स टैक्स का बोझा तो सीधे गरीब जनता पर पड़ेगा क्योंकि ताजिर या दूकानदार तो खरीदार से पैसा वसूल कर लेता है और उस पर टैक्स का असर नहीं पड़ता।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी ट्रकों पर गुड्स टैक्स लगाया है और जिसका एलान अभी हुआ है। उसका असर यह हुआ है कि ७५ रुपया माहवारी ट्रक वाला अदा कर देता है लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि वह उससे ज्यादा पैसे कमा लेता है टैक्स के नाम पर और खुद हजम कर जाता है। सेल्स टैक्स में भी वही हालत है। छोटा दूकानदार लिखा-पढ़ी या हिसाब-किताब तो रख नहीं पाता और सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाजायज दबाव से बचने के लिये मनमानी रकम टैक्स के मद में देने के लिये तैयार हो जाता है और उसे खरीदार से वसूल कर लेता है लिहाजा मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे दूकानदारों पर से बिक्री-कर हटा लिया जाय। इस गिरानी और महंगाई के जमाने में रोजाना इस्तेमाल के अशिआ जिनको ज्यादातर गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर हर्गिज सेल्स टैक्स न लगाया जाय। अगर उसे लगाना है तो एक जगह लगे। तमाम जगहों पर लगने की वजह से गोलमाल करने का मौका होता है। वह नहीं होना चाहिये। जहां से माल जाता है वहां पर टैक्स लगे। हर जगह पर टैक्स न लगे। सरकार इस तरह से एक जगह पर ज्यादा गहराई से जांच कर सकती है और उसको आसानी हो सकती है।

मनोरंजन और भूमि, भवन-कर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस आइटम के अन्दर ३२,२७,१०० रुपये की रकम में से भूमि भवन कर में सिर्फ २१ लाख ४० हजार ७०० रुपये दिखाये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भूमि, भवन-कर सरकार को नहीं लगाना चाहिये। इसकी वजह यह है कि शहरों के अन्दर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के रूप में म्युनिसिपैलिटी खुद ही टैक्स लगाती है जो वह उन मकान वालों से वसूल कर लेती है।

(इस समय २ बज कर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस ग्रान्ट का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं हो सकता। इसके लिये समय निश्चित हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में एक दो बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरा अपना विचार यह है कि यहां पर जो सुझाव दिये गये हैं सेल्स टक्स की वसूली के सम्बन्ध में कि इस विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण टक्स का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि सरकार के मन्त्रि परिषद् के लोग, जिसमें कुछ जिम्मेदार मंत्री भी हो सकते हैं और मेजारिटी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, उनके पूंजीपतियों से सहयोग के कारण वह नहीं हो रहा है। ये लोग पूंजीपतियों से सम्बन्ध रखे हुये हैं। उनके कारण हमारे सेल्स टैक्स आफिसर या जो दूसरे अधिकारी हैं, वे सक्षम नहीं हो पाते हैं कि सारा सेल्स टैक्स का धन वसूल कर सके। मैं इसका उदाहरण देता हूं। मेरे नगर में एक बिक्री कर अधिकारी ने एक बड़ी फर्म मदन मोहन दम्भामल पर छापा मारा जो लाखों रुपये की सेल करते हैं। उनके पास नकली खाते थे। वह अधिकारी पुलिस फोर्स ले कर गया तो उसको रिवाल्वर दिखाकर उस आदमी ने अपने नकली खाते उस अधिकारी से छीन लिये और उस बिक्री कर अधिकारी को उसने घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उस बिक्री कर अधिकारी ने उस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से आपत्ति की उस सम्बन्ध में वहां के जिलाधीश ने कार्यवाही करना प्रारम्भ किया, तो उस फर्म व्यक्ति के खिलाफ वारन्ट जारी हुआ। उसके बाद यहां पर हमारे प्रदेश की सरकार के कुछ मंत्री महोदयों का सहारा पाकर उसकी बेल की दरख्वास्त मंजूर हो गई। वह ऐसा केस था जिसमें उसको जेल जाना चाहिये था बाद में जमानत होती। लेकिन उसको बेल पर छोड़ दिया गया। बेचारा बिक्री कर अधिकारी या दूसरे अधिकारी क्या करें जब यहां पर बैठे जिम्मेदार लोग ही स्वयं ऐसे लोगों की सहायता के लिये सामने आ जाते हैं। यहां पर कर्तव्यनिष्ठा के लिये शपथ लेते हैं कि हम अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन करेंगे लेकिन इस तरह की कार्यवाहियां करके हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि अगर छोटे-छोटे उद्योगों को हमारी सरकार ने और हमारे मन्त्रि-मंडल ने इस प्रदेश में बढ़ाने की बात नहीं सोची। तो मैं कहता हूं कि गांधीवाद किस तरह से पनप सकता है। ये छोटे-छोटे उद्योग उसी गांधीवाद के ऊपर आधारित हैं। ये छोटे-छोटे घरेलू उद्योग उसी गांधीवाद की विचारधारा के प्रतीक ह। इसलिये गांधीवाद की विचारधारा के लोगों को इन छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में और गांवों में यदि ये कुटीर उद्योग धंधे पनपाये जायं तो वहां के लोगों को बहुत इससे लाभ हो सकता है। जैसे कि मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी और फिरोजाबाद में छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं वे सब इसी गान्धीवाद की विचारधारा के ऊपर आधारित हैं। उन उद्योग-धन्धों के सामान पर ३, ३ स्थानों पर टैक्स लिया जाता है। पहले तो कच्चे माल पर टैक्स लिया जाता है। जैसे कि लेदर है उस पर कच्चे माल पर पहले टैक्स लिया जाता है। उसके बाद जब तैयार करके वह बेचने जाता है तो तब उस समय टैक्स लिया जाता है और उसक बाद फिर जब वह दूसरे व्यापारी के पास दूसरे मारकेंट में जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। आपको वन प्वाइन्ट टक्स लगाना चाहिये ताकि वहां जो छोटे-छोटे उद्योग हैं वह उससे कुछ फायदा उठा सकें और वह उद्योग पनप सके। अब ऐसा नहीं होता है। वह इसलिये नहीं होता है कि सरकार का ११ करोड़ रुपया लगभग बड़े पूंजीपतियों के पास बाकी है। इसलिये दूसरे लोगों पर उसका भार जाकर पड़ता है, मेरे कहन का मतलब यह है कि वह रुपया सरकार का बाकी ही नहीं बल्कि वह रुपया जनता से वसूल करने के बाद पूंजीपतियों के पेट में रख दिया गया है और उस ११ करोड़ रुपये से वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार जो पैसा उन्होंने हमारे प्रदेश की जनता से वसूल किया है वह उनके पास रहना ज्यादती है। क्यों नहीं इसके लिये उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता? सरकार कह सकती है कि ऐसा करने से उद्योग समाप्त हो जायेंगे, मजदर बेकार हो जायेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा और इस प्रकार प्रदेश खतरे में पड़ जायगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उद्योग-

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

पति अगर जेल भेजे जाते हैं तो वह सारे कारखाने समाप्त हो जायेंगे । उनका अपना मैनेजमेंट है, वहां हमारा मैनेजमेन्ट काम करेगा और अधिक उत्पादन करेगा । सरकार उसे अपने हाथ में ले । उससे हम बकाया टैक्स वसूल करेंगे और ऐसा करके हम बड़े उद्योगों पर अपना कंट्रोल रख सकेंगे । इसके लिये आवश्यक है कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक किसान या मजदूर मुख्य मंत्री की जगह बैठे । आज उद्योग-पति सरकार की नीति का निर्धारण करते हैं । वह किसान या मजदूर जो इस नीति का हो और उद्योगपतियों की दावतें न खाये हो तभी वह मुख्य मंत्री के स्थान पर बैठ कर इस प्रकार की नीति निर्धारित कर सकता है । मेरा सुझाव है कि इन्डाइरेक्ट टैक्सेज लिये जांय । जापान में तो सरकार का सारा खर्च सेल्स टैक्स पर ही निर्भर करता है लेकिन उत्पादन यहां से अधिक होता है।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों का इधर के और उधर के । आभार प्रकट करता हूं इसलिये कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया । जो विचार प्रकट किये गये हैं उनमें सब से पहली बात यह है कि विभाग के कर्मचारी भ्रष्ट हैं जिनके कारण ठीक से वसूली नहीं हो पाती और न सही एसेसमेंट ही हो पाता है । इस कारण मंत्री जी से प्रार्थना है कि विभाग पर वे कुछ अंकुश लगायें । सही माने में यह विभाग पूर्ण स्वतंत्र है, इसी को स्वराज्य मिला है । जो चाहता है करता है, कोई सुनने वाला नहीं है । इनके व्यवहार से न केवल व्यापारी वर्ग बल्कि जनता भी त्रस्त है । दूसरी बात टैक्स इवेजन की है । आपके यहां कितना माल आता है और चला जाता है इसे चेक करने का कोई साधन नहीं है । इस पर भी आपको विचार करना होगा कि आप छोटे व्यापारियों से तो टैक्स ले लेते हैं लेकिन बड़ी कंपनियां, जिनके नाम भी मैंने बतलाये थे, घी तैयार कर के सीधे-सीधे कलकत्ता या बंबई भेज देती हैं और इस तरह से वे टैक्स बचा लेती हैं और आप उन से सेल्स टैक्स नहीं ले पाते । इसके लिये भी आपको कोई नियम बनाने होंगे । इसके अलावा ट्रकों पर कितना माल आता है और वह कहां से आ रहा है, किस के लिये जा रहा है, इसकी जानकारी तथा चेक भी आपको रखना चाहिये ताकि उन से सेल्स टैक्स लिया जा सके । तीसरी चीज यह है कि यह सेल्स टैक्स जनसाधारण को उपयोग की वस्तुओं से हटाना होगा । पहले एक नमक पर टैक्स लगने पर पूजनीय महात्मा गांधी ने कितना बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया था । आप उसे भूल कर सभी वस्तुओं पर जो रोज के खाने पीने में आती हैं, टैक्स लगा रहे हैं । इसके अतिरिक्त जो अपने बगल के प्रान्त हैं उनके और अपने करों में विषमता न रखकर के समानता लाने का प्रयत्न किया जाय, क्योंकि सभी सदस्यों ने बतलाया कि कच्चा माल अपने यहां नहीं होता है । अपने हाथ में सुई लगा रहे हैं । कर मिलता है लेकिन यह नहीं देखते कि दूसरा अंग लुंज हुआ जा रहा है । तो इन चीजों पर आप ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभार मानता हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिये हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि सुझाव देते हुए नाराजगी का इजहार तो बहुत हुआ लेकिन जो थोड़ा सा काम अच्छा होता है उसके लिए दो-चार शब्द अच्छे भी कहने चाहिए थे ताकि अच्छा काम करने वाले और मुस्तैदी से काम करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाय । असेसमेंट जो तेजी से हो रहा है, वसूली में वृद्धि हो रही है उसके लिये उनकी तारीफ हो जाय, तो वह भी आशा करें कि हम केवल बुराई की तरफ ही नहीं जाते हैं बल्कि अच्छाई की तरफ भी जाते हैं ।

हमारे प्रदेश में जो बिक्री-कर लगता है वह उसी आधार पर लगता है जिस आधार पर कि मद्रास में लगता है । कहीं पर हमारे यहां बहुपदीय टैक्स है, कहीं पर एकपदीय है । यह मांग कभी-कभी होती रहती है कि बहुपदीय टैक्स न हो, सब एकपदीय कर दिया जाय, लेकिन हमारे प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां पर संगठित व्यापार की संख्या बहुत ज्यादा न हो वहां सब बिक्री-कर को एकपदीय में बदल देना बड़ा मुश्किल है। यह उन राज्यों के लिये आसान है जहां पर संगठित व्यापार होते हैं। जहां संभव होता है, कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती है वहां इस बात की कोशिश की जाती है कि बहुपदीय की जगह पर एकपदीय कर दिया जाय। माननीय सदस्यों को मालूम होगा, कुछ दिन पहले लकड़ी के ऊपर जहां बहुपदीय कर था वह एकपदीय कर दिया गया, क्योंकि लकड़ी ज्यादातर सरकारी जंगलों से आती है और सरकारी विभाग से वसूल करने में कोई परेशानी नहीं थी इसलिये वह आसान था। खाद्यान्नों पर बहुपदीय था, आम तौर से खाद्यान्न दो-तीन हाथ से गुजरता था और जिस तरह की बिक्री की प्रथा हमारे प्रदेश में है उसमें कहीं पर कच्चा अढ़तियां होता है और कहीं पर उसको किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, वह लोग किसानों के माल बिचवाते हैं और उनकी मदद करते हैं, लेकिन जो टैक्स का कानून था उसके अनुसार उन पर भी टैक्स का भार पड़ता था। तो इन सब बातों को देख कर एक कमेटी सरकार ने नियुक्त की जिसका जिक्र जगदीशशरण जी अग्रवाल ने किया था। उसने काफी इस प्रदेश का दौरा करके विभिन्न व्यापारिक संघों की बातों को सुनकर, गवाहियां लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और माननीय वित्तमंत्री को वह प्रस्तुत कर दी गयी है, वह जल्दी ही सरकार के विचार में आयेगी और आशा है कि उस पर जल्दी से कार्य हो सकेगा। इस कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी थी खाद्यान्न के संबंध में और उसी रिपोर्ट के ही आधार पर सरकार ने बिक्री-कर कानून में संशोधन किये और माननीय सदन की स्वीकृति के बाद उन्हें लागू भी कर दिया गया। अब खाद्यान्न पर एकपदीय कर हो गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुपदीय है.....

श्री जयराम वर्मा—

गुड़, राब, घी, आयल-सीड आदि पर भी एकपदीय टैक्स हो गया है। अभी इन सब की जानकारी माननीय सदस्य को नहीं है, इसलिये वे ऐसी बात कहते हैं। सभी बातों पर विचार करके ही कहीं ५ परसेंट और कहीं २ परसेंट तक करने का प्राविधान किया गया, खाद्यान्न पर डेढ़ परसेंट किया गया। घी पर पहले ३ परसेंट था, फिर ५ परसेंट किया गया, लेकिन जब घी वालों ने अपनी दिक्कतें बतायीं, तो सरकार ने उस पर विचार किया और फिर ३ परसेंट ही कर दिया। यह भी एकपदीय ही किया गया है, इसके आर्डर्स भी ईशू कर दिये गये हैं, वह लागू हो जायेंगे।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि बड़े-बड़े व्यापारी मक्खन और क्रीम आदि बना कर टैक्स से बरी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्रीम और मक्खन को भी अब बरी नहीं रखा गया है। उनको भी कम्पटीशन में आना पड़ता है। अब उन लोगों को इसकी शिकायत नही रहेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

हमने कुछ सूची बनाकर भी दी थी कि लोग घी बनाकर बाहर भेज देते हैं....

श्री जयराम वर्मा—

यह भी माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव आया कि एक काम्प्रीहेन्सिव बिल सदन के सामने आना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं माननीय सदन को, जैसाकि माननीय जगदीशशरण जी ने भी कहा है, कि उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने पहुंच चुकी है और सरकार उस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही उस पर कुछ निर्णय लेगी और उसके अनुसार एक बिल भी सदन में लाया जायेगा। उस कमेटी के सामने करापवन्चन आदि के मामले भी आये थे और भी बहुत सी बाते सामने थीं, जिन पर समिति ने विचार करके आपने सुझाव

[श्री जयराम वर्मा]

दिये हैं । दूसरे प्रदेशों में करों की क्या व्यवस्था है, इस पर भी समिति ने विचार किया है । किस तरह से करापवंचन को रोकने की आवश्यकता है, इस पर भी विचार किया है । अब जल्दी ही एक काम्प्रीहेन्सिव बिल सदन के सामने आयेगा और फिर इस ऐक्ट में जहां-जहां संशोधन की जरूरत है जिससे कि सुधार हो, अपने कर की वसूली में आसानी हो, व्यापारियों को कोई बेजा दिक्कत न हो, वे सब चीजें हो जांय ।

जहां तक कि गरीब व्यापारियों की बात कही गई, जैसा कि कानून है कि १२ हजार का टर्न ओवर या उससे ज्यादा हो, तब बिक्री-कर की सीमा में आ जाता है । खाद्यान्न पर २५ हजार का टर्न ओवर जरूरी है । ये जो हमारे अधिकारी हैं, उनका कर्त्तव्य है कि वे जैसा कि सदन ने नियम बना दिया है उसी के अनुसार कर लेने में अपने कत्तव्य का पालन करें । किसी व्यापारी का टर्न ओवर १२ हजार है तो अधिकारी उन पर कर निर्धारण की व्यवस्था करें । अगर छोटा व्यापारी हिसाब किताब नहीं रखता है तो हम मानते हैं कि अधिकारियों को कर निर्धारण में कठिनाई होती है । ऐसी दशा में अधिकारी क्या करें ? तो उनके सामने यही तरीका है कि वे सर्वे करें, अन्दाजा लगायें और देखें कि कितना माल दूकान में है । अगर हिसाब-किताब मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है । जहां तक छोटे व्यापारियों की बात है सरकार की यह बराबर नीति है, रही है और रहेगी कि हम उनको किस तरह से बचा सकते हैं और हम उनको बचाने की कोशिश जरूर करते हैं ।

अभी कच्चे आढ़तियों का बात कही गई । वे बिक्री-कर की परिधि में आ जाते थे लेकिन जो नया सशोधन किया है उस संशोधन के अधीन उनको कर से मुक्त कर दिया गया है । उनके ऊपर केवल यही जिम्मेदारी रखी गई है कि वे लाइसेंस लें और उसे लेकर हिसाब-किताब रक्खें कि कितना माल उनके पास आता है और कितना माल उन्होंने रजिस्टर्ड व्यापारी या पक्के आढ़तियों को दे दिया । इससे वह उतने माल के मूल्य के क्रय कर से बच जावेगा । अगर वे हिसाब किताब नहीं लिखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो जावेगी । कच्चा आढ़तिया जो माल देता है वह पहिले खरीदार माना जाता था और उसी पर टैक्स की जिम्मेदारी होती है । इसमें जो संशोधन किया गया है उससे छोटे तबके को ही बचाया गया है । जो खुदरा व्यापारी थे, जो बारह हजार में ही आ जाते थे, वे इस संशोधन की वजह से बच गये ।

कुछ माननीय सदस्य मुरादाबाद के पीतल के कारखाने की बात कर रहे थे । अब तक जिस तरह का कानन था, उस कानून के अनुसार अधिकारी के लिये कार्यवाही करना जरूरी है और जब तक कानून में तरमीम न हो जाय, चाहे वह विक्रय अधिकारी हो या उसका सहायक अधिकारी, वे उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

टर्न ओवर, श्रीमन्, आप किस तरह से लगाते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

जिनके पास दो भट्टियां हैं, उनका टर्न ओवर १२ हजार मान लिया जाय और एक भट्टी के ऊपर रिटर्न चाहे कितना ही हो, वह बारह हजार न माना जाय और उनसे कम वालों पर नहीं लगाते थे । लेकिन जो इस काम में लगे हुए हैं, वे छोटे छोटे काम करने वाले हैं, छोटी पूंजी के लोग ह, उनकी हैसियत अच्छी नहीं है, उनकी हालत जरूर खराब है । कमेटी के मेम्बरों ने उन्हें जाकर देखा । कमेटी के सामने मामला विचाराधीन रहा और समिति ने अपने सुझाव दे दिये हैं और उस पर सरकार जब अपना निर्णय लेगी तभी उस संबंध में कार्यवाही हो सकती है । लेकिन जहां तक उनकी हालत का सवाल है, उसकी पूरी जानकारी है और उनके साथ हमदर्दी भी है ।

अभी एक सदस्य कह रहे थे कि कि सोर्स पर कर लगा दिया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरह कैसे लागू होगा, उसका ध्यान नहीं रहता। ऐसा कहा गया कि छोटे व्यापारी जिनका टर्न ओवर १२,००० रु० से कम है, उनको चूंकि सेल्स टैक्स नहीं देना है, इसलिये माल सस्ता बेंचते हैं और ज्यादा मुनाफा ले लेते हैं और जिनको सेल्स टैक्स देना है, उनको मुनाफा कम मिलता है, तो एतराज यह है कि छोटे व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा क्यों दिया जाता है और दूसरी तरफ हमदर्दी की बात कही जाती है कि गरीबों के ऊपर क्यों भार डाला जाता है। इस तरह से जब तक अच्छी तरह से सब बातों पर विचार करके बात न कही जाय तो जिस मतलब से कहा जाता है, उसके खिलाफ पड़ता है ।

माननीय जगदीश शरण जो मौजूद नहीं हैं, वह यह कह रहे थे कि अपीलों का जो फैसला करने वाला अधिकारी होता है वह ऐसा हो, जिसके ऊपर व्यापारियों का विश्वास हो । ठीक है, कोई भी अधिकारी अगर ऐसा है, जिसके ऊपर जनता का विश्वास है, तो उनको अपने काम में ज्यादा सफलता मिलेगी। इस सिद्धान्त से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनका यह जो कहना है कि अपील का फैसला करने के लिये कोई जज रखा जाय, कोई जूडिशियल विभाग का आदमी रखा जाय, तभी उस बात को मानना चाहिये, बाकी हालत में नहीं मानना चाहिये, इसमें जो कठिनाई होती है और कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सेल्स टैक्स के बारे में एक रूपता सब प्रदेशों में लाई जाय, लेकिन सेल्स टैक्स के निर्धारण और उसकी अपील के बारे में एक रूपता न हो तो दोनों बात मेल नहीं खाती। जितने हमारे प्रदेश हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट में पहली अपील विभाग के अधिकारी के सामने होती है । इन्कम टैक्स में भी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पहली अपील विभाग के अधिकारी के सामने होती है, उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी नियम है कि वह जो असिस्टेंट कमिश्नर इस काम के लिये रखा जाता है, उसमें अधिक लोग विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन इस सिद्धान्त को चलाना कि विभाग के आदमी इसमें न रखे जांय और जूडिशियल साइड के ही आदमी लाए जांय तभी काम ठीक होगा, ऐसी बात बड़ी कठिनाई की है और इसी पर बार-बार जोर देना, जबकि किसी भी प्रदेश में यह बात चालू नहीं है, ठीक नहीं है और यह कहना कि विभाग के अधिकारी काम जानते नहीं है, उचित न होगा। वही लोग इस काम के लिये रखे जाते हैं, जिन्हें कई वर्ष का तजुर्बा होता है, इसलिये फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और न कोई देर ही होती है। यह बात भले ही कही जाय कि जूडिशियल साइड से नहीं आए हैं, इसलिये जनता का विश्वास उन पर नहीं होगा, यह तो कोई मुनासिब बात नहीं होगी । (लाल बत्ती) सब विभाग में जूडिशियल साइड से आदमी नहीं आए होते ह, वहां पर भी विश्वास होता है और यह कहना कि विश्वास नहीं होगा, मनासिब नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

लाल बत्ती हो गई है, अभी लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि ११ करोड़ से ज्यादा बकाया क्यों है ?

श्री जयराम वर्मा—

वह बताता हूं, हमने जो वर्तमान बजट पेश करते वक्त आमदनी का अन्दाज विक्रय-कर से किया था, वह १८ करोड़ १९ लाख का था, लेकिन अब जो हमारा रिवाइज्ड अनुमान है, उसके हिसाब से १९ करोड़ ५३ लाख है, यानी १ करोड़ ३४ लाख की वृद्धि है। इस बजट में २० करोड़ ५२ लाख का अनुमान रखा गया है। तो बराबर वृद्धि हो रही है लेकिन खर्चे में कोई विशेष वृद्धि नहीं है। खर्चे का जहां वर्तमान साल में अनुमान है ६०,४१,९०० रुपया, इस बजट साल में वह ७३ लाख ६५ हजार कुछ सौ है। सिर्फ १३ लाख की वृद्धि है। १० लाख की वृद्धि तो केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अभिनवीकरन के कारण है। उसे तो माननीय सदस्य सही मानते ही ह। तो केवल ३ लाख की वृद्धि रह जाती है जो कोई ज्यादा

[श्री जयराम वर्मा]

नहीं है। बिक्री-कर का बकाया ३-९-६४ को ११ करोड़ ३ लाख था। १-४-६४ को ११ करोड़ ७१ लाख था। इसमें से ५ करोड़ ९७ लाख रुपया ऐसा है जिसकी वसूली की कार्यवाही हो रही है और वसूल हो सकता है। ५ करोड़ ६ लाख ऐसा है जिसमें से कुछ वसूल नहीं हो सकता है और कुछ रकम की अदालतों से या दूसरे आदेशों से वसूली रुकी हुई है। कुछ रकम ऐसी है जो वसूल होने लायक नहीं है। बहुत से असैसीज का पता नहीं है, या दीवालिया हो गये हैं। यह बकाया सन् ४८ से है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यापार करके चलते बने।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने दो तरह के लोगों का जिक्र किया जिनसे वसूलयाबी असम्भव है, एक तो दीवालिया और दूसरे जिसका पता नहीं है। तो क्या सरकार सी०आई०डी० द्वारा जांच करावेगी कि वे कौन लोग थे जिन्होंने रोजगार किया और आज वे कहां और किस नाम से रोजगार कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

जैसा मैंने कहा, यह बकाया सन् ४८ से है। आज इसे राइट आफ न करने का मतलब यह है कि उनक बारे में पता लगाया जा रहा है। बकाया की वसूली की मियाद ६० साल की है। अगर पता लग गया तो जरूर वसूल होगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

कितने ऐसे फर्म हैं जिन्होंने कागज बदल दिये हैं और काम दूसरे नाम से करते हैं ?

एक सदस्य—

बिक्री-कर की वसूली २५ फीसदी भी नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन् जी, यह सवाल कि बिक्री-कर की वसूली केवल २५ प्रतिशत ही हुई है, गलत है। यह बकाया सन् १९४८ से आज तक का है। लगभग १३६ करोड़ अब तक वसूल हो चुका है और केवल ११ करोड़ के करीब ही बाकी है। यह तो २५ प्रतिशत का हिसाब नहीं है। वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। सख्ती की जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कन्नौज नगरपालिका के अध्यक्ष, सेठ चन्द्र गुप्त पर ८ लाख रुपया बाकी है। उसने एक लाख रुपया कांग्रेस को चन्दे का दिया था। कांग्रेस टिकट पर वह नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। उससे वह रुपया क्यों वसूल नहीं किया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

बकाये की वसूली की कार्यवाही हो रही है। वसूली में तेजी भी आयी है। १९६३-६४ के बकाये का भी २ करोड़ रुपया वसूल हुआ है। धीरे धीरे बकाये में कमी आ रही है। लेकिन यह कहना कि बकाया बिलकुल रहे ही नहीं, यह मुमकिन नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय और माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-४ बिक्री-कर के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर के अन्तर्गत ७३,६५,९०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ३२,४६,१०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--वन

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत ५,६७,५२,००० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शायद यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिये वन सम्पदा की बड़ी आवश्यकता है। जो विकसित देश हैं अर्थात् जो समृद्धशाली देश हैं, उनमें बहुत से उद्योग धंधे, वन से जो लकड़ी मिलती हैं, उस पर ही आधारित होते हैं। उद्योग धंधों के अलावा और बहुत से कामों के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती है और जितने देश पिछड़े हुए या गरीब माने जाते हैं उनमें लकड़ी का इस्तमाल कम होता है। मसलन यूरोप में प्रति व्यक्ति २६ घनफुट लकड़ी का इस्तेमाल होता है जब कि हमारे सारे हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति .६ घनफुट लकड़ी का इस्तेमाल होता है और हमारे प्रदेश में केवल .२ घनफुट लकड़ी का इस्तेमाल प्रति व्यक्ति होता है। इसका मतलब यह है कि यहां लकड़ी बहुत कम पैदा होती है। बन के सिलसिले में सन् १९५५-५६ में यह राष्ट्रीय नीति निर्धारित हुई थी। जिसमें कहा गया था कि देश के समुचित विकास के लिये यह आवश्यक है कि देश के ३३ फी सदी क्षेत्रफल में वन खड़े हों। लेकिन आज हमारे देश में ३३ फी सदी के बजाय २३ फी सदी भूमि का औसत है जिस पर कि आज पेड़ खड़े हैं और हमारे प्रदेश में वह औसत १५ फीसदी के लगभग है। पंजाब को छोड़ कर वन का रकबा हमारे प्रदेश में देश के और प्रदेशों से कम है। इसलिये हमारे यहां और भी इस बात की आवश्यकता है कि वन के रखरखाव पर और उसके रकबे के बढ़ाने पर हम अधिक ध्यान दें। यह तो वन की आवश्यकता मैंने बतलायी कि वन से ऐसे फायदे होते हैं।

वन के सिलसिले में हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि वन न होने से बजाय फायदे के उल्टे नुकसान ही होता है मसलन भूमि का क्षरण, भमि का कटाव। उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश की सबसे बड़ी दौलत उसकी भूमि होती है। अगर भूमि कट जाती है तो वह देश नष्ट हो जाता है। अब तक का इतिहास यह बतलाता है कि जहां बहुत सी सभ्यतायें नष्ट हो गयीं, जिनके कुछ और भी कारण थे, लेकिन एक बड़ा कारण था वहां की भूमि का इरोजन हो जाना, स्वाभाल इरोजन हो जाना, भूमि का क्षरण हो जाना। जिस वक्त कटाव हुआ, भूमि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बरगैंसह]

खराब हुई और वहां रेगिस्तान हो गया, जिससे वहां की सभ्यता नष्ट हो गयी तथा वह राष्ट्र नष्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कुछ और कारण हैं--लड़ाई में हार जाना, किसी राष्ट्र के चरित्र का पतन हो जाना, इसके साथ ही साथ, बल्कि इससे भी बड़ा कारण है वहां की जमीन का कट जाना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आनेवाली सन्तति और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां अच्छी हालत में रहें, वे सुख से रह सकें, तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम भूमि को अच्छी हालत में छोड़ कर जायें बल्कि जिस स्थिति में हमें भूमि मिली है उससे बेहतर स्थिति में छोड़ कर जायें। भूमि के क्षरण के रोकने का एक ही उपाय है या सबसे बड़ा उपाय है दरख्तों का होना, पेड़ों का लगाना। हमारे यहां बाढ़ आती हैं और उनको रोकने के लिये अनेक उपाय सोचे गये हैं जैसे बांध लगाना, गांवों की भूमि की सतह को उठाना आदि लेकिन यह सब बेकार हैं, स्थायी नहीं हैं और एक ही कारगर उपाय है, वह है पेड़ों का लगाना। पिछले महायुद्ध के जमाने में यानी सेकिन्ड वर्ल्ड वार में हमारे यहां पेड़ बहुत काटे गये और उसका फल यह हुआ कि हिमालय पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा नंगा हो गया, खाली हो गया पेड़ों से। मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि रानीखेत से गर्म पानी तक मैं भी गया हूं और बहुत से सदस्य गये होंग, मरा ध्यान उधर गया है और मैंने वहां जो देखा वह यह है कि गर्म पानी से भुवाली तक तो पेड़ मिलेंगे लेकिन वहां से नैनीताल तक कोरी चट्टान खड़ी है, कहीं-कहीं कोई पेड़ हैं वर्ना थोड़ी बहुत घास दिखाई देती है। यही हालत कुमायूं के बहुत बड़े भाग की हो गई है और उसका नतीजा यह है कि जो बूंदें पानी की आसमान से गिरती हैं वह बजाय जमीन में जज्ब होने के सीधे गंगा और रामगंगा और जमुना नदियों में पहुंच जाती हैं जिससे जमीन कटती है, बाढ़ आती है और बहुत तेजी से पानी एकदम आता है। यदि हम इस चीज को रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहां बाढ़ें कम आयें तो जरूरत इस बात की है कि हम वनों के संरक्षण पर अधिक ध्यान दें, उनके विस्तार पर ध्यान दें और अगर सम्भव तो उनके क्षेत्रफल को भी बढ़ाने की ओर ध्यान दें।

अब देखा जाय कि हम किस प्रगति से इस ओर बढ़ रहे हैं। हम ने पहली पंचवर्षीय योजना में १३८ लाख ८२ हजार रुपया वनों के विकास के लिये व्यय किया और दूसरी योजना में २६८ लाख ३९ हजार रुपया व्यय किया। इसके लिये १५ योजनायें बनाई गईं, उनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी योजना में ९ करोड़ ४७ लाख रुपया की स्कीम बनी जिसमें १ करोड़ १७ लाख रुपए की उत्तराखंड के वनों के विकास की भी स्कीम शामिल है। इस तरह से अब १४ स्कीमों पर काम हो रहा है। मैं इस समय सदन की सूचना के लिये लगभग ५--६ योजनाओं की प्रगति बताना चाहता हू। पहली स्कीम यह थी कि आर्थिक और औद्योगिक महत्व के पेड़ लगाये जायं जैसे साल, टीक, सीस, कन्जू और शहतूत वगैरह। ४६ हजार एकड़ में यह स्कीम चल रही है। इस पर ११३ लाख रुपया व्यय होगा। दूसरी स्कीम वहां के लिये जहां कि वन में पेड़ तो काफी हैं लेकिन वह कम मूल्यवान् लकड़ी है, उनके स्थान पर अधिक मूल्यवान लकड़ी के पेड़ों का लगाना। एक योजना ऐसी है जिसमें २५ हजार ५०० एकड़ में पेड़ लगाये जायंगे जिसमें ८५ लाख के करीब रुपया खर्च होगा। इसी तरह से दक्षिण रीजन में यानी बुन्देलखड और मिर्जापुर में जो जंगल हैं वे बहुत अच्छे नहीं हैं। इन जंगलात को रिहेबिलिटेट करने की या अच्छे पेड़ वहां लगाने की भी स्कीम है जो ३५ लाख रुपये की है और यह काम वहां ४५ हजार एकड़ में चल रहा है। चौथी स्कीम है रेजिन बनाने की। हमारे यहां साढ़े तीन लाख मन रेजिन अब तक पैदा होता है। रेजिन को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। तो ३ लाख ८५ हजार मन रेजिन और बढ़ाने के लिये एक स्कीम बनायी गयी थी जिसमें १ करोड़ रुपया खर्च होगा। १९६४--६५ में जो साल अब चल रहा है २ लाख ५ हजार मन रेजिन की पैदवार बढ़ायी जा चुकी ह जिसमें ५३ लाख

रुपया खर्च हुआ है। स्कीम है १०० लाख रु० की और मंशा है ३ लाख ८५ हजार मन रेजिन बढ़ाने की।

पांचवीं स्कीम है पुल, सड़कों और टेलीफोन लाइन की, क्योंकि बहुत से जंगल ऐसे हैं जहां आने-जाने का रास्ता नहीं है इसलिये उनका ऐक्सप्लायटेशन असम्भव है। तो उन जंगलों से लकड़ी बाहर लाना या नये दरख्त लगाना तभी सम्भव हो सकता है जब वहां सड़क वगैरह का इंतजाम हो।

इसके अलावा स्वायल कंजरवेशन का काम है जिसकी एक योजना है ६५ लाख रु० की, ३२,५०० एकड़ में भूमि संरक्षण करने के लिये। उसमें से अब तक ४९ लाख रु० खर्च हुआ है और भूमि संरक्षण का काम हो चुका है २८,७०८ एकड़ में।

एक बात और मैं माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं जिस पर उनका ध्यान खास तौर से आकर्षित हो और वह यह हैं कि चम्बल और जमुना में जो हमारे यहां रेवाइन्स, बीहड़ हैं, यह बहुत बड़े-बड़े हैं। लाखों एकड़ के बीहड़ हैं और उनका जो अब तक हम रकबा समझते थे वह ३५ लाख एकड़ समझते थे गवर्नमेंट आफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार। उनके अनुसार ६० लाख एकड़ में बीहड़ थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, चम्बल और जमुना के दोनों किनारों पर। उनके हिसाब से १५ लाख एकड़ पर मध्य प्रदेश में बीहड़ थे, १० लाख एकड़ पर राजस्थान में और ३५ लाख एकड़ पर हमारे यहां थे। अब ३५ लाख एकड़ जमीन का स्वायल कंजरवेशन करना या उस जमीन को रिक्लेम करने का खर्चा जो हमारे यहां बताया जाता था। वह २ अरब रुपये के करीब आता था, ६०० रु० फी एकड़ के हिसाब से। तो इतना रुपया कहां से आये? लिहाजा जब कभी यह बात हमारे सामने आती थी तो कागजात उठा कर एक तरफ रख दिये जाते थे।

एक बार यह भी विचार किया गया, बहुत से लोगों की राय थी और एक अमेरिकन विशेषज्ञ आये, उन्होंने सुझाव दिया कि इन बीहड़ों को बुलडोजिंग कर दिया जाय और जमीन की सतह एक सी हो जाय। लेकिन उसका खर्चा भी बहुत था। और अगर विचार किया जाय तो उस स्कीम से उतना ही नुकसान है क्योंकि लेविल नीचा हो जाता जमुना और चम्बल की बेड से। जिसके कारण इन नदियों का पानी २, २ मील के दायरे में इधर-उधर घूमता। तो उस पर भी विचार नहीं हुआ। जब ऐग्रीकल्चर वालों से कहा गया तो उनका कहना था कि रेवाइन्स को रिक्लेम हम नहीं कर सकते। रेवाइन्स जहां शुरू होती है और उसके ऊपर जो जमीन जेरे काश्त है उसको तो रिक्लेम कर सकते हैं लेकिन जो जमीन कट चुकी है, गली जहां बन गयी है वह हमारी ताकत के बाहर है। फारेस्ट डिपार्टमेंट के सामने एग्रीकल्चर वाली बात आती। तो वे कहते कि हम नहीं कर सकते। हमारे दोस्त जो उस इलाके के रहने वाले हैं वे अगर अपनी स्मरण बुद्धि पर जोर देंगे और पुरानी बातों को याद करेंगे कि ३०–४० वर्षों में जहां जमीन कट रही थी वह जमीन कटते-कटते आबादी तक पहुंची चुकी है। बेशकीमती जमीन उनकी आंखों के सामने कटती जा रही है। मैं नहीं समझता था कि इसका इलाज क्या है। ३५ लाख एकड़ तो यह जमीन हो नहीं सकती थी। तो हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछा कि आपने यह कैसे हिसाब लगाया, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। पता लगाने से ये ३ लाख ८० हजार एकड़ रेवाइन्स के निकले। जिस समस्या को हम इतनी बड़ी समझते थे, उसके साइज को देख कर उस समस्या को हल करने की बात हमारे मन में नहीं आती थी, वह समस्या बहुत छोटी रह गयी।

एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। छलेसर एक जगह है जो जमुना के दूसरी तरफ है। वहां भी इसी तरह के बीहड़ है। वहां पर एक स्कीम १९५४ में बनायी। लेकिन मुझे उसको देखने का मौका नहीं मिला कि उस स्कीम पर कैसा काम हुआ। अब की मार्च में जाने का मौका मिला। वहां पर १,८७० एकड़ में जहां कहीं पर ब्लेड आफ ग्रास भी नहीं होता था, वहां

[श्री चरणसिंह]

आज दरख्त लगाये गये हैं। वहां के अफसरों से पूछने पर कि वहां के गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने बताया कि वे लोग बहुत खुश हैं। वह पिकनिक स्पाट हो गया है, आगरा शहर वालों का और खर्चा भी १७० रु० फी एकड़ ही हुआ। एक तो रकबा कम निकला। १/७ बल्कि १/८ और दूसरे कास्ट जो हम समझते थे कि कुल खर्चा ६०० या ७०० रु० फी एकड़ होगा, वह केवल १७५ रु० ही फी एकड़ हुआ। तो इस समस्या को हमने दो हिस्सों में कर दिया। जिन जमीनों में गली बन चुकी है वह जमीन तो फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी। जिस जमीन में आज खेती हो रही है लेकिन कटान जारी है वह एग्रीकल्चर विभाग को दे दी। वहां स्वायल कन्जरवेशन हो रहा है। स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन ऐक्ट इस सदन में पिछले साल एप्रूव किया गया था। जहां पर रेवाइन्स का एरिया है वहां पर फारेस्ट डिवीजन द्वारा ५ १/२ हजार एकड़ का रिक्लेमेशन हो चुका है। १५ साल के अन्दर जितना रेवाइन का एरिया आगरा, एटा, बदायूं, हमीरपुर में था वह ४ लाख करोड़ के करीब है। सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था। वह अब फारेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। गांव समाज के पास जो रकबा था वह भी ले लिया गया और उस सारे रकबे को ३ हिस्सों में तकसीम कर दिया जायगा। एक हिस्से में ५ साल के लिये जानवरों को छोड़ने के लिये इजाजत नहीं है। सारे एरिया के तिहाई नहीं बल्कि हर इलाके के रेवाइन्ड एरिया के तीन हिस्से, एक तिहाई हिस्से में ५ साल तक ग्रेजिंग बन्द रहेगी और दो तिहाई में ग्रेजिंग होती रहेगी। जब ५ साल में दरख्त ऊंचे हो गये तो एक तिहाई और ले लिया जायगा। इस तरह से १५ साल में ४ लाख एकड़ रकबा स्टेट में फारेस्ट का बढ़ जायगा।

आज फारेस्ट पर चारों तरफ से दबाव है कि फलां काम के लिये जमीन की जरूरत है, दरख्त कटवा दिये जायं। मसलन आर्मी के लिये बैरिक बनवा दिये जायं। जो आर्मी की ट्रेनिंग के लिये जरूरी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिये जमीन चाहिये। बांध, इर्रीगेशन के लिये रिजरवायर्स, सड़क तथा स्कूलों के लिये जमीन चाहिये। सन् ४७ से जब से यह गवर्नमेंट आ ई है तब से अब तक १९० मील रकबा फारेस्ट का इन सार्वजनिक कार्यों के लिये कट चुका है और अब दरख्त काटने के लिये फारेस्ट वाले बड़ा रेसिस्टेंस करते हैं। जंगलात वालों से अगर अब जमीन मांगी जाती है तो उनकी प्रक्रिया एकदम खिलाफ होती है। दूसरे लोग यह समझते हैं कि यह जंगल खड़ा है, बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर दरख्त काट लिये जायं तो हमारा फलां काम बड़ी आसानी से हो जाय, भूमिहीनों को जमीन मिल जाय। लेकिन फारेस्ट वालों की जो ट्रेनिंग है, जो उनका दृष्टिकोण है वह साल, दो साल के लिये नहीं है। वह अगली जेनरेशन के लिये प्लान तैयार करते हैं। आम पब्लिक के लोग ही नहीं, पढ़े-लिखे लोग, दूसरे विभागों के राज्य कर्मचारी भी फारेस्ट वालों को रिजिड कहते हैं और यह समझते हैं कि इनकी समझ में माकूल बात भी नहीं आती है। तो जंगल पर ये डिमांड्स रहेंगी और बहुत सी डिमान्डस का रेसिस्टेंस नहीं किया जा सकता और वनों का जो रकबा है वह कम होगा। इसलिये हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि जिस जगह आज वन नहीं हैं वहां वन हों क्योंकि जिस जगह आज वन है उनमें धीरे-धीरे कमी आयेगी। इस तरह से रेवीन्स में वन लगाये जायं, इससे जमीन की रक्षा भी हो सकेगी। उचित यह होगा कि २०, २५ साल बाद जो फारेस्ट मिनिस्टर हो अथवा जो सरकार हो। जब वन लग जायं रेवाइन्स में तो उनको काटा न जाय। वे वन बड़ी भारी दौलत होंगे। उनसे कहीं ज्यादा इनडायरेक्ट फायदा होगा जितना कि उस रकबे में खेती करने से हो सकता है। अगर वन काटे गये तो रेवाइन्स बढ़ेंगे। इस तरह से ३, ४ लाख एकड़ का रकबा वन में बढ़ जायगा और चम्बल के रेवाइन्स का मसला इस प्रकार से हल हो जायगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है एफ० ए० ओ०। फूड एंड एग्रिकल्चर के मामले में उनके एक्सपर्ट्स यहां आते हैं और केन्द्रीय सरकार तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग उनसे टेक्निकल इमदाद लेते हैं। उनके विशेषज्ञों की राय यह थी कि हमारे यहां जो कंजरवेटर

का सर्किल है, क्षेत्रफल है डिवीजनल फारेस्ट आफिसर तथा दूसरे वन अधिकारियों के मातहत वह एक एफिशियेंट मैनेजमेंट के लिये ज्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है। उसका इन्तजाम वह नहीं कर सकते। थर्ड फाइव इयर प्लान में यह स्कीम शामिल थी स्टाफ बढ़ाने की, जितनी उनकी सिफारिश थी उसके मुताबिक तो नहीं लेकिन कुछ स्टाफ बढ़ाया गया है। उनके सर्किल का एरिया कम किया गया है और बीड्स का भी कम किया गया है और इसमें खर्चा होगा ३०,००,५६० रुपये लेकिन ५० लाख रुपये साल की स्टेट की आमदनी बढ़ जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो लकड़ी वनों से काटी जाती है उसमें से ४० प्रतिशत काम में आती है, बाकी बेकार जाती हैं। दूसरे मुल्कों में लकड़ी काटने के हुनर में बड़ी तरक्की हुई है जिसे लौगिंग कहते हैं। हमारे यहां अगर साइंटिफिक तरीके से लकड़ी काटी जाय तो ८० प्रतिशत उपयोग में आ सकती है। इस तरीके से जो बहुत बड़ा नुकसान ठेकेदारों को लकड़ी नीलाम करने की वजह से होता है वह नहीं होगा अगर साइंटिफिक तरीके से लकड़ी काटी जाय। दरख्त काटने के तरीके अच्छे होने चाहिये और ऐसे दरख्त काटे जा सकें जो आज नहीं काटे जा सकते हैं और अगर काटे जाते हैं तो २० या ३० प्रतिशत लकड़ी मुश्किल से मिलती है। इसके लिये एक अफसर ट्रेनिंग के लिये गये थे और वह ट्रेनिंग पा आये हैं और टेहरी गढ़वाल में यह आपरेशन चल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर धीरे-धीरे इस तरह से वनों का शोषण होगा तो आमदनी और बढ़ जायगी।

श्रीमन्, मैं भूमि संरक्षण स्कीम बता चुका था। एक स्कीम में केन्द्र की ओर से रामगंगा पर कालागढ़ में बांध बन रहा है। १९५९ तक यह पूरा हो जायगा। जो बांध बनेगा वह पानी का एक बहुत जखीरा होगा यानी एक बड़ा रिजरवायर होगा। दूसरे मुल्कों का तजुर्बा यह है कि स्वायल कंजरवेशन का नाम रिजरवायर के कैचमेंट एरिया में किया जाय। पानी के साथ भूमि कट कर आयेगी तो ३०-३५ साल में वह बांध भर जायगा। इसलिये जितनी भी हमारे यहां इसकी स्कीम बनी हैं तो यह तय हुआ कि कैचमेंट एरिया में यह काम किया जाय ताकि हमारा रिजरवायर १००-१५० वर्ष तक काम करता रहे। रामगंगा का जो कैचमेंट एरिया है उसमें खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया दे रही है, उसमें काम हो रहा है और कई हजार एकड़ में फारेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। इस स्कीम का ५० लाख का टार्जेट है और ३४ लाख खर्च हो चुका है।

श्रीमन्, हमारे यहां यूक्लिप्टस, शहतूत और बांस जिससे कागज बनाया जा सकता है, के प्लान्टेशन की कोशिश हो रही है। ३० हजार एकड़ में प्लान्टेशन करने का था लेकिन ३८ हजार एकड़ में प्लान्टेशन लग जायगा। मतलब यह है कि उससे भी ज्यादा काम हो जायगा। ६० लाख खर्च करना था लेकिन हम ८७ लाख खर्च करेंगे। प्लान्टेशन के संबंध में गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोगों ने भी कहा है और रूमानिया के मिनिस्टर आये थे वे इसको देखकर आये थे, उन्होंने कहा है कि इसको देखकर मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। यहां का प्लान्टेशन बहुत अच्छा है। पिछली साल इस सदन ने पुराने कानून में एक छोटा सा संशोधन किया था कि गवर्नमेंट जहां चाहे प्राइवेट फारेस्ट को १५ साल के लिये अपने प्रबन्ध में ले ले ताकि फारेस्ट कट न जायं और उस पर काम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अन्त में एक बात और बताकर अपना कथन समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को बड़ी खुशी होगी इसे जानकर। जो जंगलात हमारी बदइन्तजामी की वजह से पहाड़ पर कटते जा रहे थे, उसका कारण यह था कि वहां पर दो तरह के वन थे। एक तो रिजर्व क्लास—वन और दूसरे रिजर्व क्लास—टू। तो जो रिजर्व क्लास—टू वन थे उनके बारे में एक पुरानी कहानी है कि वह वन फारेस्ट विभाग के प्रबन्ध में थे, उनका प्रबन्ध ठीक था। लेकिन जो रिजर्व क्लास-वन फारेस्ट थे वह रेवेन्यू विभाग के प्रबन्ध में थे तथा इनका रकबा १७८३ एकड़ था। रिजर्व रेक्लास—टू के वनों के बारे में लोगों की काफी शिकायत रही थी और शायद १८९३ के आखिर में वन विभाग के प्रबन्ध के बारे में गांव वालों की शिकायतें थीं और वह शिकायतें हुईं और उस वक्त जो एजीटेशन जंगलात विभाग के खिलाफ हुआ उसमें थोड़ी सी भावना यह थी कि वन

[श्री चरणसिंह]

विभाग के विरुद्ध एजीटेशन करने का अर्थ था मानो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन और एजीटेशन, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज हुकूमत थी और सब अंग्रेज अफसर थे और कुछ अधिकारियों के कारण भी उन्हें तकलीफ रही होगी। अतः उस समय वहां पर जोरों का एजीटेशन हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि एक ग्रीवेन्सेस कमेटी बैठी और उसने यह सिफारिश की कि यह रकबा डिप्टी कमिश्नर वगैरह के इन्तजाम में दे दिया जाये। मगर उस वक्त ही, उस समय जो चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट, मिस्टर विलसन थे उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आज यह रकबा वन विभाग के बाहर दिया जा रहा है, किन्तु समय आएगा कि लोग कहेंगे कि इसे फिर फारेस्ट डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले ले। क्योंकि लोगों में कुछ प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे इमीडिएट हित को देखते हैं लेकिन आगे चल कर दूर भविष्य में होने वाले लाभ को नहीं देखते हैं। तो अब उसका नतीजा यह है कि, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पास न तो इतनी टेक्निकल नालेज होती है न वैसा स्टाफ, वहां के जंगलों का कोई ठीक प्रबन्ध नहीं हो सका और जंगलात बर्बाद हो गये और उसके बाद यानी सन् ४७ के बाद इस गवर्नमेंट के समय में कई कमेटियां बैठीं, ३ कमेटियां बैठीं, ४९ में, ५५ में और फिर ६० में बैठी। इन सबकी रिपोर्ट है कि वह जो वन हैं वे धीरे-धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं और वन विभाग को इन्हें वापस लेकर इनका साइन्टिफिक अरेन्जमेंट करना चाहिये और अब गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि इन्हें ले लिया जाये। वहां की जिला परिषद् ने भी यह फैसला कर लिया है और वहां के जंगलों से सम्बन्धित देहाती लोगों ने भी यह कहा कि उनकी बदइन्तजामी हो रही है, इसलिये यह वन विभाग को दे दिये जायें। तो यह अभी नवम्बर में फैसला हुआ है और जो रिजर्व फारेस्ट क्लास वन के थे वे गवर्नमेंट ने अपने इन्तजाम में ले लिये हैं।

सन् ५९ में गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो कांफ्रेंस हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि जिन गांवों के लोग फारेस्ट पंचायत बनाना चाहें वह बनायें। उनका प्रस्ताव आया, डिस्ट्रिक्टस में कमेटी बनाई जाये और फिर ऊपर गवर्नमेंट तय करे। बहुत सी पंचायतें बन भी चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जब सन् ५९ में निर्णय लिया है तो उसने यह कहा है कि फिलहाल तो ले लिया है लेकिन जहां-जहां पंचायतें बन जाएंगी वहां-वहां वह जमीनें छोड़ दी जायंगी। मुझे मालूम हुआ है कि वहां के कमिश्नर ने कहा कि उनके बहुत अधिकार हैं और उन्होंने मुझे खत भी लिखा और पंचायतें बन भी गई हैं और उनके हाथ में इन्तजाम रहेगा। २/३ या ३/४ रकबा फारेस्ट डिपार्टमेंट के डाइरेक्ट प्रबन्ध में आ गया है। यह वहां के कुमायूं के लोकल वाशिन्दों के फायदे की बात है और स्टेट का भी उससे फायदा होगा। इन शब्दों के साथ में सदन की स्वीकृति के लिये यह अनुदान पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री बिपिनबिहारी तिवारी से) आप जरा टाइम का खयाल रखें और १० मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इतने समय में समाप्त करना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये, दो चार मिनट और मिल जायगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमान्, चौधरी साहब ने जो चित्र इस सदन में प्रस्तुत किया उससे ऐसा लगा कि १४ वर्षों के अन्दर प्रदेश में वन सम्पदा इतनी अधिक हो जायगी कि यह प्रदेश मालामाल हो जायगा और सदा के लिये कष्ट समाप्त हो जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि वन का महत्व आर्थिक दृष्टि से है किन्तु आपके विभागीय अधिकारियों में उसका विचार नहीं है। वे न तो उतने सतर्क हैं और न वे उत्तरदायी हैं कि जो सरकार के द्वारा योजनायें बनायी जाय उनको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करें। उदाहरण के लिये कुछ आपकी योजनायें आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। १९५९ के नवम्बर मास में सरकार के द्वारा २२ सौ एकड़ भूमि पर, जो पिछड़े हुये पर्वतीय प्रदेश में थी, वृक्षारोपण करने की योजना बनायी गयी और इसके लिये ४·२ लाख रुपया स्वीकार किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि कुल ६३५ एकड़ भूमि में वृक्षारोपण हुआ और धनराशि कुल ४·२ लाख खर्च हो गया। सिर्फ एक हजार शेष रहा। इससे यह नतीजा निकलता है कि आपके अधिकारियों में कार्यशीलता का अभाव रहा होगा या अन्य कारण भी होंगे जिनसे वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

श्री चरणसिंह--

यह किस जिले की २२ सौ एकड़ भूमि की बात है ?

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

इस सम्बन्ध में आप अपनी आडिट रिपोर्ट १९६४ की देख लीजिये। आगे चलकर एक योजना यह बनी कि वनौषधियों के पौधे लगाये जायं। उससे बड़ा लाभ होगा। उस योजना में यह भी रखा गया था कि जब वनौषधियों के वृक्ष लगाये जायें तो निकटवर्ती ग्रामों के लोगों को प्रोत्साहित किया जाय, उनको उनकी उपयोगिता समझायी जाय और वे अपने घरों और बगीचों में उनको लगावें और लाभ उठावें। ८० एकड़ भूमि पर वनौषधि लगाने की योजना बनी और उसपर ·८० लाख रुपया मंजूर हुआ लेकिन कुल २९ एकड़ भूमि पर ही वृक्षारोपण हो पाया। आश्चर्य की बात यह है कि जब यह योजना बनाई गई थी तो यह भी अनुमान लगाया था कि प्रति एकड़ में जब वन औषधि के पौधे लगाये जायेंगे तो कितना व्यय होगा। तो सरकारी कर्मचारी और विभाग के लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि एक हजार रुपया प्रति एकड़ वृक्षारोपण पर खर्च होगा। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक एकड़ का खर्चा २७२० रुपया एक हजार रुपये के स्थान पर हुआ। जो इस योजना का उद्देश्य था वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि इस स्कीम से कितना लाभ वहां पर के ग्रामीण लोगों को हुआ और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह कहां तक पूरा हुआ। यही नहीं, मैं एक और आपके सामने सरकारी नौकरशाही और लालफीते का नमना देना चाहता हूं कि जिसके फलस्वरूप सरकार को १ लाख ७१ हजार रुपये ब्याज मुआफ में देना पड़ा। ७४१ एकड़ भूमि ईंधन की लकड़ी के लिये और चरागाह के लिये सन् ४९ में एक्वायर करने की योजना बनाई गई थी और फरवरी, १९४९ में यह भूमि ली गई। लैंड एक्वीजीशन आफिसर ने मार्च, १९४९ में अपना एवार्ड दिया। वहां के भूमि वासियों नें कहा कि जो मुआविजा हमको देना चाहते हैं वह अदालत के जरिये से हमको दिलाया जाय। अप्रैल, १९४९ में उन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया कि अदालत के जरिये से हमको मुआवजा दिलाया जाय लेकिन यह जानकर मंत्री जी आपको आश्चर्य होगा कि अगस्त, १९५२ में ३ वर्ष तक वहां के लैंड एक्वीजीशन अफसर नें उस मामले को दबाये रखा और अगस्त, १९५२ में उस मामले को उन्होंने अदालत के जरिये से तय कराने के लिये भेजा। सरकार ने भी ९ वर्ष तक सम्बन्धित कागजात आदालत में नहीं भेजे जिसके कारण वह फैसला नहीं हो पाया। अन्त में मई, १९६१ में यह फैसला किया गया कि २ ११ लाख रुपया मुआविजा का काश्तकारों को दिलाया जाय। सन् १९४९ से मई १९६१ तक १२ वर्ष यह मामला चलता रहा। उसके बाद फैसला किया गया कि काश्तकारों को २·११ लाख की रकम दिलाई जाय लेकिन इस निर्णय को वहां के, लैंड एक्वीजिशन आफिसर या अन्य लोगों ने सरकार को अवगत कराया अगस्त, १९६२ में...

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो यह आडिट रिपोर्ट के आधार पर बहस कर रहे हैं यह तो पी० ए० सी० के सामने आती है और इस पर सारी विवेचना वहां पर हो जाती है । मैं तो तब अनुगृहीत हूंगा माननीय सदस्य का, जब वह जो इस साल का बजट है या जो पिछले साल का बजट है उसकी स्कीम के सम्बन्ध में कुछ बातें कहें । इस रिपोर्ट पर या और पिछली रिपोर्ट पर अगर वह बहस करना चाहें तो ३ घंटे इसी पर बोल सकते हैं ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

मैं इसका उदाहरण इसलिये देना चाहता हूं कि आपने बतलाया है कि आपकी स्कीम १५ साल में ऐसी हो जायगी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी स्कीम भी पूरी नहीं होगी क्योंकि पारसाल से आपने इस विभाग को लिया है और गतवर्ष आपने जो स्पीच दी है उस स्पीच को मद्देनजर रखते हुये मैं यह बतलाऊंगा कि आपने क्या वादे किये थे और क्या हुआ । यही नहीं, सरकारी अधिकारियों द्वारा वनों का आर्थिक दुरुपयोग किया जाता है । इसी आडिट रिपोर्ट में लिखा है कि यहां एक यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन को हलद्वानी डिवीजन के जंगलों का मोम और शहद के ठेके देने की योजना बनायी गयी थी और वह सन् १९६३ तक कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकी और इसलिये उसमें ६०,००० रुपये का नुकसान हुआ । ये उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि जहां आप प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिये बहुत ही चिन्तित हैं वहां आपको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि आपकी जो स्कीमें हों, जो योजनायें हों, जो आपने लक्ष्य तय किये हों, वे सही ढंग से निर्धारित किये जायं और पूरे किये जायं । यह हो सकता है कि आप लक्ष्य निश्चित कर दें और कागजी कार्यवाही करते रहें, लेकिन व्यावहारिक रीति से वह काम पूरा न हो । इस कारण आपकी योजनाएं एक वर्ष के अंदर पूरी हो जानी चाहिये । इससे सिद्ध होगा कि आपने जो अनुमान लगाये हैं, जो विभाग ने नीति अपनायी है उसे पूरी करने में वह सतर्क है और उसका काम ठीक प्रकार चल रहा है । यदि आपने सदन को १५ वर्ष की योजना बता दी और वह काम पूरा न हो सका तो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने फिर पोलें खुलेंगी और वह कोई शोभाजनक बात न होगी ।

श्रीमन्, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की नीतियां सारे देश में एक समान नहीं हैं । उदाहरण के लिये हर प्रान्त में कोई न कोई जिन्दा अजायबघर रहता है और वहां पशुओं तथा पक्षियों की रक्षा की जाती है । उसकी देखभाल और प्रबंध वन विभाग ही करता है । लेकिन इस उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अजायबघर की देखभाल और प्रबन्ध स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे है । मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि स्वास्थ्य विभाग कैसे इस अजायबघर का प्रबन्ध कर पाता होगा । इसलिये मैं सरकार से और चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा और उनको सुझाव दूंगा कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस लखनऊ के अजायबघर को अपने विभाग में ले लें और इसकी दुर्दशा को रोकें । (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और समय मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

विरोधी दल ने ही इसके लिये २ घंटे का समय तय किया था । मैं किस-किस को समय दूंगा । आप समाप्त करिये ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

मैं दो, तीन बातें कह कर समाप्त करूंगा । यहां पर एक नेशनल कार्बेट पार्क है जिसमें पशु पक्षियों की रक्षा की जाती है । लेकिन वहां उनकी हत्या किस प्रकार होती है तथा विदेशी शिकारियों को निमंत्रित कर किस प्रकार वहां के जानवरों की हत्या करायी जाती है उसकी ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । मेरा यह सुझाव है कि एक हन्टर्स कमेटी बनाई जाय और उसके सदस्य, जो भी विदेशी नागरिक शिकार के लिये यहां पर आये, उनके साथ जायं और उनको वन विभाग के अपने नियमों आदि के बारे में जानकारी करायें और उनको रोकें कि वे कोई अवैधानिक कार्य न कर पायें ।

श्रीमन्, एक वाइल्ड लाइफ आर्गेनाइजेशन है। यह जंगली जानवरों से वक्षों की रक्षा करता है। इसके एक वार्डेन को भालू ने काट लिया। इसके इलाज के लिये प्रशासनिक अधिकारी आज तक यह तय नहीं कर पाये कि उसका इलाज कहां से कराया जाय, किस विभाग से उसकी दवा दारू हो। सरकार उन लोगों के जीवन के साथ खिल ाड़ करती है। दो साल समाप्त हो गये, उसकी मृत्यु हो गयी। उसे कोई सुविधा नहीं मिली क्योंकि वह अस्थाई था। अस्थाई सरकारी कर्मचारी को अगर भालू काट ले तो सरकार उसका इलाज नहीं कर सकती, अजब उसकी व्यवस्था है।

दूसरा और उदाहरण मैं आ के सामने रखता हूं। कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन में कोठरी रेंज के वगनाला वार्ड के फारेस्ट गार्ड की, श्यामसिंह की, जून ५६ में हत्या कर दी गयी। बिजनौर जिले के सत्तारूढ़ दल के एक कांग्रेस नेता के इशारे पर एक शीशम के दरख्त को कटवाने से जो गलत काम था, उसने रोका था।

श्री चरणसिंह--

इस सिलसिले में तो मुकदमा दायर हो चुका है। आप इसको वहां साबित कर दें, अच्छा है।

श्री विपिनबिहारी तिवारी--

उसकी हत्या कर दी गयी, और आज तक उसका पता नहीं लगाया गया और वह मामला खत्म कर दिया गया।

इसके अलावा आपके जंगल के तराई आदि के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों को आपको समान सुविधायें देने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। अगर उनको लकड़ी की आवश्यकता है तो लकड़ी मिलना चाहिए, घास की आवश्यकता है तो घास मिलना चाहिए, बीड़ियों के लिए पत्तों की आवश्यकता है तो पत्ते मिलना चाहिए। परम्परागत जो भी सुविधायें उनको थीं, वे मिलना चाहिए।

एक और नियंत्रण आपको जंगल के अधिकारियों पर रखना चाहिए। कभी कभी वे वृक्षारोपण के लिए जो जमीन होती है वह खेती के लिए दे देते हैं और जब चाहते हैं ले लेते हैं, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

प्रशासकीय ढांचे में भी आपको सुधार करना चाहिए। हमारे दल के नेता ने भी आपसे मांग की थी कि इस ओर किफायत करके २५ लाख की बचत की जा सकती है। आपको डिवीजनों में कमी भी करना चाहिए, किंतु आपने उनको और बढ़ा दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा और पिथौरागढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मांग सदन की स्वीकृति के लिए पेश की है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह धनराशि जो रखी गयी है यह बहुत कम है। यह सरकार का प्राफिटियरिंग विभाग है। इससे सरकार को बहुत मुनाफा है। उसको देखते हुए इस विभाग पर बहुत कम खर्च किया जाता है। खासकर, अभी जब मंत्री महोदय ने बताया कि इतने वनों को बढ़ाने की जरूरत है तो कम से कम ७५ प्रतिशत रेवेन्यू खर्च होना चाहिए था। समय कम है इसलिए बहुत सी बातों को न कहकर थोड़े शब्दों में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन विभाग की व्यवस्था के अधीन पर्वतीय प्रदेश में जनता को घास और लकड़ी की बहुत तकलीफ है। समुद्र के किनारे रहने वालों पर जैसे नमक पर टैक्स नहीं लगता उसी प्रकार वहां पर भी सुविधा होनी चाहिए कि उन पर कोई टैक्स न लगे अन्यथा जो उनके हक हकूक थे उनमें तब्दीली लाने की जरूरत है। इसलिए सरकार का यह नितान्त आवश्यकीय कार्य हो गया है कि वह जंगलों का बन्दोबस्त करे।

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

अभी कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजन में जमीन का सेटिलमेंट हो रहा है। यही उपयुक्त समय है कि वन विभाग भी इसी समय अपना काम शुरू कर दें।

श्री बलदेवसिंह आर्य की एक कमेटी बैठी थी। उससे जनता को आशा हुई थी कि कुछ सुख सुविधायें उन्हें भी मिलेंगी परन्तु वह आशा निराशा में परिणत हो गई है, क्योंकि वहां कोई सुविधायें कमेटी के देखने के बाद नहीं मिली हैं। में सरकार का ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय प्रदेश में ईरोजन ज्यादा बढ़ रहा है। वहां अब स्वाइल कन्जर्वेशन का काम नितान्त आवश्यकीय हो गया है। पंचेश्वर डैम जो निकट भविष्य में वहां बनने जा रहा है और जिस पर २०० करोड़ से ३०० करोड़ रुपये तक सरकार का खर्च आवेगा और उसमें काली गंगा, गोरी गंगा और सरयू, इस सब नदियों का पानी शारदा में मिलकर यह डैम पंचेश्वर के पास बनने वाला है, वहां पर एफोरेस्टेशन की नितान्त आवश्यकता है। वहां इरोजन ज्यादा हो रहा है। अगर वहां ईरोजन न रोका गया तो वहां पर मिट्टी जमा हो जावेगी और वह डैम फिर १०-१५ साल के बाद निरर्थक साबित होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार वहां एक स्वाइल कन्जर्वेशन डिवीजन खोले जिसका हेड क्वार्टर पिथौरागढ़ में रक्खे। जैसे मुन्शियारी, धारचूला में काली व गोरी रिवर रेंजेज बनाये जांय ऐसे ही सरयू, वगैरह रेंजेज हैं उसी तरह इस इलाके को भी एफोरेस्टेशन द्वारा भर देना चाहिए। अभी मुन्शी जी के गवर्नरशिप के दौरान में मथुरा साइड में एफोरस्टेशन का काम बड़ी तीव्रता से चला। उनका आधार था कि रेगिस्तान यू० पी० की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उसको रोकने के लिए उनका प्रयास था कि दो मील के बेल्ट बनाये जांय। इसी तरह से मेरा सुझाव है कि कुमायूं के पहाड़ों में भी ऐसे बेल्ट्स बनायें जांय जिससे नदी की बाढ़ों, मौसम की तब्दीलियों और अन्य कारणों से होने वाले भूमि के कटान को रोका जा सके। भूमि के कटान को रोकने के लिए एक बड़ी योजना उत्तराखंड में वृक्षारोपण की जरूरी है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे काश्मीर का सारा व्यवसाय वन विभाग द्वारा ही संचालित होता है, वहां की सड़कें वन विभाग ही बनाता है, वहां के शिकारगाह, मछली मारने का काम, हेचरीज वगैरह जितना भी काम है वह वन विभाग के तत्वावधान में होता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि कुमायूं और उत्तराखंड में भ्रमण व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जिससे वहां की जनता की रोजी चल सके और आत्मनिर्भर हो सके। वहां पर सिर्फ पिथौरागढ़ जिले में २१ ग्लैशियर्स हैं। वहां लोगों को आने जाने के लिए सड़कों का बनना अत्यन्त आवश्यक है। मेरा यह तजुर्बा है कि सड़क निर्माण कार्य में पी० डब्लू० डी० विभाग वालों की वहां पर कहीं ज्यादा धनराशि खर्च हो चुकी है, बजाय फारेस्ट डिपार्टमेंट के। मेरा यह सुझाव है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट को इन सड़कों का काम दिया जाय तो भ्रमण व्यवसाय भी ज्यादा अच्छा चल सकता है। मैं आपका ध्यान जड़ी बूटी व औषधियां—मेडिसिनल प्लांट व हरब्स की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें हुत कम काम हुआ है। इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, फ्यूल और कोयले की भी बड़ी दिक्कत है, पिथौरागढ़ में। वहां पर इस चीज के लिए भी सुविधा प्राप्त करें। लकड़ी के चिरान, ढोलन व बहाव के नये आधुनिक तरीकों, इक्सट्रेक्शन का भी काम जो अभी मिनिस्टर साहब ने बताया, उसमें भी प्रगति लाने की बात सोची जा रही है, बहुत अच्छी है। रेंजिन टर्पिंग का काम जहां-जहां मोटर रोड्स बनता जा रही हैं, उसके आस पास रेजिन टैपिंग का काम बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाया जा सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अपना कंट्रीब्यूशन देती है, अभी तक अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल आदि को देती रही है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली के डिस्ट्रिक्टों को भी मिलना चाहिए, यह कंट्रीब्युशन।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे यहां, हमारे जिले में चकिया इलाका है, जो महाराजा काशी के अन्तर्गत था और उसी इलाके में काफी जंगल भी हैं। स्टेट विलीन होने के बाद, वहां का जंगल सरकार ने अपने हाथ में लिया। दो तीन नोटीफिकेशन हुए। एक नोटीफिकेशन हुआ, जिसका दिनांक है ११ अक्तूबर, १९५२ और नम्बर है ६१७। दूसरा १६ फरवरी, १९५२ का है, जिसके अनुसार यह हुआ, जो मैं पढ़े दे रहा हूं—

"१६ फरवरी, १९५२ के राजाज्ञा के अनुसार रेवेन्यु गांवों में किसी प्रकार की दस्तंदाजी की नियमित मनाही की गयी है। यहां तक निर्धारित है कि महाराज के मुकररदारों की भूमि रिजर्व फारेस्ट में न ली जाय और जहां कहीं भूमि कृषि योग्य पड़ी हो उसे संधि द्वारा या एक्वायर करके ली जावे।"

पिछले नवम्बर में मैं वहां गया था, पूरे नौगढ़ में ४-५ दिन से ज्यादा घूमा। वहां के वन विभाग के कर्मचारी जो हैं, वे दंगा मचा रखे हैं। वहां पर बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां के किसान लगान देते हैं और वन विभाग वालों ने उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं चाहता हूं उन गांवों के नाम पढ़ दूं। जैमोहनी, पोस्ता, मधुपुर, औराही, मरदुम्या, तेन्दुआ, लोहसनियां, बसौली, हनुमानपुर, ठटवां, बखरपुर, सनेनवार, देवदत्तपुर, पचखेड़िया, भटवा-डीह, चकरपट्टा, गंगापुर, खटकरिया, नर्बदापुर, काशीपुर, सुखदेबपुर, शिवपुर, गहिला, होरिला, हथिनी, पढ़ाति, चिकनी, बिजैपुर, बिजौरा, लौआरी खुर्द, सेहुआन, सुरहुरिया, डकही, राम-पुर, चिकनवां आदि। इन गांवों के किसान आज भी रेवेन्यू अदा कर रहे हैं, रसीद ले रहे हैं, लेकिन बन विभाग के लोगों ने जबरदस्ती पत्थर गाड़े हैं और यहां तक कि सेटिलमेंट आफीसर ने इन लोगों के फेवर में फैसला दिया है, लेकिन वन विभाग वाले तब भी पत्थर नहीं हटा रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत बड़ी तालिका है, गांवों की, वह जमीन कास्त लायक है, किसान खेती करता है और सीरदार हो चुका है, उसका भी लगान अदा करता है, लेकिन उसको भी वन विभाग ने घेर लिया है। हालत ऐसी है कि पूरे चकिया, नौगढ़ के इलाके में सर्वे कराने की आवश्यकता है। जो नोटीफिकेशन हुआ है वह पूरे गांव का करा दिया गया है और किसानों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी है।

नौंगढ़-मधुपुर एक सड़क है। वह सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनायी थी और उसको सन् ५६ में वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। अब वन विभाग ने उस सड़क को बंद कर दिया है। उस इलाके में काफी आबादी है, काफी बड़े पैमाने पर खेती होती है। मिर्जापुर का आवागमन भी उसी सड़क से होता था। लेकिन आज हालत यह है कि अगर वहां कोई बीमार पड़ जाय तो २५ रुपया कार का टैक्स दीजिये तब वहां से निकल कर जाइये। रिक्शा भी वहां नहीं जाता है और रोक दिया जाता है। एक नाला भी वन विभाग में आ गया है, उसको भी बन्द कर दिया गया है जिससे किसानों की सिंचाई बन्द हो गयी है।

इसके अतिरिक्त ३-४ जगह प्लान्टेशन भी हो रहा है। इन स्थानों को मैंने खुद देखा है। सड़कों के किनारे किनारे तो पेड़ लगा दिये गये हैं लेकिन बीच में कतई नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि नौगढ़ इलाके में जो प्लान्टेशन किया गया है उसकी जांच करायी जाय। यह देखा जाय कि वहां पर कितने पेड़ लगाये गये, कितने पेड़ खड़े हैं और कितने सूख गये। शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए शेर भी वहां पाले गये हैं लेकिन और जो तार मंत्रीजी ने लगवाये थे वे टूट गये हैं और शेर वहां पर आकर जानवरों को खा जाते हैं। ३-४ आदमी भी उन्होंने खा लिए हैं। आदमियों के जीवन का मूल्य अधिक समझ कर मंत्री जी फिर से तार ठीक कराने का प्रबंध करें।

*श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी के भाषण के बाद विरोधीपक्ष की तरफ से जब कटौती का प्रस्ताव आया तो वह राकेट की तरह आया, लेकिन फिर वह छड़ी की तरह से गिर गया। मुझे ऐसा लगा कि प्रस्तावक महोदय ने जंगलों में जाकर उनको देखने का कष्ट नहीं किया बल्कि कुछ आडिट रिपोर्टों को पढ़ कर और कुछ दूसरे कागजात को पढ़कर कम्पायल कर लिया और बहस कर दी। ठीक है कहने का तरीका अच्छा है, जाने में तकलीफ होती है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगलों के पास रहते हैं और आपने भी उन्हीं को बोलने का मौका देने की बात कह कर इस चीज को अहमियत दी।

हमारे प्रदेश में जंगलों के सिवाय ईश्वर के द्वारा दी हुई चीजों में, दिए हुए धन में, सुविधायें और कुछ नहीं है। खनिज संपत्ति तो कुछ है ही नहीं, अभी जांच पड़ताल ही हो रही है। लेकिन जंगल ऐसी संपत्ति है जो हमारे सामने है। हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिये। उससे हमें सुख मिलेगा और हमारे आगे आने वाली संतानों को भी लाभ होगा। इसके अलावा २-३ चीजों की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नं० एक तो यह है कि इसकी हदबन्दी का नक्शा थोड़ा गड़बड़ शुरू से ही रहा। वह ऐसे रहा कि जब जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ और जमींदारों के जंगल व और सब सम्पत्ति सरकार की हुई तो उस समय जो हदबन्दी हुई उसका नक्शा आज तक फाइनल नहीं हो सका। आज भी बहुत सी जगहों पर काश्तकारों और जंगल विभाग में मुकदमें चल रहे हैं। जो फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर मुकर्रर हुए हैं वे उन मुकदमों का डिस्पोजल जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे कि किसान जो आज मुकदमेंबाजी की वजह से परेशानी की हालत में है उसे तमाम सुविधायें मिलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि ग्राम समाज और उसके चेयरमैन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ग्राम समाज की शक्ल में उसकी जायदाद के रखवाले हैं आज उनके तथा जंगल विभाग के बीच कई जगह मुकदमेबाजी चल रही है क्योंकि जंगल विभाग अपनी तरफ को खींचता है और गांव समाज अपनी तरफ को खींचता है। तो उसका भी डिमारकेशन करना चाहिये ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जंगल विभाग के जंगल में रहते हुए जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिये जब तक कोई दिल बढ़ाने के लिये साधन न हो या कोई ऐसा प्रलोभन न हो तब तक वे अपने बाल बच्चों को छोड़ कर जंगल में काम करना पसन्द नहीं करते। आप देखें कि जंगल में जगह जगह फारेस्ट गार्ड २५ रु० और ५० रु० महीने पर होते हैं जो जंगल विभाग की लाखों की सम्पत्ति की रखवाली करते हैं। उसके एरिया में यदि कोई पेड़ कट जाता है तो उसे आप माफ भी नहीं करते बल्कि उसका दाम उसे देना पड़ता है। उसकी जान की प्रोटेक्शन के लिये भी सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि किसी बड़े आदमी के साथ शिकार के सिलसिले में उसकी टक्कर हो जाय या पेड़ काटने के सिलसिले में ही किसी से टक्कर हो जाय, या चराई के सिलसिले में ही किसी से उसकी टक्कर हो जाय तो अक्सर उसे परेशानी का शिकार होना पड़ता है। एक तो उसको आप तनख्वाह कम देते हैं और दूसरे उसके बाल बच्चों को पढ़ने के लिये कोई सुविधा नहीं होती है और तीसरे यह कि जो एरिया उसे देखना पड़ता है वह इतना लम्बा चौड़ा होता है कि वह उसके लिये संभव नहीं है कि पूरा देख सके।

चौथी बात यह है कि जब किसी से उसका संघर्ष हो जाय या किसी जंगली जानवर से मारा जाय या किसी दुर्घटना में मारा जाय तो उसके लिये आपके विभाग के पास कोई फंड नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है कि पेंशन वगैरह देकर उसके बाल बच्चों की थोड़ी सी मदद की जा सके। इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि ऐसे कर्मचारियों की कुछ मदद की जा सके।

श्रीमन्, गोरखपुर जिला अपने प्रदेश का सबसे ज्यादा फारेस्ट रेवेन्यू देने वाला जिला है। वहां पर कुछ दिन हुए एक आदमी जंगल के अन्दर आन ड्यूटी मारा गया जिसकी लाश १२ रोज बाद बरामद हुई। इसके बारे में सरकार का मैंने कई बार ध्यान आकृष्ट किया कि उसके बाल बच्चों को कुछ मदद दी जाय लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस तरफ सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

अब किसानों के संबंध में भी मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। जब पूरे प्रदेश में जंगल हैं तो वहां रहने वाले किसानों को एक ही तरह की सुविधा मिलनी चाहिये थी लेकिन आज यह न हो करके पहाड़ी क्षेत्र के लिये सुविधा मिलने का अलग तरीका है, मैदानी इलाके के लिये अलग तरीका है। उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाऊं कि बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत वगैरह में दूसरे तरह की सुविधा मिलती है और गोरखपुर में दूसरे तरह को सुविधा मिलती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां के किसानों को अधिक सुविधायें मिलें, लेकिन यह मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें समानता होनी चाहिये, एकरूपता होनी चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रदेश में रहने वाले जितने लोग हैं उनको अगर आराम मिलता है तो उसी आधार पर सबको उसी तरह का आराम मिलना चाहिये। इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

जो टांगिया किसान हैं, जो जंगल में पेड़ लगाने का काम करते हैं, वे बराबर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इस तरफ भी सरकार काध यान जाना चाहिये।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बिपिन बिहारी तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे केवल थोड़ी सी बात कहनी है। मंत्री जी ने अपने भाषण में कई बातें ऐसी बताईं जिनको मैं सुनता रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों में वन लगाये जायं जो नदी के किनारे हैं, जिनमें खार पड़ जाते हैं वहां के लिये मंत्री जी की बात ठीक है, वहां अवश्य वन लगाने चाहिये। वह जमीन कटकर बेकार हो जाती है उसमें कुछ पैदा नहीं होता, वहां लगा लें लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक हल्ला मच रहा है कि रेगिस्तान आ रहा है और मथुरा जिले में वन लगाओ। मैं कहूंगा वहां रेगिस्तान नहीं आ रहा है जलिस्तान जरूर आ रहा है या उसे समुन्दरिस्तान कहिये तो वह जरूर आ रहा है। मंत्री जी वहां अभी आ गये तो १०१ बैलों की जोड़ी के रथ में उनका स्वागत हुआ लेकिन अगर वह अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर में वहां कभी जाकर देखें तो पता चलेगा कि रेगिस्तान कहां आ रहा है या पानी से जिला डूब रहा है। वहां नन्दगांव, शेरनगर, कोटमन, दौ.ाना, बांध, खिटावरा और कायर आदि ग्रामों में पानी से ऐसी जमीन घिरी है कि वह बरबाद है। अगर उस में गेहूं पैदा किया जाय तो ज्यादा नहीं तो पूरे जिले की खाद्य स्थिति सुधर सकती है। वहां उनकी तरफ से वन विभाग ने लगाया क्या है बबूल जिसको हमारे यहां कीकर कहते हैं जिसमें कांटे पैदा होते हैं। मथुरा शहर में तो अच्छे पेड़ भी लगाये हैं लेकिन देहात में तो वहां सिवा बबूल के और कुछ नहीं लगाया गया है। वहां यह हालत है जब कि हमारे पीलीभीत जिले में पहाड़ी इलाके में कीमती साल के पेड़ लगाये गये हैं। जमुना जी के खार में लगाओ। वह ठीक है लेकिन नन्दगांव और दौताना में जहां नहरी इलाका है वहां यह लगाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखपत सिंह]

गये हैं। वहां वन विभाग के कर्मचारियों ने बराबर गरीबों को सताया है और कितने ही प्रार्थना-पत्र आप के पास भेजे हैं। जहां तक वन लगे हैं और सीमा बनी है वहां वह लोग मवेशियों को नहीं आने देते। आने भी देते हैं तो पैसा लेते हैं और रसीद नहीं देते, वह पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता। हजारों पेड़ कटवाकर चोरी से बेचे जाते हैं। आप झूठ मानते हों तो मैं आप को चलकर बता सकता हूं, वहां इस तरह की तमाम लोगों की शिकायतें हैं। यहां तक है कि घने बबूलों में डाकुओं और चोरों के अड्डे बन गये हैं, वहां दिन भर और रात में गिरोह छिपे रहते हैं और वहां के गांवों के लिये उन वनों से सुरक्षा में बहुत खतरा हो गया है, वहां पुलिस बेकार हो गई है, वह वहां काम नहीं कर सकती। वह उन की तरफ जा ही नहीं सकती। श्री हरगोविन्दसिंह के थानेदार वहां जा नहीं सकते। वहां चोर डाकू मजे से छिपते हैं। मंत्री जी को यह विभाग जरूर मिला जबकि कृषि विभाग तो कटाछटा अंगभंग ही मिला है और वन इनको मिल गया है तो उसकी तारीफ करेंगे ही। लेकिन मेरा कहना है कि मथुरा जिला रेगिस्तानी नहीं है, वहां पर वन कटवा दिये जायं, और जमीन में गल्ला पैदा किया जाय।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि वे पहाड़ के जंगलों और पहाड़ों के निवासियों की जरूरत महसूस करते हैं। पहाड़ के लोग यह समझते थे कि मंत्री महोदय पहाड़ी फोबिया से पीड़ित हैं लेकिन यह धारणा उनकी निर्मूल निकली। मंत्री महोदय ने यह महसूस किया है कि पहाड़ों के निवासियों को जंगलों की बड़ी जरूरत है। जंगलों पर हमारी बहबूदी निर्भर है। जो पुस्तिका वन विभाग की हमें दी गयी है उससे जाहिर होता है कि जंगलात से ११ करोड़ १५ लाख की आमदनी है और आपकी खर्च की मांग है केवल ५ करोड़ ६१ लाख। जैसा विष्ट जी ने कहा कि आपकी मांग और ज्यादा होती तो हम अधिक खुश होते। क्योंकि जो मांग आप पेश करते वह जंगलों की रक्षा और उन्नति के लिये करते, जंगलों में सड़क बनाने तथा वहां के रहने वालों की आसाइंस और उन्नति में वह रुपया खर्च करते। दुगडारत्वाढाव रोड जो वन विभाग ने १९३५ में आरम्भ की थी अब तक बारहमासी तक नहीं बनाई गोकि वर्षा में चालू रखने के लिये सिर्फ १० हजार रुपया अधिक खर्च होता।

१८७८ में जब से वन विभाग बना है तब से डी० एम० ओ० और कंजरवेटर्स के हेडक्वार्टर पहाड़ों में जंगलों के निकट बनाये गये। आपने गढ़वाल के लिये एक कंजरवेटर का नया सर्किल बनाया है मगर उसका हेडक्वार्टर रखा है देहरादून में। यह उचित नहीं है। उसके लिये हेडक्वार्टर गढ़वाल के अन्दर श्री नगर में उपयुक्त है। और माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और गढ़वाल का जो कंजरवेटर है उसका हेडक्वार्टर श्री नगर में ही रखेंगे नाकि गढ़वाल के बाहर देहरादून में।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सरकार की आमदनी जंगलों से ११ करोड़ से ऊपर है और उसमें से १ करोड़ २५ लाख पहाड़ के चीड़ के लीसे से हैं। उससे जो रुपया आपको मिलता है वह पहाड़ी जनता की उन्नति पर ही व्यय किया जाय। सरकार ने लीसे की कीमत तिगुनी बढ़ा दी है। १६ वर्ष पहले १० रुपये मन लीसों का लेती थी। लेकिन अब ३५ रुपये मन उसका भाव हो गया है। लीसे की कीमत पर तो टरपेनटाइन तथा रोजिन की बिक्री निर्भर है और अगर इसी तरह से दाम लीसे के सरकार बढ़ाती गयी तो ऐसा न हो कि जैसे १९२४ में बरेली की फैक्टरी बन्द करनी पड़ी थी अब भी उसे बन्द करना पड़े। क्योंकि तारपीन और विरौजे की कीमत इतनी नहीं बढ़ सकती। सरकार को जो १ करोड़ २५ लाख की आमदनी लीसे से होती है उससे वह महरूम न हो जाये और सोने की मुर्गी हलाल न हो जाये। आबादी के नजदीक के जंगलों के बाबत मेरा सुझाव यह है कि वन विभाग के बाहर

के जंगलों को सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन फलदार वृक्षों का लगाना भी उतना ही आवश्यक है। पिठौरागढ़ जिले में चूड़ा वृक्ष होता है उसके फूलों से शहद, फलों से गुड़ और घी निकलता है, पत्ती जानवर खाते हैं। उसकी लकड़ी इमारतों तथा फर्नीचर के काम में आती हैं। इसलिये मंत्री महोदय इस पर भी विचार करें कि चूड़ा के वृक्ष पहाड़ में उन सब जगहों पर लगाये जा सकते हैं अर्थात पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में मैं इसके खिलाफ हूं कि जंगलों का प्रबन्ध पंचायतों को दिया जाय। वन विभाग, को उन्हें अपने हाथ में लेना चाहिये। हां, पंचायती जंगलों की आमदनी पंचायतों को दे दिया जाय। लेकिन जंगल अगर पंचायतों को दे दिये जायं तो पेड़ कम कीमत पर बेच दिये जायेंगे। और जंगल बरबाद हो जायेगें और उससे प्रदेश का नुकसान होगा। इसलिये मैं इस पक्ष में हूं कि जंगलों का संरक्षण होना चाहिये। यह काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बिपिन बिहारी तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह विभाग हमारे प्रदेश की उन्नति के लिये आवश्यक है और यह देश और प्रदेश की बड़ी भारी संपत्ति है और धार्मिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। मनुष्य का चतुर्थ अवस्था में समय बिताने के लिये आदि काल से सभी शास्त्रों ने यही एक मात्र स्थान बताया है। वृद्धावस्था में आदमी संसार को छोड़कर वहीं अपना शेष जीवन व्यतीत करता है। इसलिये यह स्थान ऐसा होना चाहिये कि इस पर जितना सरकार व्यय करे उससे उसकी उपयुक्त आमदनी प्रदेश को मिल सके जिससे प्रदेश धन धान्य हो और धर्म शास्त्र के अनुरूप सुन्दर स्थान बना रहे।

किसी समय झांसी जिले में चन्दन के पेड़ लगाये गये थे एफसपेरीमेंटल स्टेज पर, लेकिन बाद को उद्योग की दृष्टि से लाभ न देखकर इसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर पल्प वगैरा के लिये रबड़ के पेड़ भी नहीं लगाये गये। जालौन जिले और हमीरपुर जिले को सरकार ने भूमि संरक्षण योजना में लिया है जैसा कि इस पुस्तिका में है। यह बहुत अच्छा है। ६८० हजार एकड़ जमीन ग्राम सभाओं से इस कार्य को ले ली गई है जिसका प्रयोग वन लगाने में होगा। यह ठीक है, पर जो जमीन ली है वह गांवों के किनारे की है। वहां पर ग्राम और वन की सीमा मिलती है जिसके कारण जनता में बड़ा संघर्षात्मक विरोध हो गया है। वन विभाग अपने नियम बरतता है और किसान को हानि होती है। जहां वनों की सीमा है वहां एक बड़ा झंझट खड़ा हो गया है। वन की जमीन की जो फैंसिग की गई है वह ठीक नहीं है। वहां के किसान परेशान हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जालौन जिले का एक भरसूड़ा गांव है जो वन सीमा से मिला है वहां मवेशी का निकलना मुश्किल है। अगर वन की हद में बकरी भी चली जाती है तो वन अधिकारी नाराज होकर उसको बन्द कर देते हैं। वहां का किसान परेशान हो रहा है इसीलिये सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। यही हाल पहूज नदी के किनारे का है। जहां नदी गांव में ६०० एकड़ वन है। जालौन जिला तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है। सरकार की ओर से पहूज और बेतवा के किनारे जंगल लगाने की व्यवस्था की गई है। हमारे यहां जालौन जिले में जो आपरेशन एरिया है उसमें अनउपयुक्त पेड़ लगाये गये है। बबूल के पेड़ लगाने चाहिये थे जिसे औद्योगिक दृष्टिकोण से चमड़े की रंगाई भी हो सके। बबूल की छाल से चमड़े की रंगाई होती है।

मान्यवर, हमारे यहां डाकुओं की समस्या बड़ी कठिन है जो वन से संबंधित हो जाती है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आगरा मथुरा तथा एम० पी० से डाकू भाग कर हमारे यहां जालौन में आ जाते हैं और जंगल में उनको आश्रय मिलता है। नदी गांव में ६०० एकड़ में जंगल हैं लेकिन उनकी देखरेख ठीक नहीं होती है। तार की अच्छी फेन्सिग नहीं है। आप लाभ की ही बात यदि सोचते हैं जो ठीक नहीं। जन-जीवन क सुरक्षा की भी

[श्री विजय सिंह]

तो बात सोचनी चाहिये। हमारे यहां वन और जन दोनों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय जिससे हम आराम की सांस ले सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह ५ करोड़ ६७ लाख ९८ हजार का अनुदान रखा है, वास्तव में जंगलों के महत्व को देखते हुए यह धनराशि बहुत कम है। जिस जंगल से हमें करीब १२ करोड़ की आमदनी होती है उसमें और अधिक खर्च होने की जरूरत है और जैसा बताया है कि हमारे यहां ३३ प्रतिशत करीब जंगल रहना चाहिये, लेकिन आज १७ प्रतिशत ही है। मेरा जिस क्षेत्र से संबंध है, वह आदिवासी इलाका है और आदिवासियों का जंगलों से घनिष्ठ संबंध है। उनके जीवन की पूरी एकोनामी (अर्थव्यवस्था) जंगल पर ही निर्भर करती है। वह जंगल में ही निवास करते थे, जंगल में ही शिकार करते थे और वहीं अपनी खेती आदि करते थे। किन्तु आज जंगलों के कम किये जाने के कारण वे इन सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। और यह स्वाभाविक भी है जब हमारी आमदनी बढ़ रही है और हम डेवलपमेन्ट का काम कर रहे हैं उनकी सुविधाएं छीन ली गई हैं। तो मैं २–३ बातें माननीय मंत्री जी के सामने कह देना चाहता हूं कि हमारा इलाका जमींदारी का इलाका था, जो जहां चाहता था खेती करता था, लेकिन जब जमींदारी खत्म हुई और तब यह हुआ कि जिस जमीन पर जिसका कब्जा था वह उससे वंचित हो गया। जिस जमीन पर वह बहुत दिनों से काबिज थे परन्तु वहां पर में टिलर लग गये। यहां तक कि बहुत घरों में तथा बगीचों, कुओं पर पिलर लग गये। यह रिकार्ड के गलत होने के कारण होता है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो लोग वर्षों से काबिज हों किन्तु उनका नाम रिकार्ड पर न हो उनको जमीन पर स्वामित्व दिलाया जाये।

पहले आदिवासियों को जंगल की लकड़ी मिल जाती थी किन्तु आज उनको उस लकड़ी की सुविधा से भी वंचित किया जाता है। जंगल विभाग की कमी के कारण उन्हें जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे उन्हें नहीं दी जा रही हैं। जंगलों के पशुओं से भी हमारे आदिवासियों का काफी लाभ था, वे तीर से शेर तक मार दिया करते थे। किन्तु अब पशुओं के जंगल में मारने पर भी रिस्ट्रक्शन लग गया है, जिससे वे उस लाभ से भी वंचित हो गये हैं। उन्हें इतनी जानकारी कहां कि वह लाइसेन्स लेने जायं। अभी हमारे यहां सिगरौली रेन्ज में एक भयानक बाघ ने उत्पात करके कई सौ पशुओं को मार डाले किन्तु वहां के लोग उसे मार नहीं सकते थे। तो यदि सरकार की तरफ से जंगल के जानवरों की रक्षा की जाती है तो वहां के आदिवासी निवासियों के भी जीवन और खेती की अवश्य रक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। दूसरे जो वे जंगलों से फल-फूल कन्द वगैरह लेते रहे हैं और इसके लिये तो उनको अवश्य कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिये थी किन्तु वह भी नहीं है। इन बातों के साथ मैं मंत्री जी से यह भी अपील करूंगा कि हमारे यहां रेन्ज बड़े-बड़े हैं। ३–४ रेन्ज के लिये एक एस० डी० ओ० की तैनाती है। मेरा यह सुझाव है कि २ रेन्जस के लिये एक एस० डी० ओ० रख दिया जाये, इससे वहां के लोगों को सुविधा होगी और जंगलों की रक्षा भी हो सकेगी।

माननीय मंत्री जी ने सड़कों की बात कही। हमारे दुद्धी डिवीजन में सड़कों की बड़ी दिक्कत है। यदि वहां सड़क बना दी जाये और यदि सड़क सम्भव न हो तो पुल ही बना दिया जाये तो जो जंगलों से माल आता है, उसमें काफी वृद्धि हो जाये। जिसकी कीमत एक लाख है वह तब सवा लाख हो सकती है। सरकार यदि इन सड़कों को शीघ्र नहीं बनवा सकती तो पी० डब्लू० डी० से कह दे कि वह यहां की जंगल से मिलाने वाली सड़कों को वरीयता

दकर उनका निर्माण करे जो जंगलों से जुड़ती हैं। अथवा मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत बना दी जाय। मुख्य सड़कें निम्न हैं :--

(१) मुरधव-म्योरपुर-ब्रकनो मार्ग (२) दुद्धि-म्योरपुर मार्ग (३) दुद्धि-बेठन गंज मार्ग (४) दुद्धि-सांगा बांध मार्ग (५) बेडन गंज-कोन कोटा चोपन मार्ग आज जो ठेकेदार ठेका बोलते हैं वे देखते हैं कि हमें वहां से लकड़ी लाने की क्या सुविधा होगी ? इस चीज को वह उस समय ध्यान में रखते हैं। वह सड़क हो जायगी तो उनकी कीमत बढ़ जायगी। आपके सामने यह मेरा नम्र सुझाव है और मुझे आशा है मंत्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से तीन सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मंत्री जी ने तीन प्रकार के स्थान बतलाये। पहाड़, मैदान और नदी के एरिया। इन तीनों के बारे में ही मैं अपनी तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो पहाड़ हैं इनको देखने का मुझे मौका चकराता में हुआ जब मैं अभी गया था। मैंने वहां पर एक बात देखी और वहां के निवासियों से जानकारी प्राप्त की। जो पहाड़ी ढालू हैं उनमें दो तरफ पेड़ हैं यानी उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ हैं और पश्चिम और दक्खिन की तरफ नहीं हैं। वहां पर हमने उन निवासियों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हैं, तो उन्होंने बतलाया कि जिस तरफ छाया रहती है उस तरफ पेड़ हैं और दूसरी तरफ जहां धूप रहती है वहां पेड़ नहीं हैं। सूरज की रोशनी जहां पर तेज रहती है इस कारण उस तरफ जंगल नहीं उगते। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करके इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करें कि धूप के कारण जिस तरफ पेड़ नहीं उगते हैं, उस तरफ पेड़ उगने की व्यवस्था हो सके।

माननीय सदस्य बी० बी० शरण जी ने कुछ स्थानों पर रबर और चन्दन के पेड़ लगाने की व्यवस्था की है। वे पेड़ जब तैयार हो गये तो वे लकड़ी भी लाये थे और उसको उन्होंने एक कमेटी के सामने दिखलाया था। मेरा सुझाव यह है कि देहरादून के पास जहां पर इस प्रकार के पेड़ लग सकते हैं पहाड़ों पर वहां रबर और चन्दन के पेड़ लगाने की व्यवस्था की जाय।

प्लेन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि सड़कों के किनारे जितनी जमीन है वहां पेड़ लगाये जायं। बहुत स्थानों पर सड़क के किनारे विभाग ने स्वयं ही पेड़ लगाये हैं लेकिन जहां पर पेड़ नहीं लगे हैं। उनके बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह सारी की सारी पटरी जंगल विभाग को दे दी जाय और वे इस पर पेड़ लगायें तो बड़ा उपयोगी कार्य हो सकता है। वहां पर बबूल या शीशम के पेड़ या अन्य प्रकार के पेड़ लगाये जाते हैं, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सड़कों के किनारे फलदार पेड़ लगाये जायं तो बहुत लाभ होगा। आम, जामुन, और महुआ सड़कों के किनारे आसानी से उग सकते हैं। इन पेड़ों से फल पैदा हो सकते हैं। एक लाइन में लगाने के बाद थोड़ा हटकर दूसरी लाइन में भी इन पेड़ों को लगाया जा सकता है। जो जगह पड़ी रहती है उसमें यह पेड़ लग सकते थे। इस प्रकार से जितनी सड़कें अपने प्रदेश में हैं उनके किनारे की जमीन जंगल विभाग को दे दी जाय तो उससे जंगल का एरिया बहुत बढ़ सकता है और हजारों पेड़ जंगल विभाग लगा सकता है जिससे प्रदेश का बहुत लाभ होगा। मेरा यह भी सुझाव है कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट को सभी बागों व पेड़ों पर लागू किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो माननीय मंत्री जी ने क्लास १ फारेस्ट को जंगल विभाग के संरक्षण में लेने की कही वह काम बहुत अच्छा है और विचार भी अच्छा है परन्तु मैं पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि क्लास १ के जो जंगल हैं उनको प्रोटेक्टेड फारेस्ट कहते हैं और उनकी जमीन के बाहर नाप और बेनाप की, जो जमीन है उसको भी प्रोटेक्टेड फारेस्ट कहते हैं। इसलिये एक इंच भी जमीन जो खेत के किनारे होगी या जो खेत के बीच में होगी, वह प्रोटेक्टेड फारेस्ट हो जायगी। इसलिये अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इस हद तक न जाइये कि सारी प्रोटेक्टेड फारेस्ट आप क्लास १ की डेफिनिशन में लेजाकर उसके ऊपर जंगल लगाने को

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बात सोचें। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि वहां गांव की जिन्दगी दूभर हो गई है। उत्पादन की दृष्टि से भी मैं यह बात कह रहा हूं जैसा कि गढ़वाल में है। वहां पर बहुत कम प्रोटेक्टेड फारेस्ट हैं जो कि डी० सी० के अधिकार में हैं और लोगों के जानवरों के लिये भी कोई गुंजायश नहीं रहती है। इसलिये जनता और सरकार के बीच कोई झगड़ा होने की सम्भावना इस प्रकार से कर दी गई। तो यह कोई अक्लमंद बात नहीं होगी, क्योंकि प्रोटेक्टेड फ रेस् का एक एक इंच नाप और अनअसेसलैन्ड को कवर करता है। इसलिये अदब के साथ मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि क्लास वन फारेस्ट की डेफीनीशन को वह देख लें और उसमें इस तरह से तरमीम करें कि जिससे लोगों की जिन्दगी पर बुरा असर न पड़े।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया और सुझाव दे कर मेरे ज्ञान का वर्धन किया है। माननीय मंत्री जी से मेरी एक प्रार्थना है कि जो सुझाव इस सदन में दिये गये हैं वे उनको भरसक कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न करें। एक बात और जानना चाहता हूं कि गत वर्ष माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि कुमाय फारेस्ट कमेटी की १२० सिफारिशों में से ४० पर निर्णय हो गया है। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि उनका निर्णय होने के बाद उन पर कार्यान्वयन हुआ या नहीं और यदि हुआ, है तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

अंत में एक सुझाव के साथ अपनी बात समाप्त करा चाहता हूं। यहां एक स्टार पेपर मिल है उसे जंगलों की बहुत सी लकड़ी दी जाती है। अगर लुगदी बनाने के छोटे-छोटे कारखाने बना कर वह लुगदी उस मिल को दी जाय तो इससे प्रदेश में बहुत से छोटे उद्योग पनप सकते हैं और बेकारी जो फैली हुई है वह समाप्त हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी मित्रों को फिर धन्यवाद देता हूं जो इस विषय में बोले हैं और जिस के द्वारा मेरा ज्ञानवर्धन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

(माननीय मंत्री से) यदि आप चाहें तो कुछ समय बढ़ा दूं। केवल ७ मिनट रह गये हैं।

श्री चरणसिंह---

५ मिनट बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

५ मिनट के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री उग्रसेन---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप हम लोगों के कहने से समय नहीं बढ़ाते और मंत्री जी से पूछते हैं, यह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोगों के कहने से भी समय बढ़ाते हैं। उत्तर के लिये तो समय चाहिये ही।

*श्री चरणसिंह---

माननीय मित्र को, उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि मैं उनकी भी नुमायन्दगी करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मित्रों ने जो सुझाव दिये हैं उनको सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन जो आपत्तियां उठायी गयी हैं उन सब का उत्तर मैं यहां नहीं दे पाऊंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं चाहूंगा कि जिन मित्रों के पास जो सुझाव हों, अथवा जो उनको आलोचना करनी हो उसके संबंध में वे मुझसे मिल लें अथवा मुझे लिखकर भेज दें । मैं उनका बड़ा एहसानमंद होऊंगा । मैं जानता हूं कि ५ मिनट में वे अपनी बात कह नहीं पाये होंगे और इसके लिये समय बहुत ही कम मिला है ।

एक बात आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं । विष्ट जी ने कहा है कि वहां कोई रिजर्वायर बनने वाला है और इसलिये वहां स्वायल कंजरवेशन होना चाहिये । उनके लिये बहुत से प्लान्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ स्वायल कंजरवेशन के मेजर्स लिये जाने के भी प्लान्स हैं । लिहाजा उनको बहुत चिन्तित नहीं होना चाहिये । मेरे एक मित्र ने कहा कि जिस तरह काश्मीर में टूरिस्ट इन्टरेस्ट के बहुत से केन्द्र हैं उसी तरह यहां कुमायूं में खोले जाने चाहिये । ठीक है, कुमायूं एक बहुत ही सुन्दर स्थान है, अगर यह हो तो उससे हमारे प्रदेश और देश को फायदा होगा, मगर विष्ट साहब यह भी जानते होंगे कि काश्मीर के लिये केन्द्र से कितनी सहायता मिलती है, और जो सहूलियतें उनको हासिल हैं, वे हमको नहीं मिल सकतीं ।

एक बात उन्होंने फारेस्ट वेल्ट के बारे में कही । लखीसिंह ने भी कहा कि फारेस्ट वेल्ट बनी है मथुरा में । मैं यह बता दूं कि कोई फारेस्ट वेल्ट नहीं बनी है । एक मील चौड़ी या दो मील चौड़ी फारेस्ट वेल्ट बनाने का मतलब यह है कि किसानों के खेत ले लिये जायं, जो हो नहीं सकता । सन् ५४ में एक कमेटी बनी थी । उसकी राय के अनुसार कुछ वहां का एरिया हार्टिलाकल्चर को, कुछ फारेस्ट आदि को दे दिया गया था । वह भी हजार दो हजार एकड़ होगा जिसमें दरख्त लगे होंगे । बात यह थी कि गोबर्द्धन जहां पर लोग परिक्रमा आदि करने के लिये जाते हैं, वहां पर लोगों के विश्राम करने के लिये न तो पेड़ों की छाया थी, न पीने के पानी आदि का ही इंतजाम था । वृक्षों की छाया कहीं नहीं थी । तो वहां हमने कुछ रकबे में दरख्त लगाये ।

श्री लखीसिंह—

वह तो ठीक किया ।

श्री चरणसिंह—

दूसरी बात यह कि मुश्किल से १००-२०० एकड़ का रकबा जंगल विभाग ने लिया होगा, और वह जमीन खराब पड़ी थी । वहां पर दरख्त लगाने जरूरी थे । एक बात और है । मथुरा जिले में साढ़े ८२ प्रतिशत भूमि हल के नीचे है जो पूरे प्रदेश में कहीं कहीं नहीं है । लिहाजा गांव समाज मैनुअल में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जो ट्रान्स जमुना का, मथुरा का, इलाका है वहां पर अब कोई जमीन आगे के लिये काश्त के लिये न दी जाय । आप चाहते हैं कि जो साढ़े १७ फीसदी जमीन बची है, जो रद्दी है, उसे भी हम काश्त के लिये दे दें ? यह ठीक न होगा । सरकार को चाहिये कि ऐसी जमीन में वह दरख्त लगायें । वहां दरख्त लगाने का सवाल है काटने का नहीं ।

माननीय ऊदल जी ने कुछ गांव की तफसील पढ़ी । उनका एक सवाल था, जिसका जवाब भी मैंने मंगाया । मुझे मालूम हुआ कि किसी भी ऐसे आदमी से ऐसी मालगुजारी नहीं ली गयी है जो भूमि जंगल विभाग की हो । (व्यवधान) वह जमीन उसी की होगी, तभी मालगुजारी ली गयी होगी ।

श्री ऊदल—

मैं रसीद दे रहा हूं ।

श्री चरणसिंह—

फारेस्ट विभाग ने दरख्त वहीं लगाये हैं जो जमीन फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर ने फारेस्ट की डिक्लेयर कर दी है । अगर और कहीं लगे हैं या और कोई शिकायत है, तो लोगों को अधिकार है कि वे उसकी अपील करें ।

[श्री चरणसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य ने कही जो निहायत माकूल है कि पुराने जमींदारों से जो फारेस्ट लिए गए हैं उनके मैप ठीक मौजूद नहीं जिसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ रहे हैं। अभी फारेस्ट डिपार्टमेंट आफिसर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें सही नक्शे बनाने पर विचार हो रहा है। फारेस्ट गार्ड के वेतन के बारे में कहा गया कि कम है। पे कमेटी बैठी हुई है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने की तजवीज उनके सामने भेजी हुई है। माननीय विजय सिंह जी ने बात कही कि बुन्देलखण्ड में जितने दरख्त लगाए जायं उतना ही अच्छा है। मेरे विचार में वहां पर गांव वालों की प्रैक्टिस खराब है कि वे रबी की फसल आने के बाद सब जानवरों को छोड़ देते हैं और जब बरसात होती है तो बांध देते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरा विचार झांसी में एक मीटिंग करने का है जिसमें गांव के प्रधानों, पंचों, ब्लाक प्रमुखों वगैरह को बुलाया जाय। यह प्रैक्टिस अगर जारी रही तो वहां वैजिटेशन नहीं रहेगी। श्री रामप्यारे ने मिर्जापुर की बात कही। मैं पहले ही कह चुका था उनसे अब आपके जरिए फिर बता दूं कि मौके पर जिसका कब्जा है और जमींदारी अबालिशन से पहले की बात है तो हम हुक्म तो नहीं दे सकते कि जो भी जवानी कहे उसकी बात बिना सबूत के मान लें। हां, मिर्जापुर में अधिकारी मौके पर जायं, सबूत तहरीरी हो या न हो, अगर उस व्यक्ति का कब्जा था तो उसके हक में फैसला हो जाय।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, फैसले में वह हार गया है। हाई कोर्ट में अपील भी नहीं की है।

श्री चरणसिंह—

हमने बनारस में जानवर तो जानकर छोड़ रक्खे हैं। सड़कों के बारे में कहा गया तो सड़कों की ज्यादा जरूरत है। वन विभाग की जितनी सड़कें बन जावेंगी उतनी ही आमदनी वन विभाग की हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान ४४—वन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत ५,६७,५२,००० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२५ फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१५ पर)

संलग्न सूची

अधिकारियों के नाम तथा पद नाम जिनका स्थानान्तरण करने के बाद रोका गया	रोकने का कारण
श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर ..	.. सार्वजनिक हित में
श्री जहीर उल्लाह, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ..	.. ,, ,,
श्री जीवित राम सिंह, डिप्टी कलेक्टर ..	.. उनकी प्रार्थना पर
श्री सत्य नारायण सिंह, तहसीलदार ..	.. प्रशासकीय कारणों से
श्री सुधीर कुमार गर्ग, सहायक अभियन्ता, सा० नि० वि० ..	.. ,, ,,
श्री नाजिम हुसैन, सहायक अभियन्ता, सा० नि० वि० ..	.. सार्वजनिक हित में
श्री एम० वाई० सिद्दीकी, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी ..	.. उनकी प्रार्थना पर
डा० खलील अहमद, चिकित्सा अधिकारी, मुबारकपुर ..	.. ,, ,,
डा० आई० एच० अन्सारी, चिकित्सा अधिकारी, मधुवन ..	.. ,, ,,
श्री राम भरोसे पांडेय, क्षेत्र विकास अधिकारी, रानीपुर ..	.. प्रशासकीय कारणों से
श्री राम प्रसाद, क्षेत्र विकास अधिकारी, मुहम्मदपुर ..	.. ,, ,,
श्री जितेन्द्र नारायण चड्ढा, क्षेत्र विकास अधिकारी ..	.. उनकी प्रार्थना पर
श्री राज नारायण सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी	प्रशासकीय कारणों से

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

चीनी मिलों की सूची जो सीजन १९६३–६४ के गन्ने के मूल्य का बकाया वर्तमान सीजन १९६४–६५ के प्रारम्भ होने से पूर्व भुगतान कर दिया था।

१—सिम्भौली
२—मोदीनगर
३—मुहीउद्दीनपुर
४—मलिवामा
५—दौराला
६—मवाना
७—शामली
८—रौहाना
९—सहारनपुर
१०—देवबन्द
११—इकबालपुर
१२—लक्सर
१३—हरगांव
१४—महौली
१५—बिसवां
१६—गोला
१७—ऐरा
१८—हरदोई
१९—बहेड़ी
२०—रामपुर
२१—पीलीभीत
२२—रौजा
२३—न्योली
२४—काशीपुर
२५—मसौधा
२६—बलरामपुर
२७—तुलसीपुर
२८—बभनान
२९—नवाबगंज
३०—बाराबंकी
३१—बुढ़वल
३२—शाहगंज
३३—बस्ती
३४—वाल्टरगंज
३५—खलीलाबाद
३६—मुंडेरवा
३७—घुघली
३८—सिसवा बाजार
३९—गौरीबाजार
४०—बैतालपुर
४१—देवरिया
४२—प्रतापपुर
४३—खड्डा
४४—छितौनी
४५—कैप्टनगंज
४६—रामकोला (पी)
४७—रामकोला (के)
४८—पडरौना
४९—कठकुइंयां
५०—सिवराही

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

संयुक्त जांच समिति की संतुति पर देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर में ली जाने वाली परियोजनाएं।

१—चार पूर्वी जिलों में कृषि उत्पादन को तीव्र करने का कार्यक्रम ।

२—उन्नत कृषि यन्त्रों के लिए कर्मशालाओं की स्थापना ।

३—गन्ना विकास का सघन तीव्रगामी कार्यक्रम ।

४—निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम ।

५—राज्य नलकूपों पर पक्की गूलों का प्रसार ।

६—राज्य नलकूप।

७—ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना ।

८—गाजीपुर तथा जौनपुर जिलों में भूमि तथा जल संरक्षण ।

९—शूकर विकास ।

१०—कुक्कुट प्रसार केन्द्रों का ५०० अंडे देने वाले प्रक्षेत्रों में प्रसार ।

११—कुक्कुट प्रसार केन्द्रों का पूर्ण किया जाना तथा उन्हें जारी रखा जाना ।

१२—प्रशिक्षण केन्द्रों में तथा उनके आसपास व्यावहारिक पुष्ठाहार कुक्कुट उत्पाद कार्यक्रम ।

१३—पशु विकास कार्यों का सघनीकरण।

१४—रातिब चारे का विकास।

१५—भेड़ों को सामूहिक रूप से औषधि पिलाना ।

१६—कुक्कुट विकास कार्यक्रम का तीव्र किया जाना ।

१७—कुक्कुट विकास कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए पर्यवेक्षक कर्मचारीवर्ग ।

१८—कुक्कुट विकास कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए सहकारी क्रय-विक्रय समितियों संगठन।

१९—कम गहरे जलाशयों का मत्स्य उत्पादन के लिए विकास तथा उपयोग ।

२०—संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विका खण्ड क्षेत्रों में मत्स्य संवर्धन।

२१—सहकारी क्रय-विक्रय, विधायन तथा संग्रहण।

२२—गांव सभा की सम्पत्ति के विकास के लिए ऋण तथा पंचायतों की उत्पादक प सम्पत्तियों का सृजन।

२३—सीमांत बांध।

२४—पानी से घिरे गांवों को ऊंचा करना।

२५—जलोत्सारण के लिए नालियों का निर्माण।

२६—ग्राम विद्युतीकरण का तीव्र किया जाना।

२७—उद्योग निदेशालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग ।

२८—ऋण तथा अनुदान योजना।

२९—प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम।

३०—सहायक विकास (उद्योग) अधिकारियों की परियोजना।

३१—विद्युत् के लिए राज्य सहायता की परियोजना।

३२—नए औद्योगिक आस्थान।

३३—हस्तशिल्प सहकारी समितियों का विकास।

३४—ग्राम उद्योगों के लिए सहकारी कर्मचारिवर्ग।

३५—हथकरघा सहकारी समितियों को कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण।

३६—बहुधंधी मशीनी कर्मशालाएं तथा टेस्टिंग यूनिट।

३७—आजमगढ़ में अग्रगामी कर्मशाला का विस्तार।

३८—देवरिया में जूते बनाने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र।

३९—सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार।

४०—नई सड़कों का निर्माण।

४१—पुलों का निर्माण।

४२—अन्य निर्माण कार्य।

४३—अधिष्ठान (सड़कों तथा पुलों के निर्माण से सम्बन्धित)

४४—ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए अवर आधारिक विद्यालयों का खोला जाना।

४५—नगर क्षेत्रों के बालक तथा बालिकाओं के लिए बड़े आकार के अवर आधारिक विद्यालयों का खोला जाना।

४६—नियोजन तथा प्रशासकीय व्यवस्था (प्राथमिक) के कर्मचारियों में वृद्धि।

४७—अपने घर से बाहर ग्रामीण अथवा पिछड़े हुए क्षेत्रों में बालिकाओं के अवर आधारिक (जूनियर बेसिक) विद्यालयों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को ग्राम भत्ता।

४८—ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित अवर आधारिक विद्यालयों में दाइयों की नियुक्ति।

४९—प्राथमिक शिक्षा प्रसार क्षेत्र हेतु राजकीय दीक्षा (नार्मल) स्कूलों का खोला जाना।

५०—बालक तथा बालिकाओं के लिए राजकीय उच्च आधारिक (सीनियर बेसिक) विद्यालयों का खोला जाना।

५१—सहायक अनुदान के आधार पर उच्च आधारिक बालिका विद्यालयों का खोला जाना।

५२—प्रारम्भिक स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि के लिए अग्रिम कार्यवाही।

५३—बालिकाओं के राजकीय अवर उच्च विद्यालयों की उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) स्तर पर क्रमोन्नति।

५४—सिटी ब्वाएज हाई स्कूल, गाजीपुर को राज्य नियन्त्रण में लेना।

५५—परिवार नियोजन क्लीनिकों का खोलना।

५६—राज्य परिवार नियोजन संगठन का प्रसार।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

बाराबंकी जले में स्थित केन यूनियन और उसमें नियुक्त सी० डी० आई० का विवरण।

केन यूनियन का नाम		सी० डी० आई० का नाम		नियुक्ति की तारीख
१—बाराबंकी	..	श्री दया शंकर द्विवेदी	..	११-८-६४ से।
२—बुढ़वल	..	१—श्री बी० के० कौशिक	..	२५-१०-६४ से।
		२—श्री विद्यानन्द	..	२५-५-६३ से।
३—बड़ागांव	..	श्री मुहम्मद अब्बास सिद्दीकी	..	२१-८-६३ से।
४—दरियाबाद	..	श्री कृष्ण नन्द जोशी	..	४-७-६३ से।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

तालिका 'ख'

जिला बाराबंकी की समितियों के गन्ना विकास निरीक्षकों की नियुक्ति अवधि तथा ली हुई छुट्टी की सूचना की तालिका।

क्रम-संख्या	नाम सी० डी० आई०	नाम जोन	ज्वाइन करने की तिथि (जोन में)	उपार्जित अवकाश जो ली गयी	आकस्मिक अवकाश जो ली गयी
१	२	३	४	५	६
१	श्री विद्यानन्द, सी० डी० आई० ..	बुढ़वल ..	२५-५-१९६३	८-६-६४ से १४-६-६४ तक १६-७-६४ से २६-७-६४ तक	२७-६-६४ ।
२	श्री वी० के० कौशिक, सी० डी० आई	,, ..	२५-१०-१९६४		१६-११-६४ से २१-११-६४ ।
३	श्री मुहम्मद अब्बास सिद्दीकी, सी० डी० आई० ।	बड़ागांव	२१-८-१९६३		२५-५-६४ से २७-५-६४, ३१-८-६४ से ६-९-६४, १६-१०-६४ से १७-१०-६४ ६--११--६४ (निर्बन्धित) ७-११-६४, ३१-१२-६४।
४	श्री के० सी० जोशी, सी० डी० आई	दरियाबाद	४-७-६३ ..	१२-६-६४ से २५-६-६४ ..	२१-५-६४ से २२-५-६४, १७-७-६४, १८-७-६४, १६-८-६४ ।
५	श्री दयाशंकर द्विवेदी सी० डी० आई०	बाराबंकी	११-८-६४		२६-१०-६४, २७,१०-६४, २८-१०-६४, २६-११-६४।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

तालिका 'ग'

बाराबंकी जिले में स्थित केन यूनियन को दी गई खाद तथा उनके द्वारा वितरित खाद का विवरण।

केन यूनियन का नाम	आंकड़े क्विन्टल में			
	१९६३—६४		१९६४—६५	
	प्राप्त खाद	वितरित	प्राप्त खाद	वितरित
१—बाराबंकी ..	६,३६३.९३	१३,७८८.७३	५,७१९.६५	१०,१६७.५८
२—बुढ़वल ..	८,१७५.१२	८,१८४.८३	१,५४६.४५	२,६६६.४७
३—बड़ागांव ..	६,२८४.३४	४,५७५.७८	—	५,५१५.७०
४—दरियाबाद	४,१३६·५१	५,५७१·६६	३,१००·६५	४,४६०·८९
योग ..	२४,९५९.९०	३२,१२१.००	१०,३६६.७५	२१,८१०.६४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

थाना सिकन्दराराव, जिला अलीगढ़ में १९६३ व १९६४ में हुए कागनीजेबिल जुर्मों से सम्बन्धित सूचना।

१९६३		१९६४	
रिपोर्ट हुये कागना-इजेबिल जुर्मों की संख्या	संख्या जितनों में जांच की गयी	रिपोर्ट हुये कागना-इजेबिल जुर्मों की संख्या	संख्या जितनो में जांच की गयी
२३८	२२३	३३६	२९६

विधान भवन

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

थाना डिडौली, जिला मुरादाबाद में दिनांक १–१–६४ से ३१–१२–६४ तक जिन लोगों को बन्दूकों और रिवाल्वरों के लाइसेन्स दिए गए, उनकी सूची।

संख्या	लाइसेंसी का नाम	निवासी	असलहा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया
१	२	३	४
१	श्री हाजी इश्तयाक हुसैन उर्फ खैराती, पुत्र श्री अब्बास हुसैन	सहसपुर, अलीनगर ..	रिवाल्वर
२	श्री हुकुम सिंह, पुत्र श्री नानक सिंह ..	जगुवा खुर्द ..	,,
३	श्री छत्तर सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह ..	असावर ..	,,
४	श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री बालक राम	शकरपुर ..	बन्दूक
५	श्री नेतराम सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह ..	पुरनपुर ..	,,
६	श्री अब्दुल समद पुत्र श्री अब्दुल हक ..	जलालाबाद ..	,,
७	श्री रण सिंह, पुत्र श्री नत्थू सिंह ..	मानक जूडी ..	,,
८	श्री अजीत सिंह, पुत्र श्री दर्शन सिंह ..	सरकडा कमाल ..	,,
९	श्री गुलाब सिंह, पुत्र श्री लेखराज सिंह ..	कपासी ..	,,
१०	श्री नत्थू सिंह, पुत्र श्री भूप सिंह ..	रामपुर शहजादपुर ..	,,
११	श्री जहीर अहमद, पुत्र श्री जहूर अहमद ..	कनपुरा ..	,,
१२	श्री रघुबन्श, पुत्र श्री नेतराम ..	जुगवा कलां ..	,,
१३	श्री हेतराम सिंह, पुत्र श्री जोरा सिंह ..	,, ..	,,
१४	श्री ओम प्रकाश सिंह, पुत्र श्री हरी सिंह ..	काली लेट ..	,,
१५	श्री हरी सिंह, पुत्र श्री प्यारे सिंह ..	नारंगपुर ..	,,
१६	श्री मुहम्मद तहसीन, पुत्र श्री मुहम्मद यासीन	जोया ..	,,
१७	श्री नत्थूराम, पुत्र श्री गंगा राम	बरखेडा राजपुर ..	,,
१८	श्री रघुबर सिंह, पुत्र श्री नानक सिंह ..	धंसूरपुर ..	,,
१९	श्री इस्तखार हुसैन, पुत्र श्री अब्दुल रहमान	गंगादासपुर ..	,,
२०	श्री हमीद शाह, पुत्र श्री चन्दा शाह ..	काला खेडा ..	,,
२१	श्री राजबीर सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह ..	जौजखेड़ा ..	,,
२२	श्री महताब सिंह, पुत्र श्री निर्वाह सिंह ..	काला खेड़ा ..	,,
२३	श्री तारा सिंह, पुत्र श्री अर्जुन सिंह ..	जोया ..	,,
२४	श्री गुलबदन, पुत्र श्री छिद्दा सिंह ..	सलामतपुर ..	,,

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

मछली शहर तहसील, जिला जौनपुर में १९५८–५९ से १९६३–६४ तक ऋण की सूची।

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम	ऋण में दिया गया धन	उद्योग का नाम जिसके लिए ऋण दिया गया
		रु०	
	१९५८–५९		
	कोई नहीं		
	१९५९–६०		
१	श्री माता जतन ..	४,०००	चूना कंकड़।
२	मुगरा बादशाहपुर कोआपरेटिव केन प्रोसेसिंग सोसाइटी, लि० ..	१५,०००	गुड़ खांडसारी।
३	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता ..	४,०००	चूना कंकड़।
४	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ..	४,०००	जाब इन्जीनियरिंग।
५	श्री जगरनाथ प्रसाद ..	२,०००	चूना कंकड़।
	१९६०–६१		
१	श्री राज मूर्ति सिंह ..	२,०००	चूना कंकड़।
२	लोह उद्योग सहकारी समिति, मुगरा बादशाहपुर ..	३,०००	लोह कला।
३	श्री महादेव सिंह ..	४,०००	लकड़ी फर्नीचर।
	१९६१–६२		
१	श्री राम चन्द्र सिंह ..	३,५००	लकड़ी फर्नीचर।
२	श्री फतेह बहादुर सिंह ..	२,५००	,, ,,
३	श्री शारदा प्रसाद सिंह ..	१,०००	लोहे बक्स व बाल्टी।
४	श्री विक्रमा सिंह ..	२,५००	लकड़ी फर्नीचर।
	१९६२–६३		
१	श्री प्यारे लाल त्रिपाठी ..	३,०००	लकड़ी फर्नीचर।
२	श्री मुस्तफा अन्सारी ..	५,०००	,, ,,
	१९६३–६४		
१	श्री रामदेव जैसवारा ..	१,०००	पी० आर० ए० टाइप लैट्रिन।
२	श्री सीताराम ..	२,०००	साइकिल पार्ट्स।
३	श्री मो० हनीफ ..	१,०००	जूता।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२७ एल० ए०—१९६५—८६२।